AITUC DIGITAL ARCHIVE - 2021
Folder Code: 5 File No. AI-93 S. No.
Digital File Code:
File Title: 9th Convention - AITUC - Rajasthan
Year: 1984 / /
Metadata: Scanned: ✓

नवां अधिवेशन

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

राजस्थान राज्य कमेटी

5

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस • राजस्थान राज्य कमेटी •
TUC

1984

२२, २३, २४ जून १९८४

बंशी भवन (MK)

ब्यावर (राज०)

For A.I.T.U.C.

राजस्थान बैंक एम्पलायज यूनियन ब्यावर द्वारा सप्रेम भेंट

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
राजस्थान राज्य कमेटी
९ वां सम्मेलन, व्या व र (राजस्थान) में
दिनांक २२, २३, २४ जून, १९८४

बंशी भवन, व्यावर
दिनांक २२ जून, १९८४ ई०

सम्मेलन से सम्बन्धित कार्यक्रम

२२-६-१९८४	सुबह ११ बजे से प्रतिनिधी कार्ड वितरण एवं नए यूनियनों के एटक से सम्बन्धता बाबत कार्यवाही ।	
	दोपहर १-०० बजे प्रतिनिधियों का दोपहर को खाने के लिये अवकाश ।	
	शाम ४-०० बजे प्रतिनिधियों को चाय के लिये अवकाश	
	शाम ५-०० बजे झण्डारोहण	का० फतेसिंह जी
	तत्काल बाद प्रतिनिधी चांग गेट पहुंच कर सामूहिक रूप से स्वामी कुमारानन्द की मूर्ति का माल्यार्पण कर श्रद्धान्जली अर्पित करेंगे ।	
	शाम ५-३० बजे स्वागत भाषण	का० केसरीमलजी
	विशेष आमन्त्रित साथियों एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत	का० गंगाराम योद्धा
	शाम ६-०० बजे सम्मेलन का उदघाटन	का० एस०के० सन्याल मंत्री अ०भा०ट्रेड यूनियन कांग्रेस
	विशेष आमन्त्रित विभिन्न सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सन्देश ।	
	सम्मेलन के लिये पिछले अधिवेशन से अब तक के कार्यों की रिपोर्ट ।	का० के०विश्वनाथन महामंत्री, राजस्थान राज्य कमेटी एटक
२३-६-१९८४	सुबह ९-०० बजे से प्रतिनिधि सम्मेलन में रिपोर्ट पर बहस शुरु ।	
	दिन को १-०० बजे खाने के लिये अवकाश	
	मध्यान्ह ३-०० बजे पुन: प्रतिनिधी सम्मेलन रिपोर्ट पर बहस जारी ।	
	मध्यान्ह ४-३० बजे शाम प्रतिनिधियों के लिये चाय का अवकाश	
	५-५० बजे प्रतिनिधी सम्मेलन पुन: प्रारम्भ खुला अधिवेशन	
	शाम ७-०० बजे आम सभा डिक्सन छत्री, पांच बत्ती	
	रात्रि ८-०० बजे प्रतिनियों के लिये रात्री भोजन ।	
२४-६-१९८४	९-०० बजे प्रात: प्रतिनिधी सम्मेलन प्रारम्भ रिपोर्ट पर बहस का जवाब तथा नए सत्र के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव ।	

न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी
प्र स्ता व

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह ९ वाँ सम्मेलन न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी सर्व सम्मत प्रस्ताव के आधार पर ~~संशोधन सम्बन्धी~~ संशोधित न्यूनतम वेतन दर अब तक स्वीकार नहीं किये जाने की सरकार की नीति के प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करता है ।
यह सम्मेलन राज्य के अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में व्यापक वृद्धि के कारण वेतन में हो रहे क्षति पूर्ति के लिये न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के भुगतान की मांग को पुन: दुहराते हुए मांग करता है कि सन १९६० को ६०) रु० न्यूनतम वेतन मानकर इस मध्य सूचकों को में तिगुनी वृद्धि हुई उसको शत प्रतिशत समायोजित कर न्यूनतम वेतन कम से कम ५००) रु० निर्धारित करें ।

सम्मेलन अनुसूचित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करते वक्त उन्हें उनके कार्य के अनुरूप वेतन निर्धारण हेतु वर्गीकरण किया जावे एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के शिफारिशों को अविलम्ब प्रकाशित किया जावे ।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से यह भी मांग करता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम सन १९४८ के अनुच्छेद में सम्मिलित उद्योगों में उन लघु उद्योगों को भी सम्मिलित किया जावे जिसमें एक हजार से अधिक श्रमिक कार्यरत है । सीमेन्ट पाइप उद्योग, मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट, पापड, ईंट, भट्टी, चक्की, मिट्टी उद्योग, पावर लूम, अगरबत्ती, गोली उद्योग कृष्णा पिंक सिटी, गोलियों एवं विगरेस डिटेक्टिव एजेन्सी आदि संस्थानों में न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप नियोजक पदा इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अधिकारों से वंचित कर रहे है ।

यह सम्मेलन बीडी उद्योग के श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम की दर में एक हजार बीडी पर रु० ७)१० पैसा निर्धारित किये जाने की नीति की निन्दा करने के साथ मांग करता है कि अन्य उद्योगों के लिये निर्धारित दर बीडी उद्योग के श्रमिकों पर भी लागू की जावे ।

यह सम्मेलन असंगठित उद्योगों के श्रमिकों को आश्वासन करता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिये संगठित होकर आगे बढ़े और अधिकारों के लिये संघर्ष की तैयार में जुट जावें ।

ननननन

कर्मचारी भविष्य निधी योजना के सम्बन्ध में

प्रस्ताव

कमेटी
राजस्थान राज्य अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन कर्मचारी भविष्य निधि योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त त्रुटियों के कारण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को हो रही कठिनाईयों पर अपना रोष प्रकट करता है ।

कर्मचारी भविष्य निधी योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत केन्द्रिय स क सरकार श्रमिकों को उचित राहतपहुंचाने और दोषी नियोजकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में पूर्णत: असफल रही है । अपनी असफलता को छिपाने हेतु श्री रामानुजम को एक समिति का अध्यक्ष बनाकर उनसे यह सिफारिश करवाई है कि जिन संस्थानों में ५०० से अधिक श्रमिक कार्यरत है, उनके भविष्य निधिकोष का प्रबन्ध उसी संस्था के मालिकों के हाथ में दिया जावे ।

विभिन्न भविष्य निधि आयुक्तों की लापरवाही के परिणाम स्वरुप आज लगभग ६० करोड रुपया फैक्टरी मालिकों ने भविष्य निधि में जमा नहीं करवाया है और स्वयं के उपयोग में ले रहे है । इसमें राजस्थान में करीब एक करोड राशि बकाया है ऐसी स्थिति में रामानुजम समिति की सिफारिश एक दम मालिक परस्त है जिसका यह सम्मेलन पूर्ण विरोध करता है ।

केन्द्रिय सरकार को भविष्य निधि कानून में उचित संशोधन करके ऐसे मालिकों जो इस कानून का उलंघन कर रहे है के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही के साथ साथ उनके बैंक खातों को कुर्क करने का प्रावधान करना चाहिये ।

जिन क्षेत्रों के आयुक्त मासिक अंशदान वसूल करने में असफल रहे है, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए, श्रमिकों को अन्तिम भुगतान के समय पूरा पैसा भविष्य निधि कोष से दिया जावे ।

भविष्य निधि कानून में अभी तक यह प्रावधान है कि जो श्रमिक लगातार ६० दिन तक कार्य कर ले उसे ही इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जावे । अधिकांश मालिक इसका नाजायज फायदा उठाते है और श्रमिक को ६० दिन पूरे नहीं करने देते है । अत: यह सम्मेलन मांग करता है कि इस प्रावधान को निरस्त करके श्रमिक के सेवा के दिन से ही भविष्य निधि का मेम्बर बनाया जाना चाहिये ।

राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय में व्याप्त लाल फीता शाही एवं भ्रष्टाचार के कारण आज श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को भविष्य निधी परिवार पेन्शन आदि का भुगतान महिनों तक नहीं होता है और कार्यालय के चक्कर काटते काटते श्रमिक परेशान हो जाता है ।

सम्मेलन मांग करता है कि भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान १५ दिन की अवधि में अवश्य किया जावे और इसमें देरी करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे ।

ज्ज्ज्ज्

राजस्थान रिलिफ अण्डर टेकिंग एक्ट के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ९ वां सम्मेलन राजस्थान में बिमार उद्योगों पर सरकार द्वारा लागू रिलिफ अण्डरटेकिंग एक्ट के प्रावधानों के गलत क्रियान्वय जिसके कारण जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि० जयपुर के करीब ५०० श्रमिक कर्मचारियों जिनका सेवाकाल २०-२५ वर्ष तक था को नौकरी से बरखास्त कर दिया और देय परिलाभ व ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया और न ही स्वीकृत वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया गया है पर गहरा रोष प्रकट करता है।

इसके विरुद्ध कम्पनि गेट के बाहर करीब ७ माह तक धरना (२६ सितम्बर १९८३ से ६ मार्च १९८४ तक) दिया गया और फिर १३ अप्रेल से २८ अप्रेल १९८४ तक श्रम मंत्री के निवास स्थान के समक्ष धरना दिया गया जो श्रम मंत्री के आश्वासन पर समाप्त किया गया एटक की ओर से राज्य के मुख्य मंत्री एवं श्रम मंत्री को विभिन्न ज्ञापन देकर कारखाने के प्रबन्धक जो कि एक आई०ए०एस० अधिकारी है के द्वारा किये जा रहे दमन और श्रम कानूनों के उलंघन के बारे में अवगत कराया परन्तु राज्य सरकार आज तक समाधान की दिशा में आगे जाने का कोई भी कदम उठाने में असफल रही है और कारखाने के प्रबन्धक द्वारा दमन की प्रक्रिया जारी है। बडी संख्या में एटक के कार्यकर्ता निलम्बित है जिन पर झूठे आरोप लगाये गये है। प्रबन्ध की यह सारी कार्यवाही रिलिफ अन्डर टेकिंग एक्ट के लागू होने के कारण बेरोक टोक चलने दी जा रही है।

राजस्थान रिलिफ अन्डर टेकिंग एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के पीछे सरकार का उ उद्देश्य बताया गया श्रमिक कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह कानून श्रमिक विरोधी तमाम मनमानियों का सूत्रपात करने वाले सिद्ध हो रहा है।

श्रमिकों के समस्त अधिकार समाप्त कर दिये गये है और श्रमिक इसके विरुद्ध कहीं से भी समस्या का निदान पाने में सफल नहीं होने से असहाय अनुभव करने लगा है।

अत: यह सम्मेलन मांग करता है कि जयपुर मेटल्स के जिन श्रमिक कर्मचारियों को इस कानून के लागू होने के बाद नौकरी से बर्खास्त किया है उन्हे पुन: नौकर पर लिया जावे, जिन पर झूठे आरोप लगाकर निलम्बित किया है, उनके निलम्बन आदेश रद्द किये जावे तथा कठिन संघर्षों से प्राप्त सेवा स्थितियों को कायम रखने की कानून और व्यवहार में अनिवार्य व्यवस्था की जावे।

राजस्थान रिलिफ अन्डर टेकिंग एक्ट १९६२ में इस मंशा से उचित संशोधन करके श्रमिकों के पूर्व अधिकारों को बहाल करने के लिये यह सम्मेलन पुरजोर मांग करता है जयपुर मेटल्स के बहादुर श्रमिकों को बधाई देते हुये कि संघर्ष में उनकी सफलता की कामना करते हुये सम्मेलन उनके संघर्ष में राज्य के श्रमिक वर्ग की एक जुटता प्रदर्शित करने के लिये शीघ्र ही सारे राज्य में उनके लिये समर्थन दिवस मनाने का निर्णय करता है। सम्मेलन राज्य के मजदूर वर्ग से अधिकारों पर इस हमले के विरुद्ध संघर्ष में जयपुर म मेटल्स के श्रमिकों को पूरा सहयोग देने का आवहान करता है।

ज़ज़ज़

विश्व के अणु युद्ध के विरुद्ध तथा विश्व शान्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन गम्भीर अन्तर राष्ट्रीय स्थिति तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा नाभकीय अणु युद्ध की तैयारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है ।

अभी हाल ही प्रकाशित सूचनाओं से रीगन प्रशासन नाभकीय युद्ध की तैयारी में (रैस्टनवार) में जमीन से नभ में हमले की शस्त्र की सफल प्रदर्शण की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उससे नाभकीय युद्ध की तैयारी की जो कल्पनाए हम पृथवीवासी करारहे थे वह स्पष्ट हो चुका है ।

विश्व में दो महायुद्धों के परिणामों से त्रस्त जन जीवन तीसरे विश्वयुद्ध की रीगन प्रशासन की तैयार के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित हो रही उससे नाटो शक्तियों द्वारा विश्व को तीसर महायुद्ध में जन मानस को ढकेलने की कोशिश में लगी हुई है ।

पश्चिम जर्मनी वह ग्रेट ब्रिटेन में परशिग द्वितीय मिसाईल स्थापित करना एक नई स्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है ।

प्रथम विश्व युद्ध में एक करोड से अधिक मानव की बली चढी थी और करीब ६ करोड मानव दूसरे विश्वयुद्ध में बली चढाए गए थे ।

उपरोक्त बीते दोनों विश्व युद्धों के अनुभवों एवं मौजूदा रीगन प्रशासन द्वारा नाभकीय अणुयुद्ध की तैयारी से मानव जाती के समक्ष उत्पन्न भयानक खतरों ने ~~मान~~ आज विश्व के शान्ति प्रिय मानव समुदाय द्वारा भयानक नाभकीय अणुयुद्ध के विरुद्ध व्यापक आन्दोलन संगठित हो रहा है । मानव समाज को इस नाभकीय अणुयुद्ध से बचाव के लिये युद्ध लोलुप अमेरिका साम्राज्य वादी रीगन प्रशासन की मानव समाज के भविष्य के साथ खिलवाड करने की मंशा को समाप्त करना आज विश्व के जनता का प्रथम कर्तव्य है ।

अमरीकी साम्राज्यवादी विकास शक्ति राष्ट्रों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने राष्ट्र के सामान्य साधनों को सामूहिक विकास एवं जन जीवन के उत्थान में व्यय के बजाय राष्ट्र की सुरक्षा के लिये हथियारों में व्यय करें जैसा कि आपने राष्ट्र कौमी योजना और वक्त में एक बहुत ~~स~~ बडी राशी हथियारों की खरीद एवं उत्पादन में व्यय करने के लिये मजबूर होना पडा है ।

मौजूदा अणु युग में राष्ट्रों के मध्य टकराव को सुलझाने के लिये युद्ध को राजनैतिक हथियारों के रुप में उपयोग नहीं किया जा सकता । चाहे उन राष्ट्रों का अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाभी हो । विभिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले राष्ट्रों के मध्य शान्ति पूर्ण सह अस्तित्व को सोवियत यूनियन तथा वारसा पैक्ट वाले राष्ट्रों की नीति मौजूदा स्थिति में विश्व को अणु युद्ध से बचाने के लिये एक एतिहासिक आवश्यकता है ।

सोवियत रुस शान्ति के लिये एवं युद्ध के खिलाफ लगातार सुदृढ सुझाव देता आया है जिससे हथियारों की होड समाप्त किया जा सके । सोवियत रुस पहला राष्ट्र है जिसने खुले रुप में घोषणा की कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध अणु आयुधों का उपयोग में पहल नहीं करेगा ।

कृ०पृ०उ०

अमरीकी साम्राज्य वाद, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन आदि के अब तक इस प्रकार की घोषणा नहीं की है बल्कि उन्होंने उल्टे इस दौरान इन राष्ट्रों में पांच सौ से भी अधिक अधिक अणु मिसाईल रख दिये जो कि सोवियत रूस के विरुद्ध किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है ।

विश्व की ऐसी खतरनाक स्थिति में हमारा देश को चारों तरफ से साम्राज्य वादियों के षाडयन्त्र से घिरा हुआ है । हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की बार बार मांग के बावजूद साम्राज्यवादी अमरीका ने डिएगो गार्सिया को अपना प्रमुख अडडे के रूप में परिणित कर दिया है । सिलोन, पाकिस्तान में अपने अडडे कायम कर दिये है । चीन और स अमरिकी साजिश ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी स्थिति बिगाड रखी है ।

ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नवां सम्मेलन विश्व के करोडों शान्ति प्रिय जन समुदाय के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर युद्ध के विरुद्ध एवं विश्व शान्ति के लिये संघर्ष में और अधिक ताकत के साथ अपनी आवाज बुलन्द करने का संकल्प लेता है ।

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों एवं सदस्यों तथा प्रान्त के मेहनतकश अवाम से अपील करता है कि विश्व को आणविक नाभकीय युद्ध में धकेलने की अमरीकी साजिश के विरुद्ध तथा विश्व शान्ति के लिये आगे बढे मानव जाति को अणु युद्ध के खतरे से बचाने के लिये अपनी आवाज बुलन्द करें ।

ज्ज्ज

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के राज्य में क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति के सम्बन्ध में तीव्र असंतोष व्यक्त करता है ।

इस कल्याणकारी योजना के अधीन पिछले कुछ अर्से में निगम की ओर से अस्पताल एवं चिकित्सालय के निर्माण में प्रगति की है लेकिन इस योजना का मुख्य कार्य आज राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियन्त्रित होता है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना निगम केवल मात्र चिकित्सालयों का निर्माण एवं श्रमिकों की बिमारी एवं दुर्घटना का परिलाभ उपलब्ध करने का ही कार्य करता है ।

चिकित्सालयों में दवाओं का वितरण चिकित्सा बिमारी की छुट्टी चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मचारी व चिकित्सक आदि का नियन्त्रण राज्य का चिकित्सा विभाग द्वारा नियन्त्रित होता है । मौजूदा नियमों में निगम द्वारा प्रति अंशदाता के लिये चिकित्सा हेतु निर्धारित धन राशी में १।८ भाग राज्य सरकार देती है ।

राज्य में श्रमिक जो इस योजना के अधीन आते है मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था से अत्यन्त ही पीड़ित है एवं असन्तुष्ट है ।

चिकित्सालयों एवं अस्पतालों में श्रमिकों को उपयुक्त सुविधा के अभाव में आए दिन श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त हो रहा है । देश के स्तर पर इस निगम का एक बहुत बड़ी धन राशी आज उद्योगपतियों में बकाया चल रही है । मौजूदा नियम में इन उद्योगपतियों से वसूली के लिये अपर्याप्त है ।

जहां इस योजना के अधीन श्रमिकों को और लाभ की उम्मीद की जाती थी योजना के विकास को ध्यान में लेकर वहीं सरकार द्वारा बिमारी का लाभ ९१ दिन से घटा कर ५६ दिन करना, स्टार्इक, लोक आउट, क्लोजर तथा सामाजिक छुट्टियों दिन बिमारी की छुट्टियों का परिलाभ भुगतान नहीं करने का निर्णय इस योजना के मूलभूत उद्देश्यों के विपरित कार्यवाही है ।

यह सम्मेलन मांग करता है कि अंशदाताओं के परिवार के सदस्यों को अस्वस्थता में सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जावे जब उन्हे भर्ती किया जावे ।

सामाजिक सुरक्षा योजना का सम्पूर्ण खर्च नियोजकों से उनके लाभ में से पूर्ति की जावे अन्यथा सम्बन्धित सरकार द्वारा पूर्ति की जावे । जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बनाने वालों का सुझाव था । योजना में जो आय व्यय घाटा होता है उसकी पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जावे ।

सामाजिक सुरक्षा योजना को संविधान के एवं अनुच्छेद में सम्मिलित किया जावे ताकि इस योजना को क्रियान्वयन में न्यायालय हस्तक्षेप न कर सके । इस योजना के बकाया वसूली के लिये अलग वसूली की मशीनरी कायम की जावे जैसा कि आयकर विभाग की वसूली प्रक्रिया है ।

योजना के अधीन बिमारी के दिनों के लिये अंशदाताओं को पूर्ण मुआवेतन भुगतान किया जावे ।

यह सम्मेलन यह भी मांग करता है कि राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन निगम के ही देख रेख में खुद के नियन्त्रण में हो ।

जज्ज

ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह ९ वाँ राजस्थान राज्य सम्मेलन उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा के जरिये श्रमिकों के व्यापक शोषण को रोकने में असफलता के सम्बन्ध में अपना तीव्र रोष प्रकट करती है ।

राजस्थान में कोन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवं अबोलिशन एक्ट सन १९७२ से लागू है लेकिन इस अधिनियम का पालना कराने के सम्बन्ध में सरकार के श्रम विभाग का रवैया श्रमिकों को इस कानून के अन्तर्गत राहत दिलाने में कोई मदद नहीं करता ।

पूरे राज्य में तमाम विकसित उद्योगों में स्थायी रूप के उत्पादन प्रक्रियाओं में श्रमिकों को ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत नियुक्ति कर उन्हें समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित ही नहीं किया जाता बल्कि श्रम कानूनों के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त सुविधाओं से भी वंचित किया जाता है ।

सार्वजनिक उद्योगों में यह प्रथा जोरों पर है । बिजली बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान जिंक स्मेल्टर, जावर माईन्स, आदि में भी यह प्रथम मौजूद है । अभी हाल ही जिंक स्मेल्टर में जिन टंकी वेल्ड करते हुए विस्फोट से साथ श्रमिकों की मृत्यु हो गई है वे भी ठेकेदारों के श्रमिक थे ।

निजी क्षेत्र में तो ~~स्थिति~~ स्थिति और भी गम्भीर है । बाल बियरिंग, कमानी, सिमको, के०के० सिन्थैटिक आदि में भी उत्पादन से सम्बन्धित कार्यों में भी ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत श्रमिकों से कार्य कराया जाता है और संस्थान के ही नियोजकों के आदमियों को ठेकेदार बना कर श्रमिकों का शोषण किया जाता है ।

यहाँ तक कि एक ही कारखाने में कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन) अबोलिशन एक्ट से बचने के लिये कई ठेकेदार नियुक्त हुए है जिनमें किसी एक के पास १९ श्रमिक से अधिक श्रमिक नहीं होते ।

उपरोक्त प्रकार के शोषण तो कारखाने द्वारा किया ही जा रहा है । इसके अलावा जासूसी कार्य का बोर्ड लगाकर कारखानेदारों के यहाँ चौकीदार, हैल्पर श्रमिक होटलों में वेटर, रूम बाय, फरास आदि के कार्य के लिये श्रमिकों को उपलब्ध कराते है चूंकि एक ही संस्थान में २० श्रमिक नियोजित नहीं होते । अत: उन पर उपरोक्त कानून लागू नहीं किये जाते । इस प्रकार से आम तौर पर ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत राज्य में बेरोजगारी का लाभ उठाकर श्रमिकों के शोषण का व्यापक जाल बिछा हुआ है ।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से मांग करता है कि राज्य में कान्ट्रैक्ट (रेगुलेशन एवं अबोलिशन एक्ट में आवश्यक संशोधन करके श्रमिकों को ठेकेदारी प्रथा के अधीन शोषण से मुक्त कराने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें ।

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों का आह्वान करता है कि अपने संस्थानों में आवाज बुलन्द करें संघर्ष के जरिये श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने में पहल अपने हाथ में ले !

ںںںںں

पंजाब समस्या पर
प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह नवां सम्मेलन जून के प्रथम सप्ताहमें स्वर्ण मन्दिर परिसर से आतंकवादियों और सिख उग्रवादियों को खदेडने की केन्द्रिय सरकार के कदमों को देश की अखण्डता एवं एकता के लिये जरूरी कदम समझता है । कुछ उग्रवादियों तथा आतंक वादियों ने स्वर्ण मन्दिर को अपने नापाक इरादों के लिये उपयोग में लेकर उस धर्म स्थल को देश की एकता के खिलाफ कार्यवाहियों के लिये हथियारों मादक द्रव्यों का जखीरा बना कर उसे अपवित्र कर दिया था ।

स्वर्ण मन्दिर परिसर से आधुनिक हथियारों का बडी मात्रा में पाया जाना जो नियमित युद्ध में ही काम में लिये जा सकते हों सिखों सहित देश के तमाम नागरिकों के लिये घोर चिन्ता का विषय बन चुका है ।

इस बात को ध्यान में लेना चाहिये कि कुछ जनवादी मांगों को लेकर चलाए गये उनके अन आन्दोलन को रास्ते से भटकाकर एक अलगाव वादी आन्दोलन की दिशा देकर कुछ उग्र-वादियों ने सम्प्रदायवाद और आतंक वाद का सहारा लेकर देश की एकता और अखण्डता को खतरे में डालने का प्रयत्न किया । सिख भाईयों के लिये इस स्थिति पर बराबर ध्यान रखना आवश्यक है ।

अकाली दल के नेताओं और तमाम देश भक्त सिख धर्म के अनुयाईयों को भी इस बात पर गहराई से सोचना चाहिये कि उग्रवादियों और अलगाव वादियों द्वारा पंथ की एकता और धर्मयुद्ध के झूंठे नारे के उपयोग को रोकने में वे समर्थ नहीं हो सके । पंजाब की को कार्यवाही के बाद की स्थिति भी यह बताती है कि अभी भी अकाली नेता उग्रवादियों की विचार धारा नारों व कार्यनीति से अपने को पूर्णत: अलग नहीं कर पाये है । बे गुनाहों की हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है । अकाली दल के नेता स्वर्ण मन्दिर तथा परिसर में बडे पैमाने पर आधुनिक हथियारों एवं तस्करी तथा लूट के मालों के जखीरा लगाने तथा उक्त उपासना के स्थान से निरपराध लोगों की हत्यायें करने एवं देश की एकता एवं अखण्डता के खिलाफ कार्यवाहियों की निन्दा तक नहीं कर सके है जिससे जनता में उनके लिये भी स्पष्टता नहीं है ।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ९ वां सम्मेलन राजस्थान राज्य सम्मेलन महसूस करता है कि भारत सरकार पर पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान के लिये खास जिम्मेदारी है । कम से कम अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने अर्ध सैनिक बलों की तैनाती जैसे प्रशासनिक कदमों से उग्रवादियों को निपटा नहीं जा सका और सिद्ध हो चुका है कि सेना की मदद से ही स्वर्ण मन्दिर और दूसरे उपासना स्थलों सेउग्रवादियों को हटाया जा सका । उग्रवादियों का प्रभाव अभी भी असरदार और व्यापक है । इन तमाम परिस्थितियों के अधार पर सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से मांग करती है कि अविलम्ब पंजाब समस्यों के समाधान तलाशने का सर्वोच्च काम हाथ में ले अन्य आवश्यक समर्थ उपायों के साथ सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय एकता और सिख हिन्दू एकता के लिये पुर असर संयुक्त अभियान छेडा जाय ।

कृ०पृ०उ०

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों के सदस्यों को आह्वान करता है कि ऐसे नाज़ुक समय में देश की एकता व अखण्डता की सुरक्षा के लिये संयुक्त अभियान जिसमें सिन जन मानस के दिल के घाव भरने हिन्दुओं एवं सिखों के बीच साम्प्रदायिक सदभाव वापस लौटाने और साम्प्रदायिक उग्रवादियों और कट्टर पंथियों का असर खत्म करने के लिये व्यापक सम प्रचार अभियान में जुट जावें। इन तत्वों को शह देने वाले प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके जघन्य क्रिया कलापों का पर्दा फाश करें और उग्रवादियों के अपराधों के कारण हिन्दुओं को सिखों के विरुद्ध उभाड़ने के साम्प्रदायिक षडयन्त्रों को नापाक करें।

ज्ज्ज्

दैनिक वेतन पर नियुक्त एवं वर्क चार्ज श्रमिकों को

स्थायी कार्य पदलाभ सम्बन्धी

प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ९ वां राजस्थान राज्य सम्मेलन राज्य के अधीन विभिन्न, निगमों, उपक्रमों में तथा सार्वजनिक संस्थानों में आवश्यक कार्य पद के अनुसार पदों की स्वीकृति प्राप्त किये बिना वर्क चार्ज केजुबल एवं दैनिक वेतन पर श्रमिक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पर स्थायी कार्य पदों पर कार्य लिये जाने एवं उक्त कार्य के लिये निर्धारित वेतन श्रृंखला का लाभ श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराये जाने की श्रमिक विरोधी परिपाटी को समाप्त करने की मांग करता है।

अधिकांश उपक्रमों एवं निगमों में रेगुलर कार्य पदों की जानबूझ कर स्वीकृति नहीं लेने की नीति अपना कर उक्त संस्थान में मस्टर रोल एवं केजुबल श्रमिकों की नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार करने की छूट दी जा रही है जो अत्यन्त आपत्तिजनक एवं निन्दनीय है।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से यह भी मांग करता है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दर के सिद्धान्त के आधार पर श्रमिकों को वेतन भुगतान की नीति को ~~कारगर~~ कारगर बनाया जावे।

ऽऽऽऽऽ

न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी
प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह ९ वाँ सम्मेलन न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी सर्व सम्मत प्रस्ताव के आधार पर ~~संशोधन सम्बन्धी~~ संशोधित न्यूनतम वेतन दर अब तक स्वीकार नहीं किये जाने की सरकार की नीति के प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करता है।
यह सम्मेलन राज्य के अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में व्यापक वृद्धि के कारण वेतन में हो रहे क्षति पूर्ति के लिये न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग को पुनः दुहराते हुए मांग करता है कि सन १९६० को ६०) रु० न्यूनतम वेतन मानकर इस मध्य सूचकों की में तिगुनी वृद्धि हुई उसको ३५ प्रतिशत समायोजित कर न्यूनतम वेतन कम से कम ५००) रु० निर्धारित करें।

सम्मेलन अनुसूचित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करते वक्त उन्हें उनके कार्य के अनुरूप वेतन निर्धारण हेतु वर्गीकरण किया जावे एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के शिफारिशों को अविलम्ब प्रकाशित किया जावे।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से यह भी मांग करता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम सन १९४८ के अनुच्छेद में सम्मिलित उद्योगों में उन लघु उद्योगों को भी सम्मिलित किया जावे जिसमें एक हजार से अधिक श्रमिक कार्यरत है। सीमेन्ट पाइप उद्योग, मिनी सीमेन्ट प्लान्ट, पापड, ईंट, भट्टी, चक्की, मिट्टी उद्योग, पावर लूम, अगरबत्ती, गोली उद्योग कृष्णा पिंक सिटी, गोलियां एवं विगरेस डिटेक्टिव एजेन्सी आदि संस्थानों में न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप नियोजक पक्ष इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अधिकारों से वंचित कर रहे है।

यह सम्मेलन बीडी उद्योग के श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम की दर में एक हजार बीडी पर रु० ७)१० पैसा निर्धारित किये जाने की नीति की निन्दा करने के साथ मांग करता है कि अन्य उद्योगों के लिये निर्धारित दर बीडी उद्योग के श्रमिकों पर भी लागू की जावे।

यह सम्मेलन असंगठित उद्योगों के श्रमिकों को आश्वस्त करता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिये संगठित होकर आगे बढ़े और अधिकारों के लिये संघर्ष की तैयारी में जुट जावें।

ںںںںں

कृष्णा मिल के बेरोजगार श्रमिकों की ओर से

टेक्सटाईल लेबर यूनियन

को

मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार से

अपील

महोदय,

ब्यावर स्थित सबसे पुरानी मिल कृष्णा मिल की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में हमारे संगठन की ओर से अप्रेल ८३ से ही आपका एवं सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। मिल की खस्ता आर्थिक स्थिति के कारण मिल बन्द होने की सम्भावनाओं के प्रति भी हमने कृष्णा मिल के श्रमिकों की ओर से लगातार राज्य एवं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणाम स्वरुप 15 जुलाई 83 को जारी नोटिस के आधार पर अगस्त में कृष्णा मिल बन्द हो गया और मिल के १६०० श्रमिक और उनके परिवार बेरोजगार हो गये और उन्हें पिछले २ माह का कार्य समय का वेतन व एक माह का बोनस भी नहीं मिला जिससे १६०० परिवार भूख के कगार पर पहुंच गए।

इन श्रमिकों को कार्य दिन के वेतन के साथ ग्रेच्यूटी एवं अन्य परीलाभ जो कानूनी रुप से मिलने थे उससे भी वंचित कर दिए गए।

हमारी यूनियन ने उपरोक्त तथ्यों से राज्य सरकार तथा राज्य के श्रम मंत्री का ध्यान कई बार आकर्षित किया लेकिन सरकार की इन बेरोजगार श्रमिकों के प्रति दुर्लक्षता पूर्ण नीतियों के कारण आज दिन तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो पाई।

यूनियन ने इन स्थितियों में पीड़ित श्रमिकों की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए हर शान्ति पूर्ण कदम का उपयोग किया। जिसमें ४-१-८४ से ९-१-८४ तक क्रमिक भूख हड़ताल ९ जनवरी को ९५ श्रमिकों की सत्याग्रह के जरिये गिरफ्तारी। दुबारा ४ मार्च से ९ मार्च तक सत्याग्रह,मिल नियोजकों के निवास स्थान पर २७ फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल आदि। और 11 जून से 15 जून 64 तक फिर सत्याग्रह।

आपको यह भी स्मरण दिलाया जा रहा है कि ५ सितम्बर ८३ को जयपुर में आयोजित प्रर्दशन के अवसर पर राज्य के श्रम मंत्रीजी से कृष्णा मिल में कार्यरत श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने साक्षात्कार कर कृष्णा मिल को चालू कराने की मांगको तब श्रम मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि श्रमिकों को बकाया वेतन दिलाने तथा मिल को सहकारिता के आधार पर संचालन की व्यवस्था की जावेगी।

उक्त आश्वासन के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो २१ मार्च को विधान सभा में जब इस मिल को चालू कराने का सवाल उठा तब सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि सेठ से मिल चलवाने की बात की जा रही है जिसके लिए सरकार गारन्टी देने की बात सोच रही है।

राज्य सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मिल की हालत अच्छी है और चलाई जा सकती है अगर सरकार इसको हाथ में ले ले। सभी वित्तीय संस्थानों ने भी इस मिल को उपयोगी (वायविल) यूनिट करार दिया है लेकिन अभी तक सरकार इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। ब्यावर जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहां बड़े उद्योग के नाम पर केवल मात्र सूती मिले हैं उनमें भी दी राष्ट्राय कृत नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन के अधीन चल रहे हैं ऐसे उपयोगी मिल को चलाने के लिए सरकार द्वारा पहल न करना और १६०० परिवारों को भूखमरी के लिए मजबूर करना नितांत ही अनुचित नीति है।

आज इस मिल के १६०० श्रमिकों का डेढ़ करोड़ रुपया मिल मालिक खाए बैठे हैं। सरकार इन श्रमिकों के कार्य के दिनों के वेतन तक दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। यह स्थिति किसी भी सरकार के लिए न्यायोचित स्थिति नहीं कही जा सकती।

P.T.O.

कृष्णा मिल बन्द होने के कारणों के प्रति अगर ध्यान दिया जावे तो विदित होगा कि जिसमें बिजली की समुचित उपलब्धता नहीं होना, वर्किंग केपिटल न होना, नियोजकों द्वारा वर्किंग केपिटल निकाल कर अपने उपयोग में लेना, भारी भरकम स्टाफ पर खर्च, अनावश्यक ऊपरी खर्च श्रमिकों से कार्य लेने के सम्बंध में गलत समझ व्यापार में घाटा आदि है जो इस मिल के बन्द होने का कारण रहा है। वार्तालाप के मध्य नियोजक पक्ष ने भी यह बात स्वीकार की है कि श्रमिकों के सहयोग की कमी इस मिल के बन्द होने का कारण नहीं रहा है।

मिल बन्द होने से एक वर्ष पूर्व हमारे श्रमिकों ने मिल में कार्य भार बढ़ाने का समझौता किया और कार्य भार बढ़ाया भी है। कृष्णा मिल में २६००० के करीब स्पिन्डिल तथा ६१६ लूम है जो एक मिल के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीने हैं।

मिल में स्पिनिंग विभाग करीब करीब नया है। क्योंकि लगातार नवीनीकरण होता रहा है। लूम शेड से छोटे सांचे निकाल लिए हैं और बड़े बना दिए गए हैं।

मिल में कपड़े का उत्पादन १०,५०,३५७ किलो ग्राम होता रहा है जो कि ७९०५०७६ मीटर के करीब होता है।

इस मिल में १२६११२ किलो सूत कपड़े बनने के बाद भी बच जाता है जो बाजार में सूत के रूप में बेचा जाता रहा है।

जिसमें स्क्रीन प्रिन्टिंग की और रंगाई छपाई की भी व्यवस्था है जिससे ३-४ हजार मीटर कपड़ा रोज छप कर तैय्यार होता रहा है।

उपरोक्त विवरण से भी विदित होगा कि कृष्णा मिल अगर चलाया जावे तो नफे में चल सकता है और घाटे का सौदा नहीं है।

आज पूरे देश में कारखानों को बन्द करने की एक मुहीम सी चल पड़ी है कारखानेदार सरकार से तथा वित्तीय संस्थानों से सहायता लेकर कारखाने लगाते हैं और उसमें से धन एकत्र करके नए कारखानों की स्थापना करके उस कारखाने को बिमार घोषित कर बन्द कर देते हैं।

हमारे राज्य का सबसे पुराना यह मिल जो श्रमिकों के या सरकार की नीतियों के कारण बिमार नहीं है। जो मालिकों की बद इन्तजामी के कारण आज बन्द पड़ा है तथा इसकी मशीने आदि की हालात अच्छी हैं। फिर भी सरकार इस मिल को चलवाने की कोशिश नहीं करती है इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार के सामने इन असहाय बेरोजगार उन श्रमिकों ने जिनका पूरी जवानी मिल मालिकों की सेवा में गुजर आज वे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं उन्हें राहत पहुंचाना आवश्यक नहीं समझती।

हमारी यूनियन इस ज्ञापन के जरिए आपसे एकबार पुनः निवेदन करना चाहती है कि समय रहते कृष्णा मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करे इन बेसहाय १६०० परिवारों को रोटी रोजी देने के अपने सरकार के कर्त्तव्य को पूरा करे।

हमें विश्वास है कि आप और आपकी सरकार इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर आवश्यक कदम उठावेंगे और मिल को अविलम्ब चलवाने की तथा श्रमिकों के बकाया वेतन आदि दिलवाने की व्यवस्था करायेगी।

ता० 22-6-84

भवदीय--

केशरीमल

महामन्त्री

टेक्सटाइल लेबर यूनियन ब्यावर

मनोहर प्रि० प्रेस, ब्यावर 6441

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राजस्थान राज्य कमेटी)

के

२२, २३, २४, जून १९८४ को ब्यावर में होने वाले नवें अधिवेशन के अवसर

पर

स्वागताध्यक्ष का भाषण

माननीय अतिथि महोदय,

व

साथियों,

आप जिस ब्यावर शहर में एटक के नवें राज्य सम्मेलन में भाग लेने पधारे हैं यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ा हुआ शहर तो है ही औद्योगिक दृष्टि से भी एक महत्व पूर्ण केन्द्र है।

ब्यावर शहर जो अजमेर जिले के अधीन है यह जिला एक लम्बे अर्से तक एक अलग राज्य के रुप में अंग्रेजों के अधीन रहा है। आजादी के बाद भी राज्य एकीकरण के समय तक भी अजमेर जिला केन्द्र शासित जिला ही रहा है।

अंग्रेजों ने इस जिले को अपने अधीन इसलिए रक्खा कि इस राज्य के एक तरफ जोधपुर स्टेट दूसरी तरफ मेवाड़ स्टेट तथा तीसरी तरफ जयपुर स्टेट और अन्य छोटे राजाओं के राज्य रहे हैं ताकि इन राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखने, उन पर काबू पाने में आसानी हो।

आजादी के बाद इस जिले को नजरअन्दाज किया गया जिससे जो विकास इस जिले का होना चाहिए वह नहीं हो सका। अजमेर जिला और खास कर ब्यावर शहर प्राकृतिक सौन्दर्य का भी क्षेत्र रहा है और आज भी है। ब्यावर शहर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने से वर्षा के बाद यह क्षेत्र हरियाली से घिरा होता है जिसकी प्राकृतिक दृष्यावलि आपके मन को मोह लेगी।

इस शहर को १२५ साल पहले कर्नल डिक्सन ने बसाया था। उस समय इस शहर के वासिन्दे अपनी जीविका धाड़े डाल कर के ही साधन जुटाते थे जिस पर काबू पाने के लिए ही यह शहर बसाया गया था।

आजादी की लड़ाई के समय यह शहर क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों का कार्यक्षेत्र रहा है अन्य प्रान्तों से राजनैतिक एवं क्रान्तिकारी लोग आकर इस शहर एवं क्षेत्र को जहां अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग किया वही आस पास के सामन्ती राजा महाराजाओं के अत्याचारों के विरूद्ध संघर्षशील कार्यकर्त्ता व नेताओं का अभयारण्य भी रहा है, जिसमें श्री तख्तमल जैन, श्रीकृष्ण विजयवर्गीय, श्री जयनारायण व्यास आदि के नाम मशहूर हैं।

यह शहर बड़े बड़े क्रान्तिकारियों का भी कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें मध्यभारत राजपूताना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता एवं राजस्थान राज्य कमेटी एटक के अध्यक्ष पद पर रहे स्वर्गीय श्री स्वामी कुमारानन्दजी का नाम प्रमुख है।

ब्यावर शहर राजस्थान के अन्य केन्द्रों से काफी पूर्व में ही औद्योगिक केन्द्र के रुप में सामने आया। इस शहर में तीन सूती मिल है। जिसमें कृष्णा मिल की स्थापना १८८९ में हुई थी तथा एडवर्ड मिल की स्थापना १९०६ में और महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना १९२४ में हुई थी।

रूई व कपास साफ करने, गांठ बांधने, रूई ओटने आदि कार्यों के भी कई कारखाने इस शहर में उस समय लगे थे जो आज भी है। बीड़ी उद्योग का भी यहां काफी विस्तार हुआ है।

इस शहर की यह भी विशेषता रही है कि यहाँ मजदूर संगठन की नींव सन् १९२० में पड़ी और तब से बनते, बिगड़ते मजदूर संगठन अपना कार्य करते आ रहे हैं। यहां का मजदूर आन्दोलन देश के कई भागों से और राज्य में भी सबसे पुराना है। यहां के श्रमिक आन्दोलन से अनुभव लेकर कई श्रमिक साथी देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक आन्दोलन में आगे बढकर कार्य कर रहे हैं।

हमें इस बात का भी गर्व है कि ब्यावर में कार्यरत एटक से सम्बन्धित टेक्सटाईल लेबर यूनियन राज्य का

कृपया पन्ना उलटिये

पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसका विधिवत पंजीयन सन् १९४२ में हुआ जबकि यूनियन की स्थापना इसके काफी पूर्व हो चुकी थी। टेक्सटाइल लेबर यूनियन का झंडा उस कठिन समय में भी लाल ही था।

आजादी के पूर्व अंग्रेजों के राज्य में इस संगठन के झन्डे के नीचे मजदूरों ने कई बड़े संघर्ष लड़े हैं। जिसमें १९३३ में ३½ महीने की हड़ताल १९३६ में 33 दिन की हडताल वेतन कटौतो और बोनस की मांग को लेकर लड़ी हैं। इन आन्दोलनों में मजदूरों ने कामयाबी भी हासिल की है।

सन १९४२ में टेक्सटाईल लेबर यूनियन के झन्डे के नीचे मजदूरों ने बोनस की लडाई लडी और वर्ष में तीन तीन बोनस यहां के मजदूरों ने प्राप्त किये है। बदली श्रमिकों को बदली देने नियुक्ति में पक्षपात समाप्त करने पुलिस गिरफ्तारी के खिलाफ आन्दोलन में भी कामयाबियां हासिल की है।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने अपनी प्रभुसत्ता कायम करने के लिए ५२ से ५७ के मध्य मजदूरों का खुलकर दमन करवाया लेकिन श्रमिक झुके नहीं। ब्यावर शहर के लडाकू सचेत श्रमिक वर्ग ने अपनी आर्थिक मांगों के अलावा जनता की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग के लिए भी संघष किया जिसमें हमारे आठ साथियों को इन्टक के ईशारे पर मालिकों ने नौकरी से निकलवा दिया लेकिन श्रमिकों की एकता ने उन साथियों को वापस नौकरी में लाने में कामयाबी हासिल की।

सन १९६० में इन्टक द्वारा मालिकों से सांठ-गांठ कर मजदूर विरोधी समझौते के विरुद्ध संघर्ष में ३-४ सौ श्रमिकों को नौकरी से अलग कर दिया जिसमें ४२ साथी हमारे यूनियन के मुख्य कार्यकर्त्ता थे। मालिकों के उस हठधर्मी के विरुद्ध पूज्य स्वामी कुमारानन्दजी को भूख हड़ताल पर बैठना पडा। स्वामीजी के इस कदम ने हमारे केन्द्रीय नेतृत्व को भी चिन्तित कर दिया और उस समय का० एस०ए० डांगे ने खुद आकर स्वामीजी की भूख हड़ताल समाप्त कराई।

उस आन्दोलन के बाद आखिर में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़कर हम अपने साथियों को वापस नौकरी पर मय वेतन व ब्याज सहित रखवाने में कामयाब हुए।

ब्यावर का ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास श्रमिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा।

ऐसे शहर में आप सभी साथी अपने संगठन के ९वें सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। हमारे एटक का इतिहास भी देश के श्रमिक आन्दोलन के लिए एक प्रेरणा प्रद रहा है और आज भी है और आगे भी इसी प्रकार श्रमिक आन्दोलन से अग्रणी भूमिका अदा करता रहेगा।

मैं आप सबका एक बार स्वागत करते हुए कामना करता हूं कि आपका यह सम्मेलन सफल हो। सम्मेलन से स्वीकृत कार्यक्रम राजस्थान के श्रमिक आन्दोलन के लिए एक मार्ग दर्शक रहेगा।

ब्यावर शहर एक छोटा शहर है यहां वे तमाम सुविधाएँ जो बड़े औद्योगिक शहरों में उपलब्ध है उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है फिर भी स्वागत समिति ने ऐसे कठिन समय जब हमारे शहर में कृष्णा मिल के बन्द हो जाने से 1600 श्रमिक पिछले करीब एक वर्ष से बेरोजगार हैं और उनके परिवार के सदस्य परेशान हैं हम आप सभी साथियों का उस प्रकार स्वागत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

हमें आशा है कि आप साथी जो भी त्रुटियां व्यवस्था में रहेगी उसे हमारी कठिनाईयों को ध्यान में लेकर उन सभी बातों को नजरन्दाज कर सहयोग प्रदान करेंगे।

एक बार फिर आप सभी प्रतिनिधि साथियों का, विशेष आमन्त्रित बन्धुओं का तथा अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं।

अभिवादन सहित

ता० २२-६-८४

आपका साथी--

केशरीमल

अध्यक्ष

स्वागत समिति

मनोहर प्रिन्टिंग प्रेस, ब्यावर

राजस्थान राज्य कमेटी

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

६ वें अधिवेशन ब्यावर में

२२ से २४ जून, ८४ में

प्रस्तुत रिपोर्ट

स्थान :
ब्यावर
२२ जून, ८४

अध्यक्षमंडल के साथियों, राज्य के कोने-कोने से आये हुए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इस ६ वें अधिवेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है।

राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पिछला सम्मेलन १२ व १३ अक्टूबर, ८० को जयपुर में सम्पन्न हुआ था।

यह सम्मेलन गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों में सम्पन्न हो रहा है। यह स्थिति पिछले सम्मेलन के समय की स्थितियों से कहीं अधिक गंभीर है।

हम मेहनतकश आवाम के प्रतिनिधियों के रूप में साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तियों द्वारा युद्ध की तैयारी से उत्पन्न खतरे से चिन्तित होना स्वाभाविक है। कोई भी युद्ध जो दुनिया के मानवजाति पर अपनी प्रभुसत्ता थोपने के उद्देश्य से की जाती है मानवजाति के अस्तित्व और विनाश का प्रश्न खड़ा करता है।

नाभकीय युद्ध का खतरा तेजी से प्रसारित होता आ रहा है। इसका परिणाम पश्चिम युरोप के साम्राज्यवाद परस्त देशों में नये मिसाइलों की तैनाती का साम्राज्यवादी अमेरिका सरकार का निर्णय युद्ध के खतरे को और अधिक बढ़ा दिया है। इन मिसाइलों की तैनाती का अर्थ है नाभकीय हथियारों के संतुलन साम्राज्यवादी शक्तियों के पक्ष में झुकाना। इस घटना से हथियारों की बढ़ोतरी का एक नया दौर आरम्भ हो जाना। अपने देश में भी इसका असर पड़ा और ६००० करीब ६८०० करोड़ की धनराशि देश की सुरक्षा के लिए हथियारों के उत्पादन में व्यय करने को मजबूर होना पड़ा है।

इस भयानक नाभकीय युद्ध के खतरे से चिन्तित जन मानस जो शांति प्रिय है उनके एवं युद्ध की शक्तियों के मध्य जोरदार संघर्ष चल रहा है। लाखों-लाख जन मानस नाभकीय विनाश के खतरे को दूर करने के लिए निकल पड़े हैं। जबकि युद्ध लिप्सुकोण तनाव शैथिल्य के वातावरण को दूषित बनाने तथा सोवियत

------२

विरोधी उन्माद भड़काने के लिए एक के बाद एक भड़कावे का सहारा ले रहे हैं ।

हम सभी शांति प्रेमी लोग विश्व शांति और अपने जन गण की नियति के प्रति सोवियत संघ की मानवीय चिन्ता के एक और प्रमाण के रूप में समर्थन करते हैं साथ ही रीगन के नाभकीय युद्ध की तैयारी के विरुद्ध अपनी जनगण की सुरक्षा के लिए फौरी कदम उठाने के वारसा संधी के देशों के अधिकार से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ।

रीगन प्रशासन के इन घृणि तहथकण्डों ने विश्व व्यापी एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया है । जिसका सामना न केवल पश्चिम यूरोप के ३० देशों के हुक्मरानों को करना पड़ रहा है जहां इन मिसाइलों को रखा गया है बल्कि रीगन प्रशासन को स्वयं के अपने घर में भी इन शांतिप्रिय जनता के आक्रोश का मुकाबला करना पड रहा है ।

हमारे देश में भी जो एक अल्प विकसित देश है में मेहनतकश अवाम के बीच एक शक्तिशाली शांति आंदोलन विकसित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपना केन्द्रीय संगठन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक लम्बे अर्से से प्रयत्नशील रहा है । फरवरी १९८२ में हवाना में सम्पन्न दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद से ट्रेड यूनियन आंदोलन में युद्ध के खतरे के खिलाफ जागरूकता में स्पष्ट वृद्धि हुई है ।

हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि इस समय सबसे प्रमुख कार्य युद्ध के विरुद्ध और शांति के लिए तथा मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए संघर्ष करना है । यह संघर्ष हमारी जनता की समस्याओं तथा अधिक न्यायोचित समतापूर्ण रहन-सहन की हालतों के लिए और शोषण के विरुद्ध संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है ।

राष्ट्रीय स्थिति और मजदूर वर्ग

हमारे देश की आर्थिक स्थिति विश्व पूंजीवादी अर्थतन्त्र के गहराते संकट की पृष्ठभूमि में ही देखना चाहिये ।

आज विश्व पूंजीवादी देशों और विकासशील देशों के मध्य अन्तर विरोध तीव्रतम होते जा रहे है । विकसित देशों में बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच रही है ।

जब तक हमारा देश पूंजीवादी विकास के रास्ते पर चलता रहेगा विश्व आर्थिक संकट के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता । हमारे पिछले सम्मेलन से अब तक के अर्से में उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में ---160---- पाइंन्ट से ऊपर वृद्धि हुई है ।

-------३

सन् १९८० के आखिरी छमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो ---403------ पाइन्ट रही है । आज बढ़ कर ---563--- पाइन्ट हो चुकी है ।

देश में पंजीकृत बेरोजगारी संख्या २ करोड़ से अधिक हो चुकी है ।

हमारे देश की आर्थिक नीति इजारेदारों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों को भारी रियायतें पहुंचा रही है । हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में विशाल मात्रा में सार्वजनिक धन लगा है । यह कोई समाजवादी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता बल्कि राजकीय पूंजीवादी क्षेत्र है । फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए धन आखिरकार लोगों का है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी ट्रेड यूनियनों की भूमिका अधिक साकारात्मक एवं जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिये । हमारे इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध मण्डलों के मजदूर विरोधी गतिविधियों एवं दृष्टिकोण इस कार्य में रुकावटें पैदा करती है । इसलिए हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य अधिक कठिन हो गया है ।

आज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की खराब छवि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी शक्तियों को मदद पहुंचाती है । हमारे राज्य में इसका ज्वलंत उदाहरण राज्य परिवहन निगम एवं बिजली बोर्ड के कार्यकलाप है । फिर भी हमारे राष्ट्रीय संगठन एटक २ स्तम्भ की नीति के अधीन अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखना हमारा कर्तव्य है ।

यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि सरकार चाहे केन्द्र का हो या राज्य का श्रमिकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात की नीति अपनाई हुई है । इस सम्बन्ध में हमारे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी यूनियन राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज्स यूनियन द्वारा इस उद्योग के विकास तथा उन्नति के लिए उठाये गये कदमों को नजरन्दाज करके सामान्य ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी लगातार हमले की नीति अपनाई हुई है । बड़े पैमाने पर श्रमिकों को बिना जांच सेवा मुक्ति मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों की बड़े पैमाने पर ट्रांसफर आदि से संगठन के स्वस्थ संचालन पर एक तरीके से रोक लगा दी है ।

राज्य की स्थिति एवं श्रमिक वर्ग

हमारे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है ।

अपने गत सम्मेलन के अवसर पर देश की बागडोर पुन: कांग्रेस (ई) के हाथ में आ चुकी थी । कांग्रेस के हुकुमत पर पुन: कब्जा करने के उपरान्त अपनी उसी नीति

----------४

पर देश को आगे बढ़ाने की योजना बनायी और राज्य में भी उसी ढांचे का स्वरूप बना ।

राज्य में इस सरकार की श्रम नीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया । श्रम समस्याओं का निराकरण और अधिक जटिल होता गया ।

राजकीय संस्थानों में संगठनों पर विभिन्न प्रकार से हमले होने लगे । राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर आयोजित १६ जनवरी, १६८२ का एक दिन का देशव्यापी सफल औद्योगिक हड़ताल से सरकार हिलमिला उठी और उसने राज्य में प्रभावशाली रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स के मान्यता प्राप्त एटक से सम्बन्धित तथा मान्यता प्राप्त राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन पर जबरदस्त हमला किया । सभी सिद्धान्तों को ताक में रखकर गुप्त मतदान सेप्राप्त मान्यता को सरकार के इशारे पर छीन ली गई । यूनियन के सभी कार्यकर्त्ताओं का दूर-दूर केन्द्रों पर स्थानान्तरण तथा बिना जांच और दोषी साबित हुए श्रमिकों को बड़े पैमाने पर सेवा मुक्ति आदि ने सरकार की खोखली श्रम नीति को उजागर किया ।

इसी प्रकार श्रमिकों के हड़तालों की लंबी खींच कर पुलिस दमन के जरिये श्रमिक आंदोलन को कुचलने की एक नीति सी बन गई ।

श्रमिकों के विवादों को न्यायाधिकरण को सौंपने से इंकार कर देना एक आम बात हो गई ।

श्रम कानूनों का पालन के प्रति सरकार की उदासीनता नियोजकों को श्रमिकों पर हमले की नई छूट दी । बाजार में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में व्यापक वृद्धि देश के अन्य केन्द्रों से काफी आगे रहने लगी । सरकार की यह नीति न केवल औद्योगिक श्रमिकों के प्रति ही रही हो ऐसी बात नहीं है उनके खुद के कर्मचारियों में भी सरकार की नीति ने व्यापक असंतोष पैदा किया ।

राज्य सरकार की इन नीतियों ने राज्य में इस अरसे में कर्मचारी एवं श्रमिक आंदोलन के कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक संघर्षों को जन्म दिया है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय अभियान समिति एवम् राज्य स्तरीय अभियान समिति

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर राज्य में दो राज्य स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ट्रेड यूनियन कन्वेंशन

------५

पंजाब समस्या पर प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह नवां सम्मेलन जून के प्रथम सप्ताहमें स्वर्ण मन्दिर परिसर से आतंकवादियों और सिख उग्रवादियों को खदेडने की केन्द्रिय सरकार के कदमों को देश की अखण्डता एवं एकता के लिये जरुरी कदम समझता है। कुछ उग्रवादियों तथा आतंक वादियों ने स्वर्ण मन्दिर को अपने नापाक इरादों के लिये उपयोग में लेकर उस धर्म स्थल को देश की एकता के खिलाफ कार्यवाहियों के लिये हथियारों मादक द्रव्यों का जखीरा बना कर उसे अपवित्र कर दिया था।

स्वर्ण मन्दिर परिसर से आधुनिक हथियारों का बडी मात्रा में पाया जाना जो नियमित युद्ध में ही काम में लिये जा सकते हों सिखों सहित देश के तमाम नागरिकों के लिये घोर चिन्ता का विषय बन चुका है।

इस बात को ध्यान में लेना चाहिये कि कुछ जनवादी मांगों को लेकर चलाए गये उनके ~~अन~~ आन्दोलन को रास्ते से भटकाकर एक अलगाव वादी आन्दोलन को दिशा देकर कुछ उग्रवादियों ने साम्प्रदायवाद और आतंक वाद का सहारा लेकर देश की एकता और अखण्डता को खतरे में डालने का प्रयत्न किया। सिख भाईयों के लिये इस स्थिति पर बराबर ध्यान रखना आवश्यक है।

अकाली दल के नेताओं और तमाम देश भक्त सिख धर्म के अनुयाईयों को भी इस बात पर गहराई से सोचना चाहिये कि उग्रवादियों और अलगाव वादियों द्वारा पंथ की एकता और धर्मयुद्ध के झूठे नारे के उपयोग को रोकने में वे समर्थ नहीं हो सके। पंजाब की को कार्यवाही के बाद की स्थिति भी यह बताती है कि अभी भी अकाली नेता उग्रवादियों की विचार धारा नारों व कार्यनीति से अपने को पूर्णतः अलग नहीं कर पाये है। बे गुनाहों की हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है। अकाली दल के नेता स्वर्ण मन्दिर तथा परिसर में बडे पैमाने पर आधुनिक हथियारों एवं तस्करी तथा लूट के मालों के जखीरा लगाने तथा उक्त उपासना के स्थान से निरपराध लोगों की हत्यायें करने एवं देश की एकता एवं अखण्डता के खिलाफ कार्यवाहियों की निन्दा तक नहीं कर सके है जिससे जनता में उनके लिये भी स्पष्ठता नहीं है।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ९ वां ~~सम्मेलन~~ राजस्थान राज्य सम्मेलन महसूस करता है कि भारत सरकार पर पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान के लिये खास जिम्मेदारी है। कम से कम अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने अर्ध सैनिक बलों की तैनाती जैसे प्रशासनिक कदमों से उग्रवादियों को निपटा नहीं जा सका और सिद्ध हो चुका है कि सेना की मदद से ही स्वर्ण मन्दिर और दूसरे उपासना स्थलों सेउग्रवादियों को हटाया जा सका। उग्रवादियों का प्रभाव अभी भी असरदार और व्यापक है। इन तमाम परिस्थितियों के अधार पर सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से मांग करती है कि अविलम्ब पंजाब समस्यों के समाधान तलाशने का सर्वोच्च काम हाथ में ले अन्य आवश्यक ~~उपायों~~ उपायों के साथ सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय एकता और सिख हिन्दू एकता के लिये पुर असर संयुक्त अभियान छेडा जाय।

कृ०पृ०उ०

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों के सदस्यों को आहवाहन करता है कि ऐसे नाजुक समय में देश की एकता व अखण्डता की सुरक्षा के लिये संयुक्त अभियान जिसमें सिख जन मानस के दिल के घाव भरने हिन्दुओं एवं सिखों के बीच साम्प्रदायिक सदभाव वापस लौटाने और साम्प्रदायिक उग्रवादियों और कहर पंथियों का असर खत्म करने के लिये व्यापक सम प्रचार अभियान में जुट जावें। इन तत्वों को शह देने वाली प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके जघन्य क्रिया कलापों का पर्दा फाश करें और उग्रवादियों के अपराधों के कारण हिन्दुओं को सिखों के विरुद्ध उभाड़ने के साम्प्रदायिक षडयन्त्रों को नापाक करें।

ज्ज्ज्

में भी राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है । संयुक्त अभियान समिति के आह्वान पर दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भी राज्य से बड़ी संख्या में साथियों ने सक्रिय भाग लिया है ।

राजस्थान में अभियान समिति के प्लेटफार्म से श्रमिकों द्वारा आयोजित विभिन्न आंदोलनों में सहयोग के लिए सक्रिय भूमिका निभाई गई । राज्य में राष्ट्रीय अभियान समिति के अंग के रूप में पांच केन्द्रीय श्रमिक संगठन एटक, सीटू, बी०एम०एस०, एच०एम०एस० आदि सम्मिलित है । केवलमात्र टैक्सटाइल मिलों के श्रमिकों की बुनियादी मांगों के सम्बन्ध में इण्टक संगठन के साथ संयुक्त समन्वय की प्रक्रिया अब तक पिछले १० वर्षों से चली आ रही है ।

राजस्थान संयुक्त श्रमिक अभियान समिति ने जो राष्ट्रीय अभियान समिति का भी एक अंग है । राज्य के श्रमिकों की बुनियादी मांगों से संबंधित एक १८ सूत्री मांग पत्र १५-४-८३ को राज्य सरकार को प्रेषित किया है । इस मांग पत्र को अभियान समिति के गत ३ जुलाई, ८३ को सम्पन्न जयपुर सम्मेलन में स्वीकृत किया जाकर उक्त मांगों के सम्बन्ध में राज्य व्यापी निरन्तर संघर्ष का भी निर्णय लिया गया ।

राजस्थान संयुक्त श्रमिक अभियान समिति समय-समय पर मिलकर राज्य के श्रमिकों के आंदोलनों की समीक्षा करके उनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए श्रमिक संघों का आह्वान करने, एवं संयुक्त कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करने का काम करती आयी है । इसके अलावा उक्त समिति राज्य कर्मचारी आंदोलन, बिजली कर्मचारी आंदोलन, जे०के० सिन्थेटिक्स की लंबी हड़ताल और छंटनी और रोडवेज कर्मचारियों के दमन के विरोध में राज्य के श्रमिक कर्मचारियों के सहयोग की अपील भी करती आयी है ।

इस अर्थ में इस समिति के कार्य का जो प्रभाव श्रमिक वर्ग में होना चाहिये वह हो नहीं पा रहा है । हमारे खुद के संगठन के साथी भी अभियान समिति के आह्वानों को जिस गंभीरता से लेना चाहिये, नहीं ले रहे है ।

अन्य घटकों में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है । सीटू में ए० पूनमिया के निकलने के बाद संगठनात्मक कमजोरी का असर इस संगठन में भी कोई कम नहीं है । हिन्द मजदूर सभा की स्थिति जो पहले थी सो उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है । भारतीय मजदूर संघ इस प्लेटफार्म का उपयोग अपने संगठन की दृष्टि से ही कर रहा है ।

राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गत बैठक में लिए गये निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए हमारी पहल पर जो १८ सूत्री मांग-पत्र अभियान समिति में स्वीकार

-------६

किया गया । उसके समर्थन में १६ जुलाई को पूरे प्रदेश में जिला हैडक्वाटरों पर एक दिन की भूख हड़ताल का हमने निर्णय लिया था ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभियान समिति के राज्य स्तरीय नेतृत्व द्वारा श्रम मंत्री के निवास के समक्ष भूख हड़ताल आयोजित की गई । अन्य केन्द्रों पर इस निर्णय का क्या हुआ ? रिपोर्ट नहीं है ।

गत ७-९-८२ को जयपुर में आयोजित अभियान समिति की बैठक में आंदोलन की रुपरेखा पर विचार किया जाकर नवम्बर के तीसरे सप्ताह में जिला स्तर पर संयुक्त रुप से प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

[redacted] के जन संगठनों द्वारा अभियान समिति के कार्यक्रमों में भाग लेने में भयंकर शिथिलता सामने आई है । बार-बार निर्णय एवं परिपत्रों के जरिये आग्रह करने के उपरान्त भी हमारे साथी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं ।

४ जून ८१ को बम्बई में आयोजित संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर राज्य में अभियान समिति के गठन के पूर्व से ही प्रदेश में श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के नाम से एक संगठन कार्यरत रहा आ रहा था ।

उक्त समिति ने १५ सितम्बर १९८० को एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जिसमें प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम वेतन एवं अन्य मांगों को लेकर एक मांग पत्र स्वीकार कर राज्य स्तरीय आंदोलन का आह्वान किया था ।

इसके तुरन्त बाद बम्बई सम्मेलन के निर्णयानुसार राज्य में राज्य अभियान समिति के गठन के लिए ९ अगस्त ८१ को जयपुर में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन महावीर दिगम्बर जैन स्कूल के हाल में आयोजित किया गया । सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश के विरोध में काला दिवस मनाने तथा अन्य मांगों पर विचार कर निर्णय लिया गया ।

केन्द्रीय अभियान समिती के आह्वान पर २८-११-८१ को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन की तैयारी में प्रांत में विभिन्न केन्द्रों पर सभाएं आयोजित कर दिल्ली प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कदम उठाये गये ।

केन्द्रीय अभियान समिति के आह्वान पर १९ जनवरी ८१ को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाने में राज्य में पूरी तैयारी में अभियान समिति द्वारा त्रुटि एवं हमारे संगठनों ने भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी स्तर पर प्रयत्न किये गये ।

--------७

अभियान समिति ने राज्य के सूती मिल मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में १५ मार्च ८२ को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल को सफल बनाने के लिए कदम उठाया और यह हड़ताल ~~बबबब~~ सफल भी हुई ।

अभियान समिति ने राज्य कर्मचारियों द्वारा १८ मार्च ८२ से आयोजित अनिश्चित कालीन हड़ताल का समर्थन देने के लिए तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता शुरू करने के लिए दिनांक ६ अप्रैल ८२ को एक दिन का बंद का ~~आव्हान~~ भी अभियान समिति ने आह्वान किया था ।

समिति ने १६ जून १९८२ से आयोजित ६०,००० बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन देने तथा राज्य सरकार एवं बिजली बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता शुरू करने के लिए भी वह कार्यक्रम हाथ में लिए जिसमें १०-७-८२ से १५-७-८२ तक संयुक्त प्रदर्शन आयोजित करने तथा जयपुर में आम औद्योगिक हड़ताल का भी नारा दिया था ।

इसी तरह अभियान समिति ने केन्द्रीय अभियान समिति के उन सभीआह्वानों को पूरा करने में पहल की । साथ ही राज्य के श्रमिकों की बुनियादी मांगों के सम्बन्ध में भी एक १८ सूत्री मांग-पत्र पर आन्दोलन ~~स्थगित~~ संगठित किया। जिसमें ५-१-८३ को प्रान्तव्यापी मांग दिवस मनाने का आह्वान, ४-८-८३ को श्रम कानूनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधन कर श्रमिकों एवं ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर कुठाराघात के विरुद्ध ट्रेड यूनियन अधिकार दिवस मनाने का आह्वान,२-८-८३ को दिल्ली स्थित ताल कटोरा मैदान में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के सम्मेलन की सफलता के लिए कार्य । १ अक्टूबर ८३ को सूती मिलों में कार्यरत श्रमिकों के संगठन प्रतिनिधियों में ब्यावर में सम्मेलन, जे०के० सिन्थेटिक्स कोटा में छंटनी के विरुद्ध संघर्ष में अभियान समिति कोटा जाकर श्रमिकों को सहयोग देने की अपील आदि कार्य किया है ।

राज्य में ट्रेड यूनियन मोर्चे पर विभिन्न संगठनों की स्थिति

मौजूदा स्थिति में राज्य में ५ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों कार्यरत है । इसके अलावा इण्टक,सीटू से निकले हुए दो ग्रुप अपना पृथक अस्तित्व बनाये हुए हैं । एटक,भारतीय मजदूर संघ,हिन्द मजदूर सभा और सीटू की संयुक्त श्रमिक अभियान समिति राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय अभियान समिति के अंग के रूप में कार्य कर रही है । इस समिति के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हमने ऊपर दिया है । उपरोक्त अभियान समिति से बाहर सीटू से निकले का० मोहन पूनमिया राजस्थान सीटू के नाम से अपना अलग संगठन चला रहे हैं । इस अर्से में उन्होंने दो बार अपने

संगठन का अलग राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया था । राजस्थान इण्टक से निकले दामोदर मौर्य भी अलग से एक संगठन का संचालन कर रहे है । वे भी अपने संगठन का अलग से प्रदर्शन आयोजित कर चुके है ।

[redacted] की राज्य कार्यकारिणी [redacted] ने सन् १९८२ में यह निर्णय लिया था कि अभियान समिति में व्यापक एकता के लिए उपरोक्त दोनों गुपों को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न करना चाहिये । सीटू के नेतृत्व द्वारा बार-बार इस प्रस्ताव का विरोध किया गया । आज भी वे स्थानीय स्तर पर या कारखानों में भी संयुक्त कार्यक्रम में राजस्थान सीटू के साथ किसी भी प्रकार की संयुक्त कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है ।

इस बीच १० अप्रैल ८३ को का० मोहन पुनमिया। का० दामोदर मौर्य और का० विशनसिंह शेखावत के संयुक्त हस्ताक्षरों से ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाए जाने के कदम से हमारे साथियों में असंतोष व्याप्त हुआ है और का० पुनमिया के क्रियाकलापों का विरोध होना शुरु हो गया है ।

अभियान समिति में हिन्द मजदूर सभा एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों का इन दोनों संगठनों को साथ लिये जाने पर दबाव पड़ रहा है । लेकिन सीटू एवं अपने साथी अभी इस सम्बन्ध में तैयारी नहीं कर पाये है । २१ अगस्त ८३ को दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय अभियान समिति के द्वितीय सम्मेलन में व्यक्त की गई भावनाओं के आधार पर अब इन दोनों संगठनों को भी अभियान समिति में सम्मिलित किये जाने तथा बाकी सभी केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के संगठनों को भी सम्मिलित कर एक व्यापक एकता कायम करने की बात हो रही है, जिस पर हमें अपनी नीति निर्धारित करनी है ।

राजस्थान राज्य कर्मचारियों की ३७ दिन की हड़ताल

राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के महासंघ द्वारा दिनांक १५-३-८२ को विधान सभा के सामने वेरी आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था । इस प्रदर्शन में भी मोहनलाल जैन के महासंघ ने भी भाग लिया ।उसी प्रदर्शन के समय आयोजित सभा में १८ मार्च १९८२ से हड़ताल की घोषणा की गई एवं १७-३-८२ को सचिवालय के सामने प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा गया और यह निर्णय लिया गया कि १७-३-८२ को दोपहर के बाद सभी कर्मचारी अपने आफिस छोड़कर प्रदर्शन में शरीक होंगे । इस हड़ताल का संचालन दोनों महासंघों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किया गया था ।

------- ९

सरकार यह मानती थी कि दोनों महासंघ एक होकर नहीं चलेंगे एवम् इस कारण फूट पैदा होगी और उसका फायदा सरकार उठा सकेगी जिससे आन्दोलन विफल होगा लेकिन घटनाक्रम ने सरकार का ऐसा सोचना गलत साबित कर दिया ।

यह आंदोलन प्रभावी रूप से महासंघ के आह्वान पर प्रारम्भ हुआ। राज्य कर्मचारियों में महासंघ का आंदोलन में अग्रणी भूमिका के कारण उसकी साख बनी और दूसरे महासंघ को भी साथ में लेकर संघर्ष को और तेज करने का निर्णय किया और जो आंदोलन का साथ नहीं देंगे वे कर्मचारी वर्ग से जुट जाने की स्थिति बन सकती है इस बात को ध्यान में लेकर एकता कायम हुई ।

२८ मार्च को आंदोलन तेज हुआ और वार्ता में भाग लेने वाले सभी साथी गिरफ्तार कर लिये गये ।

राज्य के श्रमिक संगठनों ने वार्ता पुन: आरम्भ कराने एवं आंदोलन को सहयोग प्रदान करने के लिए २-४-८२ को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक आयोजित कर ५-४-८२ को सोलिडेरिटी डे मनाने का आह्वान किया गया । राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन की १६ जनवरी, ८३ को हड़ताल और सरकार की नीति

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा देश भर में १६ जनवरी, ८३ को एक दिन के औद्योगिक बन्द का आह्वान पर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन ने राज्य भर में एक दिन की हड़ताल रखी । इस हड़ताल को विफल करने के लिए निगम प्रशासन और सरकार ने पूरी तैयारी की लेकिन हड़ताल को टाल नहीं सके ।

रोडवेज की अपनी यूनियन ने पूर्व में जो गुप्त मतदान में विजयी होकर मान्यता प्राप्त की थी । सरकार यूनियन की ताकत को कम करने के लिए सभी प्रकार के हथकण्डे उपयोग में ले रही थी । १६ जनवरी की हड़ताल निगम और सरकार के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने आयी ।

हड़ताल के तुरन्त बाद यूनियन के अध्यक्ष का० एम०एल०यादव को आरोप पत्र जारी किया गया और उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया । इसके बाद ही यूनियन के तमाम सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को उनके कार्य स्थानों से

----- १०

दूर-दूर स्थानान्तरित करने, सेवा से निलम्बित करने, धारा १३ स्थाई आदेश के अन्तर्गत बिना किसी चार्जसीट व जांच कार्यवाही के सेवा से निलम्बित करने का कार्य भी व्यापक पैमाने पर किया गया । यूनियन कार्यकारिणी की बैठक में अपनी यूनियन पर हुए हमले के सम्बन्ध में चर्चा हुई और इस कदम का हर स्तर पर मुकाबला करने का भी निर्णय लिया गया ।

रांडवेज यूनियन के निगम में कार्यरत अन्य श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रुप से इस हमले का मुकाबला करने का निर्णय लिया । लेकिन अन्य यूनियनों द्वारा संयुक्त कार्यवाही में रुचि न लेने पर यूनियन के आम श्रमिकों की भावनाओं तथा श्रमिकों में व्याप्त डिमोरेलाइजेशन के कारण कुछ न कुछ आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाथ में लिये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।

उक्त निर्णय के अनुसार १६-२-८२ को प्रांत स्तर पर काला दिवस मनाया गया । दिनांक ५-३-८३ को विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया गया ।

उपरोक्त कार्यक्रम के बाद यूनियन की ओर से ३-६-८२ को प्रान्त स्तर हड़ताल के लिए मतदान का निर्णय लिया गया । गुप्त मतदान के परिणामों की घोषित करने के साथ ही निगम कर्मचारियों द्वारा ६-६-८२ को राज्य स्तरीय प्रदर्शन की घोषणा की गई ।

इस बीच केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा हस्तक्षेप करने व उनके द्वारा निगम नियोजक प्रतिनिधि से बातचीत करके परिणामस्वरूप श्रमिकों की कुछ मांगों पर आश्वासन के आधार पर प्रस्तावित प्रदर्शन और तत्सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम स्थगित कर दिये गये ।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अन्य मांगों घर एवं श्रमिकों की सेवा मुक्ति, कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण आदि के सिलसिले में कोई प्रगति नहीं होने पर यूनियन के नेतृत्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह फिर बन गया ।

नेतृत्व में यह भावना पैदा हुई कि अगर उक्त आंदोलन स्थगित नहीं किया जाता तो जो जोश श्रमिकों में उस वक्त था उसे आंदोलन की ओर मोड़कर कुछ न कुछ फैसला कराया जा सकता था ।

----- ११

इसी दौरान निगम प्रशासन ने का० यादव को पदोन्नति देकर श्रमिक संगठनों के लिए कार्य करने से रोकने का प्रयत्न किया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई जो अभी भी विचाराधीन है । साथी यादव को एक लंबे अर्से तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया और उन्हें करीब एक वर्ष से वेतन भी नहीं मिल रहा है ।

इन तमाम संघर्षों एवं दमन के बीच मई, १९८३ में यूनियन का आठवां प्रान्तीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ ।

सम्मेलन को असफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन सम्मेलन सफल रहा । एटक के महामंत्री का० इन्द्रजीत गुप्त ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और का० एच० के० व्यास ने समापन ।

विद्युत मण्डल कर्मचारियों एवम् श्रमिकों की ५७ दिन की हड़ताल एवम् [redacted] की भूमिका

राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का १७ वां प्रांतीय अधिवेशन २५ व २६ अप्रेल, १९८२ को जयपुर में सम्पन्न हुआ था । इस सम्मेलन में अखिल भारतीय बिजली कामगार महासंघ के महामंत्री साथी ए० बी० वर्धन भी उपस्थित थे जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया । इस सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों की मांगों पर संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

सम्मेलन के बाद बिजली कर्मचारियों में कार्यरत विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन का निर्णय लिया जाकर १९-५-८२ से अनिश्चित कालीन हड़ताल का नोटिस संयुक्त रूप से जारी किया गया ।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि इस बीच इंटक में दामोदर मौर्य गुट बाहर निकल जाने से बिजली कर्मचारियों में संयुक्त संघर्ष की स्थिति में मजबूती आयी । जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कर्मचारियों में व्यापक एकता कायम हुई और श्रमिक १९-५-८२ से हड़ताल पर चले गये ।

राज्य सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को गैरकानूनी करार देकर कर्मचारियों की धुंआधार गिरफ्तारी शुरू कर दी । पूरे राज्य में बिजली कर्मचारियों की व्यापक गिरफ्तारी राजस्थान के श्रमिक आंदोलन के लिए एक चुनौती सी बन गई थी । बावजूद आफिसियल इंटक संगठन के विरोध के हड़ताल पूर्णतः सफल रही और राज्य भर में करीब ६५००० श्रमिक हड़ताल पर डटे रहे । संघर्ष समिति के कुछ साथियों को छोड़कर अन्य सभी गिरफ्तार हो गये । और विरोध स्वरूप जयपुर जेल में भी एटक के साथियों के नेतृत्व में भूख हड़ताल शुरू की गई ।

कर्मचारियों के आंदोलन को बल देने और सरकार को वार्ता के लिए मजबूर करने के लिए राज्य की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने (कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर) माणक चौक चौपड़ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी ।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में हमारे जोधपुर डिवीजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सबसे अधिक पुलिस दमन और अन्य प्रकार के प्रशासनिक दमन की कार्यवाही जोधपुर डिवीजन के साथियों को भुगतनी पड़ी ।

राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी मांगों का निपटारा नहीं किये जाने की नीति अपनाने के कारण अभियान समिति के आह्वान पर ६ जुलाई को राजस्थान में एक दिन की औद्योगिक हड़ताल का नारा दिया गया । सरकार द्वारा श्रमिकों से वार्ता शुरू करने के आश्वासन पर ६ जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने और भूख हड़ताल पर बैठे राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से भूख हड़ताल वापिस लिये जाने की अपील की गई ।

बिजली कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता में गतिरोध के कारण १५-७-८२ को जयपुर में एक दिन की औद्योगिक हड़ताल का नारा दिया गया जिसका का० मोहन पुनमिया ने विरोध किया । लेकिन उसी दिन सात सूत्री मांगों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर के आश्वासन और लिखित अपील पर संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस ले ली । लिखित अपील और मौखिक आश्वासन में समस्त कर्मचारियों को कार्य पर लेने, जेल में बंद कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के तहत तुरन्त रिहा किये जाने, हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश और आगे अर्जित अवकाश में समायोजित कर वेतन का भुगतान करने, बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करने, निकट भविष्य में अंतरिम राहत की घोषणा करने आदि के सम्बन्ध में सद्भावनापूर्ण प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की बात को आधार बना कर संघर्ष समिति ने हड़ताल वापिस ले ली ।

हड़ताल को वीपीसि लेने के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने दिये गए मौखिक आश्वासनों का पालन करने से इंकार कर दिया । बिजली कर्मचारी एक लंबी हड़ताल के बाद उक्त आश्वासनों की पूर्ति के लिए तुरन्त किसी प्रकार के संघर्ष के लिए उठ खड़े होते, यह संभव नहीं था ।

अभी संगठन अलग-अलग अपने- अपने स्तर पर विविलमाइजेशन के विरुद्ध एवं श्रमिकों को नौकरी पर पुन: रखवाने के क्रियाकलाप में जुट गये ।

राज्य सरकार एवं विद्युत मंडल ने इस अर्से में सब इंटक से सम्बन्धित संगठन से वार्ता करके श्रमिकों की मांगों को पंच फैसले के लिए सौंप दिया । बिजली कर्मचारियों

----- १३

की संयुक्त संघर्ष समिति एक लम्बे अर्से तक इस सम्बन्ध में आश्वासनों के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र व्यवहार द्वारा एवं अन्य प्रकार से आंदोलन चलाती आयी है और इस बीच कुछ घण्टे कामबंदी आदि का भी निर्णय लिया । इस आंदोलन की शिथिलता मण्डल पर व सरकार पर विशेष प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हो पायी ।

इस बीच संयुक्त संघर्ष समिति में से भारतीय मजदूर संघ का हिस्सा अलग हो गया और उन्होंने आम घोषणा करके आंदोलन का विरोध भी किया ।

बिजली कर्मचारियों की ५७ दिन की ऐतिहासिक हड़ताल से कर्मचारियों के लिए कुछ राहत प्राप्त करने में हमें तत्काल कामयाब नहीं हो पाए ।

राजस्थान में सूत मिलों का आन्दोलन

राजस्थान में सन् १९७३ से ही यह परम्परा चली आयी है कि इस उद्योग में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संगठन संयुक्त रुप से श्रमिकों की मांगों पर आंदोलन आयोजित कर समझौते के जरिये मांग हासिल करती आई है । इसी परम्परा के अन्तर्गत मार्च १९८२ में संयुक्त श्रमिक समिति के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल व जुलाई ८२ में एक समझौता सम्पन्न हुआ । और श्रमिकों को आन्तरिक राहत प्राप्त हुई । उक्त समझौते एक वर्ष के लिए किया गया था । और यह निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष के बाद मांग पत्र पर वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्त समझौता अनुसार सन् १९८३ में संयुक्त रुप से पुन: उक्त मांगों पर वार्ता के लिए मांग की गई । यहां हम इस बात का उल्लेख किया जाता है कि राजस्थान में सूती मिलों के मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में इंटक भी सम्मिलित अन्य केन्द्रीय संगठनों के साथ सम्मिलित होती आई है ।

बम्बई के सूती मजदूरों के आन्दोलन के जो परिणाम निकले उसके बाद राजस्थान के सूती मिलों के मालिकों ने मांग पत्र पर विचार करना तो दूर रहा बल्कि वे १९८२ में समझौते के अन्तर्गत भुगतान किये गये एक मुश्त रकम ३५ रुपये को बढ़े हुए महंगाई सूचक आंकड़े के एवज में भुगतान योग्य महंगाई भत्ते में समायोजित किये जाने की मांग करने लगे । मिल मालिकों के समझौता वार्ता में असहयोग की नीति के परिणामस्वरुप उत्पन्न स्थिति पर विचार हेतु अभियान समिति के १ अक्टूबर ८३ को व्यावर में सूती मिलों में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया । सम्मेलन में राजकीय सूती मिलों के कामगारों की स्थिति पर विचार करने के बाद राज्य व्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया गया ।

------१४

की संयुक्त संघर्ष समिति एक लम्बे अर्से तक इस सम्बन्ध में आश्वासनों के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र व्यवहार द्वारा एवं अन्य प्रकार से आंदोलन चलाती आयी है और इस बीच कुछ घण्टे कामबंदी आदि का भी निर्णय लिया । इस आंदोलन की शिथिलता मण्डल पर व सरकार पर विशेष प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हो पायी ।

इस बीच संयुक्त संघर्ष समिति में से भारतीय मजदूर संघ का हिस्सा अलग हो गया और उन्होंने आम घोषणा करके आंदोलन का विरोध भी किया ।

बिजली कर्मचारियों की ५७ दिन की ऐतिहासिक हड़ताल से कर्मचारियों के लिए कुछ राहत प्राप्त करने में हमें तत्काल कामयाब नहीं हो पाए ।

राजस्थान में सूत मिलों का आन्दोलन

राजस्थान में सन् १९७३ से ही यह परम्परा चली आयी है कि इस उद्योग में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संगठन संयुक्त रुप से श्रमिकों की मांगों पर आंदोलन आयोजित कर समझौते के जरिये मांग हासिल करती आई है । इसी परम्परा के अन्तर्गत मार्च १९८२ में संयुक्त श्रमिक समिति के आहवान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल व जुलाई ८२ में एक समझौता सम्पन्न हुआ । और श्रमिकों को आन्तरिक राहत प्राप्त हुई । उक्त समझौते एक वर्ष के लिए किया गया था । और यह निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष के बाद मांग पत्र पर वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्त समझौता अनुसार सन् १९८३ में संयुक्त रुप से पुन: उक्त मांगों पर वार्ता के लिए मांग की गई । यहां हम इस बात का उल्लेख किया जाता है कि राजस्थान में सूती मिलों के मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में इंटक भी सम्मिलित अन्य केन्द्रीय संगठनों के साथ सम्मिलित होती आई है ।

बम्बई के सूती मजदूरों के आन्दोलन के जो परिणाम निकले उसके बाद राजस्थान के सूती मिलों के मालिकों ने मांग पत्र पर विचार करना तो दूर रहा बल्कि वे १९८२ में समझौते के अन्तर्गत भुगतान किये गये एक मुश्त रकम ३५ रुपये को बढ़े हुए महंगाई सूचक आंकड़े के एवज में भुगतान योग्य महंगाई भत्ते में समायोजित किये जाने की मांग करने लगे । मिल मालिकों के समझौता वार्ता में असहयोग की नीति के परिणामस्वरुप उत्पन्न स्थिति पर विचार हेतु अभियान समिति के १ अक्टूबर ८३ को व्यावर में सूती मिलों में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया । सम्मेलन में राजकीय सूती मिलों के कामगारों की स्थिति पर विचार करने के बाद राज्य व्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया गया ।

------१४

राज्य के श्रम मंत्री और श्रम विभाग के मध्यस्थता कर मांगों के निपटारे के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कियां गया ! लेकिन स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

जयपुर मेटल्स में श्रमिक विरोधी समझौता और आंदोलन

जयपुर स्थित जयपुर मेटल्स कारखाने में कार्यरत श्रमिकों पर दमन के खिलाफ मई १९८४ में आमरण अनशन का कार्यक्रम चला जिसमें श्रमिक यूनियन के तमाम पदाधिकारी आज सेवा से निलम्बित चल रहे है ।

जनवरी १९८४ को राजस्थान के दैनिक अखबारों में जयपुर मेटल्स में एक श्रमिकों और आयोजकों के उक्त समझौते में कारखाने को बचाने तथा १६०० श्रमिक तथा कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के नाम पर पांच वर्ष के लिए वेतनजाम की शर्तों के साथ उत्पादन में कटौती व दुगुनी वृद्धि तथा अन्य श्रमिक हित विरोधी शर्तों सहित यह समझौता लागू कराने के लिए नियोजकों द्वारा पहल की ।

आरम्भ में इस समझौते पर मान्यता प्राप्त भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन तथा इंटक ने हस्ताक्षर किये । नियोजकों ने कारखानें में कार्यरत स्टाफ यूनियन के पदच्युत अध्यक्ष से भी यूनियन के पदाधिकारी के तौर पर हस्ता-क्षर करवा लिये ।

समझौते में उल्लेखनीय शर्तों में इस बात का भी उल्लेख था कि जो श्रमिक इस समझौते की स्वीकृति बावत लिखित घोषणा नहीं करता उस श्रमिक को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । स्मरण रहे कि यह उद्योग सन् १९७७ से प्लीफ अण्डरटेकिंग है तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रम कानून हम पर लागू नहीं होता । उक्त समझौते के तुरन्त बाद नियोजकों ने विभिन्न अवसरों पर लगभग ४०० कर्मचारियों व श्रमिकों को सेवामुक्त कर दिया तथा उत्पादन के गलत आधार बनाकर वेतन में से १३ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक वेतन कटौती कर दिया। हमारे यूनियन के भी साथियों ने परिस्थितियों के वशीभूत होकर बाद में जाकर समझौता पर हस्ताक्षर कर दिये थे ।

इस समझौते ने जहां श्रमिक आन्दोलन को क्षति पहुंचाई है वहां पर खुद जयपुर मेटल के मजदूरों को भी क्षति पहुंचाई है ।

विभिन्न क्षेत्रोंपर अपने संगठनों का कार्य

अलवर :- अलवर जिले में अलवर शहर को छोड़कर भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र जो दिल्ली तथा हरियाणा से लगा हुआ है में अपना विभिन्न कारखानों में संगठन मौजूद है । इस क्षेत्र में किसी अन्य केन्द्रीय संगठन का अभी तक कोई विशेष

प्रभाव नहीं है । हमारे संगठन ने वहां कई लड़ाईयां लड़ी है और ओरिएन्ट सिन्थेक्स नामक कारखाने के सामने मालिकों के इशारे पर गेट मीटिंग के समय पुलिस की गोली से अपना एक बहुत ही नौजवान कार्यकर्त्ता शहीद हो गया और कई अन्य कार्यकर्त्ता घायल हो गये । वहां के श्रमिकों के नेता साथी श्रीराम यादव कई दिनों तक पुलिस के अत्याचारों के शिकार हुए और उन्हें और कई साथियों को हाई कोर्ट से जमानत पर छुड़ाया गया और करीब ६० श्रमिक कार्यकर्त्ताओं पर संगीन मुकदमें चल रहे हैं । जहां तक अलवर शहर का तालुकात है रोडवेज, विद्युतीघर, सिनेमा । तांगा चालक इत्यादि यूनियनें कार्यरत हैं ।

अलवर जिले में कुल मिलाकर १८ यूनियनें मौजूद है लेकिन ये सभी यूनियनें आवश्यक नेतृत्व जन संगठन में कार्य के लिए आवश्यक सूझ बुझ वाले साथियों के अभाव में चल रहे हैं ।

खेतड़ी :- झूंझनूं जिले में स्थित खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट में अपनी यूनियन जो बहुमत यूनियन थी । जनता राज में गुप्त मतदान के अवसर पर स्थानीयवाद और जातिवाद के प्रभाव से भारतीय मजदूर संघ के सामने ४०० वोटों से परास्त हो गई ।

गुप्त मतदान के अवसर पर अपनी यूनियन के खिलाफ सभी वर्गों ने जिसमें सीटू भी सम्मिलित है, कार्य किया लेकिन गुप्त मतदान में परास्त होने के बावजूद भी अपनी यूनियन का प्रभाव आम श्रमिकों में इतना गहरा था और है कि नियोजकों पक्ष को बिना अपनी यूनियन को विश्वास में लिये कोई भी निर्णय करने में सफल नहीं है । पिछले दिनों वहां के कच्ची बस्ती के निवासियों की कठिनाईयों को लेकर अपनी यूनियन के कार्यकर्त्ताओं ने पुलिस जुल्म के खिलाफ आंदोलन किया जिसमें वहां का प्रशासन यूनियन के कार्यकलापों में असन्तुष्ट होकर एक कच्चे की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस ने जानबुझ कर यूनियन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जिन्हें काफी लंबे अर्से तक परेशानी उठानी पड़ी ।

वर्तमान स्थिति में इस संगठन ने अपनी स्थिति पुनः अच्छी बना ली है । इस संगठन ने अपना पहल अन्य खानों में भी बढ़ा लिया है । मौजूदा स्थिति में श्रमिकों के वेतन, महंगाई भत्ता। पद वर्गीकरण आदि विषय पर पूरे कोपर प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों के साथ हमारा संगठन वार्ता कर रहा है जिसमें प्रमुख भूमिका हमारे संगठन की ओर से अदा की जा रही है । इस संगठन का अधिकांश: कार्य केन्द्रीय स्तर पर होने के नाते सटक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा का० पार्वती कृष्णन के निर्देशन में चलता है । वेतन आदि से सम्बन्धित मामलात पर का० पार्वती

कृष्णन जो यूनियन की अध्यक्ष भी है । अन्य प्रतिनिधियों के साथ भाग लेते है । राज्य केन्द्र का कार्य केवल मात्र संगठनात्मक विषयों से सम्बन्धित है ।

अजमेर जिला :- अजमेर जिले में प्रमुख कार्य ब्यावर में है । जहां टेक्सटाईल लेबर यूनियन का मुख्य कार्य है । वहां के स्थानीय ३ टेक्सटाईल मिलों में हमारी बहुमत यूनियन है मौजूदा स्थिति में श्री कृष्णा मिल के बंद होने से सदस्यता में प्रभाव पड़ा है फिर भी बाकी की दोनों यूनियन बहुमत में है ।

ब्यावर का मजदूर वर्ग अपने ऐतिहासिक आंदोलन की परम्पराओं को लेकर अपने अधिकारों के संघर्ष में अग्रणी भूमिका अदा करते आये है । पूर्व में स्डवर्ड एवं महालक्ष्मी मिल को चालू कराने के लिए जो निरन्तर संघर्ष किया था और उनमें सफलता प्राप्त की थी उसी प्रकार पिछले १ वर्ष से कृष्णा मिल को पुन: चालू कराने के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे है । इस आंदोलन में प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सत्याग्रह आदि हमारे संगठन में अग्रणी भूमिका अदा की है ।

ब्यावर में टेक्सटाईल लेबर यूनियन के अलावा अन्य यूनियनें भी कार्यरत है जिसमें बिजली कर्मचारी, खान श्रमिक, लघु उद्योग, बिजयनगर में सीमेन्ट एवं टेक्सटाईल मजदूरों की यूनियनें, किशनगढ़ में पावरलूम तथा टेक्सटाईल मजदूरों की यूनियन, टेलरिंग मजदूर यूनियन, अजमेर में रिक्शा मजदूर यूनियन, आटो टैक्सी मजदूर यूनियन, लघु उद्योग मजदूर यूनियन आदि में एटक के कार्यकर्त्ता एवं साथी कार्य कर रहे है ।

पाली :- पाली में अपना मुख्य कार्य टेक्सटाईल मिल में है । जो कपड़ा मजदूर यूनियन के नाम से कार्य करती आ रही है । ये यूनियन जहां संगठनात्मक दृष्टिकोण से सुसंगठित है वहीं दुसरे संगठनों में अपना प्रभाव बनाये हुए हैं । पाली में इस यूनियन के अलावा कमठा मजदूर तथा प्लास्टिक मजदूरों की भी यूनियन कार्यरत है ।

जयपुर जिला :- जयपुर में राज्य केन्द्र होने के नाते विभिन्न राजकीय प्रतिष्ठानों का मुख्य कार्यालय स्थित है जिसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, राजस्थान कृषि उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान हाथ करघा मंडल आदि में अपना संगठन कार्यरत है । इसके अलावा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, फाटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र तथा शहर के मेटल एवं इंजीनियरिंग कारखानें में भी अपनी यूनियन कार्यरत है । सिनेमा, होटल आदि में अपने साथी कार्यरत है । इन संगठनों के अलावा राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन, बिजली कर्मचारी फेडरेशन आदि के प्रांतीय कार्यालय जयपुर में स्थित है । जयपुर के श्रमिक एवं राजनीतिक आंदोलन में मुख्य रुप से नीति औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के वर्ग जैसे जयपुर मेटल्स, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, फाटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, शहर के मेटल एवं इंजीनियरिंग कारखाने के श्रमिक

-------१७

मुख्य रुप से आंदोलनों में हिस्सा लेते आये है ।

राजकीय प्रतिष्ठानों के राज्य स्तरीय संगठन होने के नाते उनका विशेष सहयोग चाहे अभियान समिति के आहवान हो या स्थानीय संगठनों से सम्बन्धित मांगों को लेकर आंदोलन का सवाल हो आवश्यक सहयोग उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

जोधपुर :- जोधपुर शहर में अपना मुख्य कार्य जोधपुर शहर में स्थित डिविजनल यूनियनों द्वारा संचालित होता है । हमारे संगठन पी० डब्ल्यू० डी०, वागात व बिजलीघर तीनों ही संगठनों का कार्यक्षेत्र जोधपुर डीविजन है । ये तीनों संगठन राजकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र में है । इसके अलावा सिनेमा, आटो रिक्शा, वूलन मिल, इंजीनियरिंग आदि में हमारा संगठन कार्यरत है । जोधपुर शहर में प्रभावशाली संगठन एकमात्र एटक के ही संगठन है जो अभियान समिति या एटक के नारों को क्रियान्वित करने में पहल लेते है तथा स्थानीय संगठनों की समस्याओं को लेकर आयोजित संघर्ष में संयुक्त रूप से अपनी भूमिका संघर्षरत श्रमिकों के पक्ष में निभाते हैं ।

बीकानेर :- बीकानेर में प्रमुख भुमिका अपने अखिल भारतीय रेलवे वर्कर्स फेडरेशन तथा एटक से सम्बन्धित नोदर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन की रही है । रेलवे वर्कर्स के अलावा हमारा संगठन वन विभाग, पी० डब्ल्यू० डी०, तथा दुग्ध परियोजना और बिजलीघर में भी है । इन संगठनों में कार्य मुख्य रुप में दुग्ध योजना के श्रमिकों में अच्छा कार्य चल रहा है । यह संगठन नया होने के साथ विकास भी कर रहा है ।

श्रीगंगानगर :- श्री गंगानगर जिले में अपना टेक्सटाईल, सुगर मिल, रिक्शा तथा रोडवेज में कार्य है । इन संगठनों में सबसे पुराना संगठन गंगानगर शुगर मिल एम्पलाईज यूनियन है । दूसरा टेक्सटाईल मिल में कपड़ा मजदूर यूनियन है । गंगानगर जिले के ही हनुमानगढ़ में कोआपरेटिव मिल में अपनी एक यूनियन बनी है लेकिन इस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्य में नेतृत्व एवं झुझारु साथियों के अभाव में ट्रेड यूनियनों को चालना देने में कमी के कारण विकास अवरुद्ध हो रहा है ।

झालावाड जिला :- झालावाड जिला जयपुर से काफी दूर स्थित क्षेत्र है । वहां पर (भवानी मंडी) मैं टेक्सटाईल श्रमिकों की एक यूनियन, सिनेमा, नगरपालिका तथा सिंचाई कर्मचारियों का भी संगठन कार्यरत है ।

इन संगठनों में कार्य स्थानीय तौर पर संचालन होता है लेकिन केन्द्र से आवश्यक संपर्क स्थापित नहीं हो पाता ।

भवानी मंडी एक अलग-थलग पड़ा हुआ क्षेत्र है जहां टेक्सटाईल श्रमिकों में अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ अपना भी एक संगठन चल रहा है लेकिन इस क्षेत्र में भी संगठनों के कार्य में सूझबूझ तथा नेतृत्व देने वाले साथी के अभाव में विकास की संभावनाओं के बावजूद कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है । झालावाड़ खास में सिंचाई एवं नगरपालिका तथा सिनेमा कर्मचारियों की यूनियन को नेतृत्व देने वाले साथी मौजूद है लेकिन यूनियन के दैनदिन कार्य में जो सहयोग केन्द्र से प्राप्त हो-ना चाहिये हम प्रदान करने में सफल नहीं हो सके ।

कोटा :- औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित क्षेत्र है बड़े-बड़े कारखानें वहां स्थित है और ट्रेड यूनियन गतिविधियां में राज्य के अन्य केन्द्रों से आगे बढ़ा हुआ है ।

आरम्भ में सीटू के कार्यकर्त्ता यहां इन बड़े बड़े उद्योग में अपना फैलाव करने में कामयाब हुए ।

इस क्षेत्र में अपना संगठन मौजूद स्थिति में रामगंज मण्डी मेलाइम स्टोन श्रमिकों का एक संगठन है जो कि सन् १९८० में सटक से एफिलियेशन हु-आ था और उसके बाद उनसे सम्पर्क राज्य केन्द्र से नहीं हो पाया ।

कोटा में नगरपरिषद कर्मचारी यूनियन, सिनेमा कर्मचारी यूनियन, प्रेस कामगार यूनियन कार्यरत है ।

इन संगठनों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में स्थानीय

भरतपुर जिला :- भरतपुर में हमारे साथी सिमको, तेल मिल, रिक्शा मजदूरों में अपने संगठन चलाते है । अभी तक इन यूनियनों का सटक से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है ।

उदयपुर जिला :- उदयपुर जिले में जावर माईन्स में हमारी यूनियन है । इंटक की स्थापित मान्यता प्राप्त यूनियन के मुकाबले में हमारी यूनियन छोटी है फिर भी हम कई मामलों में पहल करते है । इसी क्षेत्र में मिनरल कारपोरेशन के कर्मचारियों का जो अखिल भारतीय स्तर के संगठन की शाखा है जिसके राज्य के विभिन्न केन्द्रों में १००० सदस्य कार्यरत है । यह संगठन भी हमारे सहयोगी संगठन के रुप में जावर माइन्स के अपने संगठन को मदद पहुंचाते आ रहे है ।

सीकर जिला :- सीकर जिले में हमारे तीव्र क्रियाशील यूनियनें हैं एक वाटर वर्क्स में तथा अन्य स्थानीय आरोग्य केन्द्र तथा तांगा यूनियन । यहां भी इन साथियों को नेतृत्व देने के लिए उपयुक्त साथी के अभाव में हम आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं ।

राज्य केन्द्र

राज्य कमेटी एटक द्वारागठित राज्य श्रम सम्मेलन, स्थायी समिति, श्रम कानून सरलीकरण समिति, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति आदि के कार्यों में भी समय समय पर एटक के प्रतिनिधि भाग लेकर एटक की नीतियों के आधार पर कार्य किया है ।

राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून सरलीकरण समिति में आरम्भ में का० जयन्तीलाल शाह एटक के प्रतिनिधि थे और उक्त समिति द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट को श्रम सम्मेलन द्वारा पुन: एक नई समिति को विस्तृत विवेचना हेतु प्रेषित किया ।

उक्त समिति ने विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जो राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा ।

इस अर्से में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन अनुसूचित उद्योगों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दर में संशोधन हेतु मांग पर न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति में महंगाई सूचक आंकड़े में वृद्धि के आधार पर वेतन दर में वृद्धि की मांग की गई थी । यह मांग पिछले करीब २० सालों से चली आ रही है ।

इस बार सिद्धान्त यह स्वीकार किया गया कि डा० ओमप्रकाश कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बढ़े हुए महंगाई का ७५ प्रतिशत अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों के वेतन पुन: निर्धारण के समय समायोजित किया जावे ।

उपरोक्त सर्वसम्मत प्रस्ताव पर सरकार के वित्त विभाग द्वारा अब तक स्वीकृति नहीं दी है जबकि श्रम विभाग से उक्त प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हुए भी काफी अर्सा गुजर चुका है ।

राजस्थान श्रम सम्मेलन की ---7---- बैठकें इस बीच सम्पन्न हुई उसमें अपने संगठन की ओर से महामंत्री का० के० विश्वनाथन् भाग लेते रहे हैं । सम्मेलन में सरकार की श्रमनीति संगठनों की शिकायतों पर विस्तृत चर्चा होती है जिसमें अपना पक्ष रखा जाता रहा है ।

एटक का इस सम्मेलन में प्रमुख रोल रहता आया है ।

----------२०

सम्मेलन में एक स्थायी श्रम समिति का भी गठन हुआ है जो सम्मेलनों के मध्य किसी विशेष मुद्दों पर विचार किया जाकर श्रम सम्मेलन को सिफारिश करे तथा श्रम सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णयों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही करें ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना व राज्य कर्मचारी भविष्य निधि योजना में भी एटक के एक सदस्य मौजूद है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एटक के महामंत्री सदस्य है इस अर्थ में जो उपलब्धी रही है वह रीजन बोर्ड द्वारा गठित उप समिति का कार्य है । यह समिति विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालयों का निरीक्षण करना, दवाओं की समुचित व्यवस्था की देखभाल, अंशदाताओं के दवाओं के बिल का समय पर भुगतान तथा चिकित्सालय की अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखने का कार्य यह समिति करती है ।

इस मध्य भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भिवाड़ी, सवाई माधोपुर आदि केन्द्रों का दौरा समिति ने किया है और वहां की व्यवस्थाओं पर नजर रखा गया है ।

रीजनल कमेटी की मीटिंग में नीतिगत विषयों पर भी निर्णय लिये गये है और डाक्टरों के दुर्व्यवहार भ्रष्टाचार , छुट्टियों के सम्बन्ध में डाक्टरों की मनमानी पर भी छानबीन की गई है ।

एटक के प्रतिनिधि द्वारा गंगानगर तथा जयपुर के चिकित्सालयों में दवाओं की चोरी सम्बन्धी केसों को भी दस्तावेज के साथ पेश किया है जिसपर जांच चल रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बोर्ड में जयपुर से का० एन०के०सोमानी सदस्य है । विभिन्न यूनियनों से श्रमिकों के भुगतान बाबत शिकायतों पर यहां से कार्यवाही की जाती है । लेकिन संतोषप्रद स्थिति इस विभाग की नहीं है।

जिन कारखाने दारों ने अपना हिस्सा रकम भुगतान नहीं किया है उक्त संस्थान के श्रमिकों की नियोजक पक्ष का अंशदान एक पोलिसी के तौर पर भुगतान नहीं करते । इस सवाल को केन्द्रीय स्तर पर उठाना आवश्यक है । राज्य केन्द्र ने इस पर कार्यवाही की है ।

कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही है कि श्रमिक फाईनल सैटलमेन्ट के लिए जो बैंक खाता संख्या फार्म में भरकर भेजते है उस पर उक्त खाता संख्या को बैंक से प्रमाणित कराकर भेजने की मांग की भी शिकायतें आती है । जिसपर राज्य केन्द्र से कार्यवाही की गई ।

राज्य कमेटी का गत अधिवेशन जैसाकि ऊपर उल्लेखीत है, १२-१३ अक्टूबर,८० को जयपुर में सम्पन्न हुआ ।

एटक के केन्द्र से तत्कालीन महामंत्री का० के०जी०श्रीवास्तव ने सम्मेलन में भाग लिया था । सम्मेलन में विभिन्न जिलों से १७६ प्रतिनिधियों तथा विशेष आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

सम्मेलन में प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा के उपरान्त रिपोर्ट स्वीकार किये गये और विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार करने के उपरान्त एक ४१ साथियों की कार्यकारिणी का गठन किया गया ।

सम्मेलन में भावी कार्य के रूप में निम्न कार्यक्रम स्वीकार किये गये :-

१- राज्य में अनुसूचित उद्योग में मौजूदा न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाकर न्यूनतम वेतन ३५० रूपये मासिक निर्धारित किये जाने के लिए अविकसित एवं असंगठित अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों को संगठित कर संघर्ष में उतारें ।

२- राज्य में ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत श्रमिकों का शोषण समाप्त करने के लिये कारखानों में तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एवं तथाकथित जासूसी संस्थानों द्वारा श्रमिकों के शोषण के विरूद्ध संघर्ष को तेज करें ।

३- श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में श्रम विभाग की उदासीनता तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का श्रम विभाग द्वारा दुरूपयोग के विरूद्ध आंदोलन संगठित किया जावें ।

४- साम्प्रदायिक एवं विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध देश की अखंडता एवं एकता तथा श्रमिक वर्ग में फैलाये जा रहे साम्प्रदायिक एवं स्थानीयतावादी नारों के विरुद्ध व्यापक श्रमिक मोर्चे के माध्यम से इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करें ।

५- सभी सम्बन्धित संगठनों का जिनका वार्षिक सम्मेलन अब तक सम्पन्न नहीं हुआ है उनका जनवरी ८१ के अन्त तक सम्मेलन सम्पन्न करायाजावे एवं प्रत्येक वर्ष राज्य का एवं एटक की लेवी और एफिलियेशन फीस राज्य व केन्द्र को प्रदान किया जावें ।

६- (१) जिले में एवं स्थानीय पैमाने पर सभी संगठित युनियनों का समन्वय स्थापित करने के लिए कौंसिल या समन्वय समिति का निर्माण किया जावें ।

(२) इस समन्वय समिति द्वारा एक दूसरे संगठन के आंदोलन में तथा अन्य विषय में मार्गदर्शन के लिए संयुक्त सलाहकार समिति का निर्माण किया जावें ।

३- स्थानीय समस्याओं एवं आन्दोलनों के सम्बन्ध में कौंसिल या उक्त समिति द्वारा दिशा निर्धारित किया जावें ।

------२२

(४) लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिक संगठनों के आंदोलनों में सम्मिलित समिति की भूमिका आवश्यक माना जावें ।

७- कारखानों में और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एप्रेन्टिस श्रमिकों को ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें उसी कारखाने में नौकरी की व्यवस्था करने में ट्रेड यूनियन द्वारा मांग की जावें ।

८- (१) खान, टैक्सटाईल उद्योग, म्यूनिसिपलटीज, सीमेन्ट उद्योग में नये सिरे से संगठन का निर्माण और मौजूदा संगठनों के समन्वय के सम्य समिति का औद्योगिक आधार का गठन ।

(२) टैक्सटाईल उद्योग में का० कल्याणसिंह के संयोजकत्व में कार्य में सभी साथियों के सहयोग की आवश्यकता ।

९- राजकीय संस्थानों में कार्यरत संगठनों का अभी हाल ही में गठित समन्वय समिति जिसके संयोजक का० डी०सी० भंसाली है को क्रियाशील बनाने में स्थानीय साथियों के सहयोग की आवश्यकता ।

१०- स्माल स्केल उद्योगों में एटक के नेतृत्व में चलने वाले संगठनों द्वारा आंदोलन के प्रति अपना दृष्टिकोण में आवश्यक सुधार ।

११- राज्य केन्द्र को व्यवस्थित संगठन कायम करने के उद्देश्य से दो पूरावक्ती साथियों का चयन ।

१२- अन्य केन्द्रीय संगठनों से तालमेल के साथ ही समन्वय समिति का पुन: गठन ।

उपरोक्त निर्णयों के सम्बन्ध में मूल्यांकन करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में लेना होगा कि सम्बन्धित निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए हम किस हद तक राज्य केन्द्र को सहयोग देने में कामयाब हुए ।

राज्य सम्मेलन के तुरन्त बाद एटक के ३१ वें०अधिवेशन विशाखापटनम में भाग लेने के लिए तैयारी में सभी लोग जुट गये और राज्य से १६ यूनियनों से ४१ साथियों ने सम्मेलन में भाग लिया। उक्त यूनियनों की सदस्यता संख्या १७६०१ है जबकि राज्य में एटक से सम्बन्धित संगठनों की कुल सदस्य संख्या ३६ हजार आंकी गई है ।

३१ वें अधिवेशन में राज्य को जनरल कौंसिल में ५ स्थान और कार्यकारिणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था । एक और स्थान राज्य के कोटे से रेलवे को दिया गया जो नार्थन रेलवे के प्रतिनिधि को चुना गया ।

गत सम्मेलन से अब तक के मध्य राज्य केन्द्र द्वारा कार्यकारिणी की ----- मीटिंगें आयोजित की गई ।

मीटिंगों में उपस्थिति संतोषप्रद नहीं रही और राज्य केन्द्र का संचालन भी एक व्यक्ति के जिम्मे ही रहा जो खुद भी अन्य कार्यों में व्यस्त रहे है ।

----- २३

राज्य केन्द्र का मुख्य कार्य केन्द्रीय कार्यालय से जारी परिपत्रों, केन्द्रीय कार्य समिति जनरल कौंसिल, केन्द्रीय अभियान समिति तथा राज्य अभियान समिति के आहवानों के आधार पर जिलों तथा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों को चालना देने के लिए पत्र व्यवहार और कभी-कभी केन्द्र से स्थानीय क्षेत्रों का दौरा मात्र रहा है। इन स्थितियों का मूल्यांकन करके कुछ ठोस कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए सन् १९८३ में हमने राज्य केन्द्र की संगठनात्मक स्थिति पर विचार कर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे जिसमें १९ जून ८३ को एटक के नेतृत्व में राज्य के श्रमिक वर्ग के ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रांतव्यापी प्रदर्शन जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय के साथ एटक को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तथा राज्य केन्द्र को सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक विशेष फंड अभियान चलाने का निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में एटक की तरफ से ५०,००० हजार रुपये का फण्ड एकत्रित करने का भी निर्णय लिया गया।

राज्य केन्द्र द्वारा बड़ौदा में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन, टैक्सटाईल उद्योगों के श्रमिक संगठनों का कलकत्ता सम्मेलन के सम्बन्ध में तथा एटक से सम्बन्धित यूनियन के सदस्यता, एफिलियेशन तथा लेवी आदि के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित यूनियनों को सूचना भेजी गई।

राज्य केन्द्र से सभी मुख्य मुख्य अभियानों, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रसारित निर्देशों को सम्बन्धित यूनियनों को भेजकर उनसे आग्रह किया जाता रहा है कि उक्त कार्यक्रमों को सफल बनावें।

संगठनात्मक स्थिति

राज्य में एटक से सम्बन्धित संगठनों की संख्या---------- है जिसमें से विशाखापटनम के अधिवेशन में भाग लेने वाले संगठनों की संख्या---------- ~~और भाग लेने वाले संगठनों की संख्या---------~~ थी जबकि वास्तविक सदस्यता जिनकी लेवी नहीं पहुंची थी उनको सम्मिलित किया जावे तो सदस्यता --------

बगलौर अधिवेशन में -------- संगठनों के -------- प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनकी सदस्यता ------------ होती है जबकि वास्तविक सदस्य संख्या --------- है।

जैसाकि ऊपर जिलों की स्थिति का विवरण दिया गया है उसको ध्यान में लिया जावे तो अधिकांश संगठन जिसका नेतृत्व अपने एटक के साथी ही करते हैं अभी तक विधिवत एटक से सम्बन्धित नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा यूनियनों

------- २४

की सदस्यता वैरीफिकेशन के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें राजस्थान में एटक से सम्बन्धित संगठनों की सदस्यता केवलमात्र ७००० बतायी गई है जबकि वास्तविक सदस्यता ४५००० से अधिक है ।

हमने एटक के निर्णयानुसार वैरिफिकेशन के कार्य में भाग नहीं लिया जिससे भारतीय मजदूर संघ व इंटक को अपनी सदस्यता बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने में सहुलियत मिली । हमारे संगठन जोकि अपनी वास्तविक सदस्यता की संख्या प्राप्त नहीं कर सके उसका एक कारण यह भी है कि हमारे साथी यूनियनों के वार्षिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करते । यूनियन की वास्तविक सदस्यता दर्ज नहीं करते एटक से विधिवत एफिलियेशन लेवी के भुगतान आदि में जो त्रुटियां रह जातीहैं उसके कारण रिटर्न फार्म में सही स्थिति दर्ज नहीं हो पाती ।

उपरोक्त कारणों से हमारे संगठन की वास्तविक सदस्यता का लाभ केन्द्रीय संगठन को प्राप्त नहीं हो पाता ।

हमने अपनी बैठक में इस बात पर कई बार जोर दिया कि स्थानीय पैमाने पर यूनियनों की आपसी समन्वय कायम करके एक दूसरे को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए जिला कौंसिलों का निर्माण किया जाना चाहिये ।

जोधपुर,जयपुर व अलवर जिलेमें जिला कोटियां मौजूद है अन्य स्थानों पर इस का अभावहै । अन्य खामियों की ओर जिलों की स्थिति का जहां विवरण दिया है उसको उल्लेखित है । पूर्व में हमने राज्य केन्द्र को लेवी दिये जाने के निर्णयों के आधार पर यूनियनों से २५ पैसा प्रति सदस्य प्रतिवर्ष भुगतान की मांग करते आ रहे है कुछ नगण्य संख्या में यूनियनों को छोड़कर बाकी संगठनों द्वारा राज्य लेवी नहीं देने की एक नीति अपना ली । परिणामत: सन् १९८३ में हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि राज्य लेवी वसूल न किया जावें । इस निर्णय के पीछे दूसरा एक कारण यह भी रहा कि केन्द्रीय कमेटी ने यूनियनों से १० पैसे के स्थान पर २५ पैसे वसूल करना तय कर दिया जिसका ५० प्रतिशत राज्य केन्द्र को दिये जाने का निर्णय था ।

उपरोक्त स्थिति ने राज्य केन्द्र को केन्द्र से थोड़ी सी राहत उपलब्ध होने की संभावनाएं बनी ।

केन्द्रीय एटक ने विशाखापट्टनम अधिवेशन के उपरान्त समय-समय पर आयोजित कार्यकारिणी एवं कौंसिल की बैठकों में एटक के संगठनात्मक स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता महसूस करती आई है ।

गत बंगलौर अधिवेशन के बाद एटक जनरल कौंसिल की एक बैठक अप्रेल ८४ को दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें बंगलौर अधिवेशन के निर्णयों के क्रियान्वयन

----- २५

तथा संगठनात्मक स्थिति पर विचार और निर्णय का विषय लिया गया ।

इस बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए एटक सेक्रेटरियेट की एक विस्तृत बैठक में संगठनात्मक निर्णय को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया और जिम्मा दिया गया ।

सेक्रेट्रियेट ने एटक के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रदेशों के साथियों को एवं एस०टी०यू०सी० को सहयोग देने एवं उक्त प्रदेशों को सम्पर्क बनाये रखने के लिए जिम्मा दिया गया । अपने प्रदेशराजस्थान के लिए का० पार्वती कृष्णन को जिम्मा दिया गया है ।

सेक्रेट्रियेट ने सभी प्रदेशों को यह जिम्मा दिया है कि वे अपने कार्य समिति एवं अन्य कार्यक्रमों की पूर्व सूचना केन्द्र को भेजे तथा कार्यकलापों की भी सूचना रिपोर्ट केन्द्र को भेजे ।

केन्द्रीय सेक्रेट्रियेट ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तर भारत के लिए मुख्यत: अन्य प्रदेशों के हिन्दी भाषी श्रमिकों के लिए हिन्दी में एक मासिक प्रकाशित किया जावे । जो ट्रेड यूनियन रैकार्ड का हिन्दी अंक है । इस सम्बन्ध में विस्तृत छानबीन और संभावनाओं को ध्यान में लेकर शीघ्रही इस सम्बन्ध में प्रदेशों को सूचित किया जायेगा ।

सेक्रेट्रियेट ने यह भी निर्णय लिया कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन २ या ३ माह के भीतर आयोजित किये जावे । जिसमें दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद एवं अलवर सम्मिलित किये जावे । इस सम्मेलन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है जिसमें का० वी०डी०जोशी, का० वाई० डी० शर्मा, का० रघुवीरसिंह, का० दर्शनसिंह, का० घनश्याम सिन्हा, का० सुखवीर त्यागी तथा एक साथी अपने अलवर से मनोनीत किये जाने है ।

सेक्रेट्रियेट ने विभिन्न औद्योगिक फेडरेशन के असंतोषपूर्ण स्थितियों पर विचार कर निर्णय लिया गया । सम्बन्धित फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने अपने सम्मेलन कराने के लिए तारीखें तय कर दी जिसमें उनके संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की जावे । ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ने उपरोक्त निर्णयानुसार १२ व १३ मई को अपना अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें राजस्थान से १७ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । का० एम०एल०यादव जो फेडरेशन के महासचिव पहले से हट गये और वे उपाध्यक्ष चुने गये ।

कार्यकारिणी में अपने राजस्थान से ------- साथी चुने गये है ।

का० गिरीश शर्मा फेडरेशन के मंत्री चुने गये है ।

----- २६

सेक्रेटरियट ने विभिन्न राज्यों के कमेटियों के संगठनात्मक स्थितियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि :-

१- राज्य कमेटी नियमित केन्द्र को रिपोर्ट करे ।

२- कार्य समिति की नियमित बैठकें आयोजित हो ।

३- मुख्य आंदोलनों की समीक्षा की जावे ।

४- अभियान समिति के कार्यक्रमों में राज्य स्तर पर राज्य कमेटियां पहल करे ।

५- राज्य केन्द्र कार्यालय में कम से कम एक उपयुक्त पूरावक्ती साथी की आवश्यकता ।

६- जिला कौंसिल का गठन तथा उसका फंक्शन

७- यूनियन के रेकार्ड की समुचित व्यवस्था तथा यूनियन द्वारा समय पर वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत कराना ।

८- सुनियोजित एस०टी०यू०सी० के विशेष फंड अभियान आयोजित करना ।

९- असंगठित श्रमिकों को संगठित करने के लिए तथा इस क्षेत्र में अपने विकास के लिए किसी एक साथी को मुख्य रुप से जिम्मा देना ।

साथियों ,

बगलोर अधिवेशन के निर्णयों के क्रियान्वयन का कार्य अपने सामने है ही जिसमें हमें ट्रेड यूनियन एकता के लिए स्थानीय स्तर पर पहल अपने हाथ में लेना है । व्यापक पैमाने पर श्रमिकों में इस एकता की आवश्यकता को प्रचारित करना है ।

असंगठित श्रमिकों को संगठित करने में हमारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । राज्य में हजारों० श्रमिक विभिन्न उद्योगों में असंगठित रह कर नियोजकों के शोषण का शिकार हो रहे है । चाहे वे खेत मजदूर हो, रूई पिन्दाई, सफाई, ऊन पिन्दाई सफाई, ईंट के भट्टों तथा चूने के भट्टों पर काम करने वालेहों पत्थर तुड़ाई, चुनाई, गोटा किनारी, बीड़ी उद्योग, पापड़ आदि उद्योगों में हजारों श्रमिक लगे हुए है । इन्हें संगठित करने का जिम्मा हमारा मुख्य जिम्मा मानकर हमें काम करना है ।

हमें अपने संगठन को चुस्त दुरस्त करने के लिए पटक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यों के अनुरुप हमें अपने काम करने के लिए भी राज्य केन्द्र को मौजूदा स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में लेकर हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने है ।

राज्य अभियान समिति ने राज्य के श्रमिक वर्ग के कुछ बुनियादी मांगों को लेकर राज्य व्यापी आंदोलन का भी कार्यक्रम अपने सामने है ।

आगामी १२ जुलाई को आंदोलन की शुरुआत जयपुर के औद्योगिक संस्थानों में एक दिन की हड़ताल के साथ शुरू होने जा रहा है ।

हमारे संगठन को इस आंदोलन में पहल करनी है । राज्य स्टर के इस ६ वें सम्मेलन के अवसर पर हम आने वाले दिनों में स्टर के आह्वान को ध्यान में रखकर आगे बढ़कर श्रमिकों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर व्यापक संघर्ष की तैयारी में जुटना होगा ।

साथियों,

पिछले तीन वर्ष से अधिक अवधि की अपने संगठन के कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य की स्थितियों का मूल्यांकन सहित आपके समक्ष प्रस्तुत है ।

रिपोर्ट में हो सकता है बहुत सी उन घटना चक्रों का उल्लेख सम्मिलित नहीं हो लेकिन हमारी राज्य केन्द्र की जैसी संगठनात्मक स्थितियां है उसको ध्यान में लेकर साथी लोग विचार करेंगे अपने सुझाव देंगे ।

अपने संगठन को और अधिक सुव्यवस्थित एवं शक्तिशाली , शोषित जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अपना अमूल्य . . सुझाव दें ।

आपका साथी

महामंत्री

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
राजस्थान राज्य कमेटी
६ वां सम्मेलन, ब्यावर (राजस्थान)
में
दिनांक २२, २३, २४ जून, १९८४

बंशी भक्त, ब्यावर
दिनांक २२ जून, १९८४ ई०

सम्मेलन से सम्बन्धित कार्यक्रम

२२-६-१९८४ सुबह ११ बजे से प्रतिनिधी कार्ड वितरण एवं नए यूनियनों के एटक से सम्बन्धता बाबत कार्यवाही ।

दोपहर १-०० बजे प्रतिनिधियों का दोपहर को खाने के लिये अवकाश ।

शाम ४-०० बजे प्रतिनिधियों को चाय के लिये अवकाश

शाम ५-०० बजे झण्डारोहण — का० फतेसिंह जी
तत्काल बाद प्रतिनिधी चांग गेट पहुंच कर सामूहिक रुप से स्वामी कुमारानन्द की मूर्ति का माल्यार्पण कर श्रद्धान्जली अर्पित करेंगे ।

शाम ५-३० बजे स्वागत भाषण — का० केसरीमलजी

विशेष आमन्त्रित साथियों एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत — का० गंगाराम योद्धा

शाम ६-०० बजे सम्मेलन का उदघाटन — का० एस०के० सम्याल
मंत्री
अ०भा०ट्रेड यूनियन कांग्रेस

विशेष आमन्त्रित विभिन्न सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सन्देश ।

सम्मेलन के लिये पिछले अधिवेशन से अब तक के कार्य की रिपोर्ट । — का० के०विश्वनाथन
महामंत्री, राजस्थान
राज्य कमेटी एटक

से

२३-६-१९८४ सुबह ६-०० बजे प्रतिनिधि सम्मेलन में रिपोर्ट पर बहस शुरु ।
दिन को १-०० बजे खाने के लिये अवकाश
मध्याह्न ३-०० बजे पुन: प्रतिनिधी सम्मेलन रिपोर्ट पर बहस जारी ।
मध्याह्न ४-३० बजे शाम प्रतिनिधियों के लिये चाय का अवकाश
५-५० बजे प्रतिनिधी सम्मेलन पुन: प्रारम्भ
खुला अधिवेशन
शाम ७-०० बजे आम सभा डिक्सन छत्री, पांच बत्ती
रात्रि ८-०० बजे प्रतिनियों के लिये रात्रि भोजन ।

२४-६-१९८४ ६-०० बजे प्रात: प्रतिनिधी सम्मेलन प्रारम्भ
रिपोर्ट पर बहस का जवाब तथा नए सत्र के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव ।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राजस्थान राज्य कमेटी)

के

२२, २३, २४, जून १९८४ को ब्यावर में होने वाले नवें अधिवेशन के अवसर

पर

स्वागताध्यक्ष का भाषण

माननीय अतिथि महोदय,
व
साथियों,

आप जिस ब्यावर शहर में एटक के नवें राज्य सम्मेलन में भाग लेने पधारे हैं यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ा हुआ शहर तो है ही औद्योगिक दृष्टि से भी एक महत्व पूर्ण केन्द्र है।

ब्यावर शहर जो अजमेर जिले के अधीन है यह जिला एक लम्बे अर्से तक एक अलग राज्य के रुप में अंग्रेजों के अधीन रहा है। आजादी के बाद भी राज्य एकीकरण के समय तक भी अजमेर जिला केन्द्र शासित जिला ही रहा है।

अंग्रेजों ने इस जिले को अपने अधीन इसलिए रक्खा कि इस राज्य के एक तरफ जोधपुर स्टेट दूसरी तरफ मेवाड़ स्टेट तथा तीसरी तरफ जयपुर स्टेट और अन्य छोटे राजाओं के राज्य रहे हैं ताकि इन राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखने, उन पर काबू पाने में आसानी हो।

आजादी के बाद इस जिले को नजरअन्दाज किया गया जिससे जो विकास इस जिले का होना चाहिए वह नहीं हो सका। अजमेर जिला और खास कर ब्यावर शहर प्राकृतिक सौन्दर्य का भी क्षेत्र रहा है और आज भी है। ब्यावर शहर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने से वर्षा के बाद यह क्षेत्र हरियाली से घिरा होता है जिसकी प्राकृतिक दृष्यावलि आपके मन को मोह लेगी।

इस शहर को १२५ साल पहले कर्नल डिक्सन ने बसाया था। उस समय इस शहर के वासिन्दे अपनी जीविका थाड़े डाल कर के ही साधन जुटाते थे जिस पर काबू पाने के लिए ही यह शहर बसाया गया था।

आजादी की लड़ाई के समय यह शहर क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों का कार्यक्षेत्र रहा है अन्य प्रान्तों से राजनैतिक एवं क्रान्तिकारी लोग आकर इस शहर एवं क्षेत्र को जहां अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग किया वही आस पास के सामन्ती राजा महाराजाओं के अत्याचारों के विरूद्ध संघर्षशील कार्यकर्त्ता व नेताओं का अभयारण्य भी रहा है, जिसमें श्री तख्तमल जैन, श्रीकृष्ण विजयवर्गीय, श्री जयनारायण व्यास आदि के नाम मशहूर हैं।

यह शहर बड़े बड़े क्रान्तिकारियों का भी कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें मध्यभारत राजपूताना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता एवं राजस्थान राज्य कमेटी एटक के अध्यक्ष पद पर रहे स्वर्गीय श्री स्वामी कुमारानन्दजी का नाम प्रमुख है।

ब्यावर शहर राजस्थान के अन्य केन्द्रों से काफी पूर्व में ही औद्योगिक केन्द्र के रुप में सामने आया। इस शहर में तीन सूती मिल है। जिसमें कृष्णा मिल की स्थापना १८८९ में हुई थी तथा एडवर्ड मिल की स्थापना १९०६ में और महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना १९२४ में हुई थी।

रूई व कपास साफ करने, गांठ बांधने, रूई ओटने आदि कार्यों के भी कई कारखाने इस शहर में उस समय लगे थे जो आज भी है। बीड़ी उद्योग का भी यहां काफी विस्तार हुआ है।

इस शहर की यह भी विशेषता रही है कि यहाँ मजदूर संगठन की नींव सन् १९२० में पड़ी और तब से बनते बिगड़ते मजदूर संगठन अपना कार्य करते आ रहे हैं। यहां का मजदूर आन्दोलन देश के कई भागों से और राज्य में भी सबसे पुराना है। यहां के श्रमिक आन्दोलन से अनुभव लेकर कई श्रमिक साथी देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक आन्दोलन में आगे बढकर कार्य कर रहे हैं।

हमें इस बात का भी गर्व है कि ब्यावर में कार्यरत एटक से सम्बन्धित टेक्सटाईल लेबर यूनियन राज्य का

कृपया पन्ना उलटिये

पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसका विधिवत पंजीयन सन् १९४२ में हुआ जबकि यूनियन की स्थापना इसके काफी पूर्व हो चुकी थी। टेक्सटाइल लेबर यूनियन का झंडा उस कठिन समय में भी लाल ही था।

आजादी के पूर्व अंग्रेजों के राज्य में इस संगठन के झन्डे के नीचे मजदूरों ने कई बड़े संघर्ष लड़े हैं। जिसमें १९३३ में ३½ महीने की हड़ताल १९३६ में 33 दिन की हड़ताल वेतन कटौती और बोनस की · ंग को लेकर लड़ी हैं। इन आन्दोलनों में मजदूरों ने कामयाबी भी हासिल की है।

सन १९४२ में टेक्सटाईल लेबर यूनियन के झन्डे के नीचे मजदूरों ने बोनस की लडाई लडी और वर्ष में तीन तीन बोनस यहां के मजदूरों ने प्राप्त किये है। बदली श्रमिकों को बदली देने नियुक्ति में पक्षपात समाप्त करने पुलिस गिरफ्तारी के खिलाफ आन्दोलन में भी कामयाबियां हासिल की है।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने अपनी प्रभुसत्ता कायम करने के लिए ५२ से ५७ के मध्य मजदूरों का खुलकर दमन करवाया लेकिन श्रमिक झुके नहीं। ब्यावर शहर के लडाकू सचेत श्रमिक वर्ग ने अपनी आर्थिक मांगों के अलावा जनता की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग के लिए भी संघर्ष किया जिसमें हमारे आठ साथियों को इन्टक के ईशारे पर मालिकों ने नौकरी से निकलवा दिया लेकिन श्रमिकों की एकता ने उन साथियों को वापस नौकरी में लाने में कामयाबी हासिल की।

सन १९६० में इन्टक द्वारा मालिकों से सांठ-गांठ कर मजदूर विरोधी समझौते के विरुद्ध संघर्ष में ३-४ सौ श्रमिकों को नौकरी से अलग कर दिया जिसमें ४२ साथी हमारे यूनियन के मुख्य कार्यकर्त्ता थे। मालिकों के उस हठधर्मी के विरुद्ध पूज्य स्वामी कुमारानन्दजी को भूख हड़ताल पर बैठना पडा। स्वामीजी के इस कदम ने हमारे केन्द्रीय नेतृत्व को भी चिन्तित कर दिया और उस समय का० एस०ए० डांगे ने खुद आकर स्वामीजी की भूख हड़ताल समाप्त कराई।

उस आन्दोलन के बाद आखिर में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़कर हम अपने साथियों को वापस नौकरी पर मय वेतन व ब्याज सहित रखवाने में कामयाब हुए।

ब्यावर का ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास श्रमिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा।

ऐसे शहर में आप सभी साथी अपने संगठन के ९वें सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। हमारे एटक का इतिहास भी देश के श्रमिक आन्दोलन के लिए एक प्रेरणा प्रद रहा है और आज भी है और आगे भी इसी प्रकार श्रमिक आन्दोलन से अग्रणी भूमिका अदा करता रहेगा।

मैं आप सबका एक बार स्वागत करते हुए कामना करता हूं कि आपका यह सम्मेलन सफल हो। सम्मेलन से स्वीकृत कार्यक्रम राजस्थान के श्रमिक आन्दोलन के लिए एक मार्ग दर्शक रहेगा।

ब्यावर शहर एक छोटा शहर है यहां वे तमाम सुविधाएँ जो बड़े औद्योगिक शहरों में उपलब्ध है उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है फिर भी स्वागत समिति ने ऐसे कठिन समय जब हमारे शहर में कृष्णा मिल के बन्द हो जाने से 1600 श्रमिक पिछले करीब एक वर्ष से बेरोजगार हैं और उनके परिवार के सदस्य परेशान हैं हम आप सभी साथियों का उस प्रकार स्वागत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

हमें आशा है कि आप साथी जो भी त्रुटियां व्यवस्था में रहेगी उसे हमारी कठिनाईयों को ध्यान में लेकर उन सभी बातों को नजरन्दाज कर सहयोग प्रदान करेंगे।

एक बार फिर आप सभी प्रतिनिधि साथियों का, विशेष आमन्त्रित बन्धुओं का तथा अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं।

अभिवादन सहित

ता० २२-६-८४

आपका साथी--

केशरीमल

अध्यक्ष

स्वागत समिति

मनोहर प्रिन्टिंग प्रेस, ब्यावर

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राजस्थान राज्य कमेटी)

के

२२, २३, २४, जून १९८४ को ब्यावर में होने वाले नवें अधिवेशन के अवसर

पर

स्वागताध्यक्ष का भाषण

माननीय अतिथि महोदय,
व
साथियों,

आप जिस ब्यावर शहर में एटक के नवें राज्य सम्मेलन में भाग लेने पधारे हैं यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ा हुआ शहर तो है ही औद्योगिक दृष्टि से भी एक महत्व पूर्ण केन्द्र है।

ब्यावर शहर जो अजमेर जिले के अधीन है यह जिला एक लम्बे अर्से तक एक अलग राज्य के रुप में अंग्रेजों के अधीन रहा है। आजादी के बाद भी राज्य एकीकरण के समय तक भी अजमेर जिला केन्द्र शासित जिला ही रहा है।

अंग्रेजों ने इस जिले को अपने अधीन इसलिए रक्खा कि इस राज्य के एक तरफ जोधपुर स्टेट दूसरी तरफ मेवाड स्टेट तथा तीसरी तरफ जयपुर स्टेट और अन्य छोटे राजाओं के राज्य रहे हैं ताकि इन राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखने, उन पर काबू पाने में आसानी हो।

आजादी के बाद इस जिले को नजरअन्दाज किया गया जिससे जो विकास इस जिले का होना चाहिए वह नहीं हो सका। अजमेर जिला और खास कर ब्यावर शहर प्राकृतिक सौन्दर्य का भी क्षेत्र रहा है और आज भी है। ब्यावर शहर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने से वर्षा के बाद यह क्षेत्र हरियाली से घिरा होता है जिसकी प्राकृतिक दृष्यावलि आपके मन को मोह लेगी।

इस शहर को १२५ साल पहले कर्नल डिक्सन ने बसाया था। उस समय इस शहर के वासिन्दे अपनी जोविका धाड़े डाल कर के ही साधन जुटाते थे जिस पर काबू पाने के लिए ही यह शहर बसाया गया था।

आजादी की लड़ाई के समय यह शहर क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों का कार्यक्षेत्र रहा है अन्य प्रान्तों से राजनैतिक एवं क्रान्तिकारी लोग आकर इस शहर एवं क्षेत्र को जहां अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग किया वही आस पास के सामन्ती राजा महाराजाओं के अत्याचारों के विरूद्ध संघर्षशील कार्यकर्त्ता व नेताओं का अभयारण्य भी रहा है, जिसमें श्री तख्तमल जैन, श्रीकृष्ण विजयवर्गीय, श्री जयनारायण व्यास आदि के नाम मशहूर हैं।

यह शहर बड़े बड़े क्रान्तिकारियों का भी कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें मध्यभारत राजपूताना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता एवं राजस्थान राज्य कमेटी एटक के अध्यक्ष पद पर रहे स्वर्गीय श्री स्वामी कुमारानन्दजी का नाम प्रमुख है।

ब्यावर शहर राजस्थान के अन्य केन्द्रों से काफी पूर्व में ही औद्योगिक केन्द्र के रुप में सामने आया। इस शहर में तीन सूती मिल है। जिसमें कृष्णा मिल की स्थापना १८८९ में हुई थी तथा एडवर्ड मिल की स्थापना १९०६ में और महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना १९२४ में हुई थी।

रूई व कपास साफ करने, गांठ बांधने, रूई ओटने आदि कार्यों के भी कई कारखाने इस शहर में उस समय लगे थे जो आज भी है। बीड़ी उद्योग का भी यहां काफी विस्तार हुआ है।

इस शहर की यह भी विशेषता रही है कि यहाँ मजदूर संगठन की नींव सन् १९२० में पड़ी और तब से बनते बिगडते मजदूर संगठन अपना कार्य करते आ रहे हैं। यहां का मजदूर आन्दोलन देश के कई भागों से और राज्य में भी सबसे पुराना है। यहां के श्रमिक आन्दोलन से अनुभव लेकर कई श्रमिक साथी देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक आन्दोलन में आगे बढकर कार्य कर रहे हैं।

हमें इस बात का भी गर्व है कि ब्यावर में कार्यरत एटक से सम्बन्धित टेक्सटाईल लेबर यूनियन राज्य का

कृपया पन्ना उलटिये

पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसका विधिवत पंजीयन सन् १९४२ में हुआ जबकि यूनियन की स्थापना इसके काफी पूर्व हो चुकी थी। टेक्सटाइल लेबर यूनियन का झंडा उस कठिन समय में भी लाल ही था।

आजादी के पूर्व अंग्रेजों के राज्य में इस संगठन के झन्डे के नीचे मजदूरों ने कई बड़े संघर्ष लड़े हैं। जिसमें १९३३ में ३½ महीने की हडताल १९३६ में 33 दिन की हडताल वेतन कटौती और बोनस की मांग को लेकर लड़ी हैं। इन आन्दोलनों में मजदूरों ने कामयाबी भी हासिल की है।

सन १९४२ में टेक्सटाईल लेबर यूनियन के झन्डे के नीचे मजदूरों ने बोनस की लडाई लडी और वर्ष में तीन तीन बोनस यहां के मजदूरों ने प्राप्त किये है। बदली श्रमिकों को बदली देने नियुक्ति में पक्षपात समाप्त करने पुलिस गिरफ्तारी के खिलाफ आन्दोलन में भी कामयाबियां हासिल की है।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने अपनी प्रभुसत्ता कायम करने के लिए ५२ से ५७ के मध्य मजदूरों का खुलकर दमन करवाया लेकिन श्रमिक झुके नहीं। ब्यावर शहर के लडाकू सचेत श्रमिक वर्ग ने अपनी आर्थिक मांगों के अलावा जनता की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग के लिए भी संघष किया जिसमें हमारे आठ साथियों को इन्टक के ईशारे पर मालिकों ने नौकरी से निकलवा दिया लेकिन श्रमिकों की एकता ने उन साथियों को वापस नौकरी में लाने में कामयाबी हासिल की।

सन १९६० में इन्टक द्वारा मालिकों से सांठ-गांठ कर मजदूर विरोधी समझौते के विरुद्ध संघर्ष में ३-४ सौ श्रमिकों को नौकरी से अलग कर दिया जिसमें ४२ साथी हमारे यूनियन के मुख्य कार्यकर्त्ता थे। मालिकों के उस हठधर्मी के विरुद्ध पूज्य स्वामी कुमारानन्दजी को भूख हड़ताल पर बैठना पडा। स्वामीजी के इस कदम ने हमारे केन्द्रीय नेतृत्व को भी चिन्तित कर दिया और उस समय का० एस०ए० डांगे ने खुद आकर स्वामीजी की भूख हड़ताल समाप्त कराई।

उस आन्दोलन के बाद आखिर में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़कर हम अपने साथियों को वापस नौकरी पर मय वेतन व ब्याज सहित रखवाने में कामयाब हुए।

ब्यावर का ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास श्रमिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा।

ऐसे शहर में आप सभी साथी अपने संगठन के ९वें सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। हमारे एटक का इतिहास भी देश के श्रमिक आन्दोलन के लिए एक प्रेरणा प्रद रहा है और आज भी है और आगे भी इसी प्रकार श्रमिक आन्दोलन से अग्रणी भूमिका अदा करता रहेगा।

मैं आप सबका एक बार स्वागत करते हुए कामना करता हूं कि आपका यह सम्मेलन सफल हो। सम्मेलन से स्वीकृत कार्यक्रम राजस्थान के श्रमिक आन्दोलन के लिए एक मार्ग दर्शक रहेगा।

ब्यावर शहर एक छोटा शहर है यहां वे तमाम सुविधाएं जो बड़े औद्योगिक शहरों में उपलब्ध है उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है फिर भी स्वागत समिति ने ऐसे कठिन समय जब हमारे शहर में कृष्णा मिल के बन्द हो जाने से 1600 श्रमिक पिछले करीब एक वर्ष से बेरोजगार हैं और उनके परिवार के सदस्य परेशान हैं हम आप सभी साथियों का उस प्रकार स्वागत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

हमें आशा है कि आप साथी जो भी त्रुटियां व्यवस्था में रहेगी उसे हमारी कठिनाईयों को ध्यान में लेकर उन सभी बातों को नजरन्दाज कर सहयोग प्रदान करेंगे।

एक बार फिर आप सभी प्रतिनिधि साथियों का, विशेष आमन्त्रित बन्धुओं का तथा अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं।

अभिवादन सहित

ता० २२-६-८४

आपका साथी—
केशरीमल
अध्यक्ष
स्वागत समिति

मनोहर प्रिन्टिग प्रेस, ब्यावर

कर्मचारी भविष्य निधी योजना के सम्बन्ध में

प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन कर्मचारी भविष्य निधि योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त त्रुटियों के कारण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को हो रही कठिनाईयों पर अपना रोष प्रकट करता है ।

कर्मचारी भविष्य निधी योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत केन्द्रिय सरकार श्रमिकों को उचित राहतपहुंचाने और दोषी नियोजकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में पूर्णत: असफल रही है । अपनी असफलता को छिपाने हेतु श्री रामानुजम को एक समिति का अध्यक्ष बनाकर उनसे यह सिफारिश करवाई है कि जिन संस्थानों में ५०० से अधिक श्रमिक कार्यरत है, उनके भविष्य निधिकोष का प्रबन्ध उसी संस्था के मालिकों के हाथ में दिया जावें ।

विभिन्न भविष्य निधि आयुक्तों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप आज लगभग ६० करोड रुपया फैक्टरी मालिकों ने भविष्य निधि में जमा नहीं करवाया है और स्वयं के उपयोग में ले रहे है । इसमें राजस्थान में करीब एक करोड राशि बकाया है ऐसी स्थिति में रामानुजम समिति की सिफारिश एक दम मालिक परस्त है जिसका यह सम्मेलन पूर्ण विरोध करता है ।

केन्द्रिय सरकार को भविष्य निधि कानून में उचित संशोधन करके ऐसे मालिकों जो इस कानून का उलंघन कर रहे है के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही के साथ साथ उनके बैंक खातों को कुर्क करने का प्रावधान करना चाहिये ।

जिन क्षेत्रों के आयुक्त मासिक अंशदान वसूल करने में असक्षम रहे है, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए, श्रमिकों को अन्तिम भुगतान के समय पूरा पैसा भविष्य निधि कोष से दिया जावे ।

भविष्य निधि कानून में अभी तक यह प्रावधान है कि जो श्रमिक लगातार ६० दिन तक कार्य कर ले उसे ही इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जावे । अधिकांश मालिक इसका नाजायज फायदा उठाते है और श्रमिक को ६० दिन पूरे नहीं करने देते है । अत: यह सम्मेलन मांग करता है कि इस प्रावधान को निरस्त करके श्रमिक के सेवा के दिन से ही भविष्य निधि का मेम्बर बनाया जाना चाहिये ।

राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय में व्याप्त लाल फीता शाही एवं भ्रष्टाचार के कारण आज श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को भविष्य निधी परिवार पेन्शन आदि का भुगतान महिनों तक नहीं होता है और कार्यालय के चक्कर काटते काटते श्रमिक परेशान हो जाता है ।

सम्मेलन मांग करता है कि भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान १५ दिन की अवधि में अवश्य किया जावे और इसमें देरी करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे ।

xxxxx

छटनी, तालाबन्दी, लोक-आउट के विरुद्ध

प्र स्ता व

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का ९ वां सम्मेलन बडे पैमाने पर उद्योगपतियों द्वारा कारखाने में लोक आउट, छटनी व तालाबन्दी द्वारा श्रमिकों पर हमले की तीव्र निन्दा करता है।

गत तीन वर्षों में औद्योगिक श्रमिकों पर उद्योगपतियों द्वारा किये गये इस प्रकार के हमलों के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उद्योगपति निश्चित योजना के आधीन इस प्रकार के कार्य कर रहे है।

रिजर्व बैंक के आंकडों के आधार पर जून १९८२ तक बिमार औद्योगिक इकाईयों की संख्या २८४२८ तक पहुंच गई है कि जिनमें ४३५ से अधिक बडी यूनिटें है और बाकी मझोली संस्थान १०२० और २६९७३ लघु इकाईयां है। इन उद्योगों में बेकों से जो अग्रिम धन राशी ली गई थी वह २२९९ करोड से अधिक की धन राशी है।

इन औद्योगिक इकाईयां केवल २० प्रतिशत ही श्रमि विवादों से प्रभावित थे। ९८ प्रतिशत में से ५२ प्रतिशत कुव्यवस्था एवं धन राशी को अपने अन्य उद्योगों में लगाने के फलस्वरूप बन्द ~~हो गये~~ हुए है। २३ प्रतिशत बाजार में मंदी के कारण तथा १४ प्रतिशत मामलों में त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक योजना व तकनिकी खामियों और ९ प्रतिशत बिजली और कच्चे माल की कमी जैसे कारण बता कर बन्द किये गये।

इसी सम्मेलन में पिछले तीन वर्षों में मानव दिवसों की हानि से सम्बन्धित आंकडों की ओर भी ध्यान दिया जावे तो ज्ञात होगा कि सन १९८२ तथा १९८३ के पहले पांच महिनों में मानव दिवसों की बात में ५० प्रतिशत से अधिक हानि तालाबन्दी के कारण हुई है। सन १९८० में कुल हानि का जजहां ४५ प्रतिशत तालाबन्दी के कारण हुई। वहीं १९८१ में ४२ प्रतिशत, १९८२ में ५३ प्रतिशत और १९८३ के जनवरी और मई के दौरान ५० प्रतिशत हानि ताला बन्दी से हुई।

उपर वर्णित तथ्यों से उद्योगपतियों के उस योजना बद्ध कार्यवाही का पता चलता है जिसमें वे श्रमिकों के अधिकारों के लिये संघर्ष में उन्हे कुचलने श्रमिकों को भुखमरी का शिकार बनाकर उन्हे अपनी शर्तों पर घुटने टिकवाने, करों में राहत प्राप्त करने, उत्पादन की ऊंची कीमत वसूल करने के लिये कृत्रिम बिमारी पैदा करके बैंकों और जनता की कमाई को अ हडपने की साजिश कर रहे है।

राजस्थान में खास कर दी कृष्णा मिल्स लि०, व्यावर जहां हमारा सम्मेलन हो रहा है उसके सम्बन्ध में हम सभी जानते है कि किन कारणों से यह मिल बन्द हुआ।

कृ०पृ०उ० ---२)

राजस्थान प्रदेश कमेटी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन मांग करता है कि उद्योगपतियों के इस नापाक कार्यवाही से श्रमिकों को उत्पीडित करने, जबरिया भुखमरी का शिकार बनाने, करोडों की देश की धनराशी को हडपने और अपने निजी सम्पत्ति बनाने के उपयोग में लिये जाने के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की सरकार से मांग करता है ।

सम्मेलन सरकार से यह भी मांग करता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके इसप्रकार के उद्योगपतियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का प्रावधान करें ~~कि~~ जिससे उद्योगपतियों की मनमानी छूट समाप्त हो ।

यह सम्मेलन सरकार से यह भी मांग करता है कि ऐसे तथाकथित बिमार उद्योगों के श्रमिकों का बकाया वेतन एवं अन्य परिलाभ के भुगतान के लिये वसूली में प्राथमिकता दी जावे तथा उद्योगपतियों के सभी सम्पत्तियों को जब्त की जावे ।

इस सम्बन्ध में मौजूदा एवं समविचार का इनमें संशोधन करके श्रमिकों का बकाया वेतन एवं अन्य लाभ भुगतान कराया जावे ।

ज्ज्ज्

विश्व के अणु युद्ध के विरुद्ध तथा विश्व शान्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ९ वाँ सम्मेलन गम्भीर अन्तर राष्ट्रीय स्थिति तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा नाभकीय अणु युद्ध की तैयारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है।

अभी हाल ही प्रकाशित सूचनाओं से रीगन प्रशासन नाभकीय युद्ध की तैयारी में (रैस्तवार) में जमीन से नभ में हमले की शस्त्र की सफल प्रदर्षण्ण की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उससे नाभकीय युद्ध की तैयारी की जो कल्पनाए हम पृथवीवासी कररहे थे वह स्पष्ट हो चुका है।

विश्व में दो महायुद्धों के परिणामों से त्रस्त जन जीवन तीसरे विश्वयुद्ध की रीगन प्रशासन की तैयार के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित हो रही उससे नाटो शक्तियों द्वारा विश्व को तीसर महायुद्ध में जन मानस को ढकेलने की कोशिश में लगी हुई है।

पश्चिम जर्मनी वह ग्रेट ब्रिटेन में परशिग द्वितीय मिसाईल स्थापित करना एक नई स्थित दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है।

प्रथम विश्व युद्ध में एक करोड से अधिक मानव की बली चढी थी और करीब ६ करोड मानव दूसरे विश्वयुद्ध में बली चढाए गए थे।

उपरोक्त बीते दोनों विश्व युद्धों के अनुभवों एवं मौजूदा रीगन प्रशासन द्वारा नाभकीय अणुयुद्ध की तैयारी से मानव जाती के समक्ष उत्पन्न भयानक खतरों ने ~~भय~~ आज विश्व के शान्ति प्रिय मानाव समुदाय द्वारा भयानक नाभकीय अणुयुद्ध के विरुद्ध व्यापक आन्दोलन संगठित हो रहा है। मानव समाज को इस नाभकीय अणुयुद्ध से बचाव के लिये युद्ध लोलुप अमेरिका साम्राज्य वादी रीगन प्रशासन की मानव समाज के भविष्य के साथ खिलवाड करने की मंशा को समाप्त करना आज विश्व के जनता का प्रथम कर्तव्य है।

अमरीकी साम्राज्यवादी विकास शक्ति राष्ट्रों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने राष्ट्र के सामान्य साधनों को सामूहिक विकास एवं जन जीवन के उत्थान में व्यय के बजाय राष्ट्र की सुरक्षा के लिये हथियारों में व्यय करे जैसा कि आपने राष्ट्र कौमी योजना और वक्त में एक बहुत ~~स~~ बडी राशी हथियारों की खरीद एवं उत्पादन में व्यय करने के लिये मजबूर होना पडा है।

मौजूदा अणु युग में राष्ट्रों के मध्य टकराव को सुलझाने के लिये युद्ध को राजनैतिक हथियारों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। चाहे उन राष्ट्रों का अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाभी हो। विभिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले राष्ट्रों के मध्य शान्ति पूर्ण सह अस्तित्व को सोवियत यूनियन तथा वारसा पैक्ट वाले राष्ट्रों की नीति मौजूदा स्थिति में विश्व को अणु युद्ध से बचाने के लिये एक एतिहासिक आवश्यकता है।

सोवियत रूस शान्ति के लिये एवं युद्ध के खिलाफ लगातार सुदृढ सुझाव देता आया है जिससे हथियारों की होड समाप्त किया जा सके। सोवियत रूस पहला राष्ट्र है जिसने खुले रूप में घोषणा की कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध अणु आयुधों का उपयोग में पहल नहीं करेगा।

क०पृ०उ०

अमरीकी साम्राज्य वाद, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन आदि ने अब तक इस प्रकार की घोषणा नहीं की है बल्कि उन्होंने उल्टे इस दौरान इन राष्ट्रों में पांच सौ से भी अधिक अधिक अणु मिसाईल रख दिये जो कि सोवियत रूस के विरुद्ध किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है ।

विश्व की ऐसी खतरनाक स्थिति में हमारा देश भी चारों तरफ से साम्राज्य वादियों के षडयन्त्र से घिरा हुआ है । हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की बार बार मांग के बावजूद साम्राज्यवादी अमरीका ने डियागो गार्सिया को अपना प्रमुख अडडे के रूप में परिणित कर दिया है । सिलोन, पाकिस्तान में अपने अडडे कायम कर दिये है । चीन और म अमरिकी साजिशें देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी स्थिति बिगाड रखी है ।

ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नवां सम्मेलन विश्व के करोडों शान्ति प्रिय जन समुदाय के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर युद्ध के विरुद्ध एवं विश्व शान्ति के लिये संघर्ष में और अधिक ताकत के साथ अपनी आवाज बुलन्द करने का संकल्प लेता है ।

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों एवं सदस्यों तथा प्रान्त के मेहनतकश अवाम से अपील करता है कि विश्व को आणविक नाभकीय युद्ध में ढकेलने की अमरीकी साजिश के विरुद्ध तथा विश्व शान्ति के लिये आगे बढे मानव जाति को अणु युद्ध के खतरे से बचाने के लिये अपनी आवाज बुलन्द करें ।

जज्ज

पंजाब समस्या पर
प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह नवां सम्मेलन जून के प्रथम सप्ताह में स्वर्ण मन्दिर परिसर से आतंकवादियों और सिख उग्रवादियों को खदेड़ने की केन्द्रिय सरकार के कदमों को देश की अखण्डता एवं एकता के लिये जरूरी कदम समझता है। कुछ उग्रवादियों तथा आतंकवादियों ने स्वर्ण मन्दिर को अपने नापाक इरादों के लिये उपयोग में लेकर उस धर्म स्थल को देश की एकता के खिलाफ कार्यवाहियों के लिये हथियारों मादक द्रव्यों का जखीरा बना कर उसे अपवित्र कर दिया था।

स्वर्ण मन्दिर परिसर से आधुनिक हथियारों का बड़ी मात्रा में पाया जाना जो नियमित युद्ध में ही काम में लिये जा सकते हों सिखों सहित देश के तमाम नागरिकों के लिये घोर चिन्ता का विषय बन चुका है।

इस बात को ध्यान में लेना चाहिये कि कुछ जनवादी मांगों को लेकर चलाए गये उनके अन आन्दोलन को रास्ते से भटकाकर एक अलगाव वादी आन्दोलन की दिशा देकर कुछ उग्रवादियों ने सम्प्रदायवाद और आतंकवाद का सहारा लेकर देश की एकता और अखण्डता को खतरे में डालने का प्रयत्न किया। सिख भाईयों के लिये इस स्थिति पर बराबर ध्यान रखना आवश्यक है।

अकाली दल के नेताओं और तमाम देश भक्त सिख धर्म के अनुयाईयों को भी इस बात पर गहराई से सोचना चाहिये कि उग्रवादियों और अलगाव वादियों द्वारा पंथ की एकता और धर्मयुद्ध के झूंठे नारे के उपयोग को रोकने में वे सफल नहीं हो सके। पंजाब की को कार्यवाही के बाद की स्थिति भी यह बताती है कि अभी भी अकाली नेता उग्रवादियों की विचार धारा नारों व कार्यनीति से अपने को पूर्णत: अलग नहीं कर पाये है। बे गुनाहों की हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है। अकाली दल के नेता स्वर्ण मन्दिर तथा परिसर में बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियारों एवं तस्करी तथा लूट के मालों के जखीरा लगाने तथा उक्त उपासना के स्थान से निरपराध लोगों की हत्यायें करने एवं देश की एकता एवं अखण्डता के खिलाफ कार्यवाहियों की निन्दा तक नहीं कर सके है जिससे जनता में उनके लिये भी स्पष्टता नहीं है।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन राजस्थान राज्य सम्मेलन महसूस करता है कि भारत सरकार पर पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान के लिये खास जिम्मेदारी है। कम से कम अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने अर्ध सैनिक बलों की तैनाती जैसे प्रशासनिक कदमों से उग्रवादियों को निपटा नहीं जा सका और सिद्ध हो चुका है कि सेना की मदद से ही स्वर्ण मन्दिर और दूसरे उपासना स्थलों सेउग्रवादियों को हटाया जा सका। उग्रवादियों का प्रभाव अभी भी असरदार और व्यापक है। इन तमाम परिस्थितियों के अधार पर सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से मांग करती है कि अविलम्ब पंजाब समस्यों के समाधान तलाशने का सर्वोच्च काम हाथ में ले अन्य आवश्यक समझे उपायों के साथ सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय एकता और सिख हिन्दू एकता के लिये पुर असर संयुक्त अभियान छेड़ा जाय।

कृ०पृ०उ०

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों के सदस्यों को आह्वान करता है कि ऐसे नाजुक समय में देश की एकता व अखण्डता की सुरक्षा के लिये संयुक्त अभियान जिसमें सिख जन मानस के दिल के घाव भरने हिन्दुओं एवं सिखों के बीच साम्प्रदायिक सदभाव वापस लौटाने और साम्प्रदायिक उग्रवादियों और कट्टर पंथियों का असर खत्म करने के लिये व्यापक सम प्रचार अभियान में जुट जावें। इन तत्वों को शह देने वाले प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके जघन्य क्रिया कलापों का पर्दा फाश करें और उग्रवादियों के अपराधों के कारण हिन्दुओं को सिखों के विरुद्ध उभाड़ने के साम्प्रदायिक षडयन्त्रों को नापाक करें।

ज्ज्ज्

न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी
प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह ९ वां सम्मेलन न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी सर्व सम्मत प्रस्ताव के आधार पर ~~संशोधन सम्बन्धी~~ संशोधित न्यूनतम वेतन दर अब तक स्वीकार नहीं किये जाने की सरकार की नीति के प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करता है ।

यह सम्मेलन राज्य के अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में व्यापक वृद्धि के कारण वेतन में हो रहे क्षति पूर्ति के लिये न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के भुगतान की मांग को पुनः दुहराते हुए मांग करता है कि सन १९६० को ६०) रु० न्यूनतम वेतन मानकर इस मध्य सूचकों को में तिगुनी वृद्धि हुई उसको शत प्रतिशत समायोजित कर न्यूनतम वेतन कम से कम ५००) रु० निर्धारित करें ।

सम्मेलन अनुसूचित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करते वक्त उन्हें उनके कार्य के अनुरूप वेतन निर्धारण हेतु वर्गीकरण किया जावे एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के शिफारिशों को अविलम्ब प्रकाशित किया जावे ।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से यह भी मांग करता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम सन १९४८ के अनुच्छेद में सम्मिलित उद्योगों में उन लघु उद्योगों को भी सम्मिलित किया जावे जिसमें एक हजार से अधिक श्रमिक कार्यरत है । सीमेन्ट पाईप उद्योग, मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट, पापड, ईंट, भट्टी, चक्की, गिट्टी उद्योग, पावर लूम, अगरबत्ती, गोली उद्योग कृष्णा पिंक सिटी, गोलियां एवं विगरेस डिटेक्टिव एजेन्सी आदि संस्थानों में न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप नियोजक पक्ष इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अधिकारों से वंचित कर रहे है ।

यह सम्मेलन बीडी उद्योग के श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम की दर में एक हजार बीडी पर रु० ७)१० पैसा निर्धारित किये जाने की नीति की निन्दा करने के साथ मांग करता है कि अन्य उद्योगों के लिये निर्धारित दर बीडी उद्योग के श्रमिकों पर भी लागू की जावे ।

यह सम्मेलन असंगठित उद्योगों के श्रमिकों को आह्वान करता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिये संगठित होकर आगे बढ़े और अधिकारों के लिये संघर्ष की तैयारी में जुट जावें ।

ठठठठठ

राजस्थान रिलिफ अण्डर टेकिंग एक्ट के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन राजस्थान में बिमार उद्योगों पर सरकार द्वारा लागू रिलिफ अण्डरटेकिंग एक्ट के प्रावधानों के गलत क्रियान्वय जिसके कारण जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि० जयपुर के करीब ५०० श्रमिक कर्मचारियों जिनका सेवाकाल २०-२५ वर्ष तक था को नौकरी से बरखास्त कर दिया और देय परिलाभ व ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया और न ही स्वीकृत वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया गया है पर गहरा रोष प्रकट करता है ।

इसके विरुद्ध कम्पनी गेट के बाहर करीब ७ माह तक धरना (२६ सितम्बर १९८३ से ६ मार्च १९८४ तक) दिया गया और फिर १३ अप्रेल से २८ अप्रेल १९८४ तक श्रम मंत्री के निवास स्थान के समक्ष धरना दिया गया जो श्रम मंत्री के आश्वासन पर समाप्त किया गया एटक की ओर से राज्य के मुख्य मंत्री एवं श्रम मंत्री को विभिन्न ज्ञापन देकर कारखाने के प्रबन्धक जो कि एक आई०ए०एस० अधिकारी है के द्वारा किये जा रहे दमन और श्रम कानूनों के उलंघन के बारे में अवगत कराया परन्तु राज्य सरकार आज तक समाधान की दिशा में आगे जाने का कोई भी कदम उठाने में असफल रही है और कारखाने के प्रबन्धक द्वारा दमक की प्रक्रिया जारी है । बडी संख्या में एटक के कार्यकर्ता निलम्बित है जिन पर झूंठे आरोप लगाये गये है । प्रबन्ध की यह सरकारी कार्यवाही रिलिफ अन्डर टेकिंग एक्ट के लागू होने के कारण बेरोक टोक चलने दी जा रही है ।
राजस्थान रिलिफ अन्डर टेकिंग एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के पीछे सरकार का उ उद्देश्य बताया गया श्रमिक कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना । परन्तु वास्तविकता यह है कि यह कानून श्रमिक विरोधी तमाम मनमानियों का सूत्रपात करने वाले सिद्ध हो रहा है ।

श्रमिकों के समस्त अधिकार समाप्त कर दिये गये है और श्रमिक इसके विरुद्ध कहीं से भी समस्या का निदान पाने में सफल नहीं होने से असहाय अनुभव करने लगा है ।

अत: यह सम्मेलन मांग करता है कि जयपुर मेटल्स के जिन श्रमिक कर्मचारियों को इस कानून के लागू होने के बाद नौकरी से बर्खास्त किया है उन्हे पुन: नौकर पर लिया जावे, जिन पर झूंठे आरोप लगाकर निलम्बित किया है, उनके निलम्बन आदेश रद्द किये जावे तथा कठिन संघर्षों से प्राप्त सेवा स्थितियों को कायम रखने की कानून और व्यवहार में अनिवार्य व्यवस्था की जावे ।

राजस्थान रिलिफ अन्डर टेकिंग एक्ट १९६२ में इस मंशा से उचित संशोधन करके श्रमिकों के पूर्व अधिकारों को बहाल करने के लिये यह सम्मेलन पुरजोर मांग करता है जयपुर मेटल्स के बहादुर श्रमिकों को बधाई देते हुये कि संघर्ष में उनकी सफलता की कामना करते हुये सम्मेलन उनके सघर्ष में राज्य के श्रमिक वर्ग की एक जुटता प्रदर्शित करने के लिये शीघ्र ही सारे राज्य में उनके लिये समर्थन दिवस मनाने का निर्णय करता है । सम्मेलन राज्य के मजदूर वर्ग से अधिकारों पर इस हमले के विरुद्ध संघर्ष में जयपुर म मेटल्स के श्रमिकों को पूरा सहयोग देने का आवहान करता है ।

ज्ज्ज्

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां सम्मेलन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के राज्य में क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति के सम्बन्ध में तीव्र असंतोष व्यक्त करता है ।

इस कल्याणकारी योजना के अधीन पिछले कुछ वर्षों में निगम की ओर से अस्पताल एवं चिकित्सालय के निर्माण में प्रगति की है लेकिन इस योजना का मुख्य कार्य आज राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियन्त्रित होता है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना निगम केवल मात्र चिकित्सालयों का निर्माण एवं श्रमिकों को बिमारी एवं दुर्घटना का परिलाभ उपलब्ध करने का ही कार्य करता है ।

चिकित्सालयों में दवाओं का वितरण चिकित्सा बिमारी की छुट्टी चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मचारी व चिकित्सक आदि का नियन्त्रण राज्य का चिकित्सा विभाग द्वारा नियन्त्रत होता है । मौजूदा नियमों में निगम द्वारा अ प्रति अंशदाता के लिये चिकित्सा हेतु निर्धारित धन राशी में १।८ भाग राज्य सरकार देती है ।

राज्य में श्रमिक जो इस योजना के अधीन आते है मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था से अत्यन्त ही पीडित है एवं असन्तुष्ट है ।

चिकित्सालयों एवं अस्पतालों में श्रमिकों को उपयुक्त सुविधा के अभाव में आए दिन श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त हो रहा है । देश के स्तर पर इस निगम का एक बहुत बडी धन राशी आज उद्योगपतियों में बकाया चलीआ रही है । मौजूदा नियम में इन उद्योगपतियों से वसूली के लिये अपर्याप्त है ।

जहां इस योजना के अधीन श्रमिकों को और लाभ की उम्मीद की जाती थी योजना के विकास को ध्यान में लेकर वहीं सरकार द्वारा बिमारी का लाभ ९१ दिन से घटा कर ५६ दिन करना, स्ट्राईक, लोक आउट, क्लोजर तथा सामाजिक छुट्टियों दिन बिमारी की छुट्टियों या परिलाभ भुगतान नहीं करने का निर्णय इस योजना के मूलभूत उद्देश्यों के विपरीत कार्यवाही है ।

यह सम्मेलन मांग करता है कि अंशदाताओं के परिवार के सदस्यों को अस्वस्थता में सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जावे जब उन्हे भर्ती किया जावे ।

सामाजिक सुरक्षा योजना का सम्पूर्ण खर्च नियोजकों से उनके लाभ में से पूर्ति की जावे अन्यथा सम्बन्धित सरकार द्वारा पूर्ति की जावे । जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बनाने वालों का सुझाव था । योजना में जो आय व्यय घाटा होता है उसकी पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जावे ।

सामाजिक सुरक्षा योजना को संविधान के एवं अनुच्छेद में सम्मिलित किया जावे ताकि इस योजना को क्रियान्वयन में न्यायालय हस्तक्षेप न कर सके । इस योजना के बकाया वसूली के लिये अलग वसूली की मशीनरी कायम की जावे जैसा कि आयकर विभाग की वसूली प्रक्रिया है ।

योजना के अधीन बिमारी के दिनों के लिये अंशदाताओं को पूर्ण भुगतान किया जावे ।

यह सम्मेलन यह भी मांग करता है कि राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन निगम के ही देख रेख में खुद के नियन्त्रण में हो ।

ज्ज्ज्ज

Adopted

औद्योगिक विवादों में पुलिस हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह ६ वां सम्मेलन औद्योगिक विवादों में पुलिस द्वारा नियोजकों के इशारे पर श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रति अपना तीव्र रोष व्यक्त करती है ।

राज्य का पुलिस प्रशासन शान्ति कायम करने के नाम पर नियोजकों के इशारे पर श्रमिकों के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्य के विभिन्न ट्रेड यूनियनों बारम्बार समय पर आवाज उठाई जाने के बावजूद इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रही है ।

जयपुर के विश्व कर्मा औद्योगिक क्षेत्र, कोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र, मालवीया इन्जिनियरिंग औद्योगिक क्षेत्र आदि के पुलिस थानों द्वारा नियोजकों के इशारे पर श्रमिकों पर झूंठे मुकदमे दर्ज करना मालिकों के गुण्डों द्वारा श्रमिकों पर हमले की शिकायत पर कार्य वाही नहीं करना एक आम बात हो गई है । पुलिस वाले अपने रिश्तेदारों को कारखानेदारों को मदद देने के आश्वासन पर नौकरी में रखवा कर वहां के आश्वासन पर नौकरी में रखवा कर वहां के श्रमिकों के न्याय संगत मांगों के लिए संघर्ष में रुकावटें डालने में मदद पहुंचाते है । श्रमिक कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने में बुलाकर पिटाई करना आतंकित करना भी साधारण व्यवहार हो गया है ।

सन १९८३ में अलवर जिले में स्थित भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र में ओरियन्ट सिन्थेटिक्स के श्रमिकों पर मालिकों के इशारे पर पुलिस कार्यवाही में एक श्रमिक कार्यकर्ता शहीद हो गया अनेक घायल हुए और ५० से अधिक श्रमिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मुकदमे चला रखे है जो आज भी विचाराधीन है ।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से पुरजोर मांग करती है कि पुलिस द्वारा औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप बन्द करने के लिये अविलम्ब आदेश देकर उनकी पालना करें तथा ऐसी शिकायतों पर अविलम्ब कार्यवाही की व्यवस्था करें ।

सम्मेलन अपने संगठनों को आह्वाहन करता है कि पुलिस की अनुचित एवं हटधर्मी की को कार्यवाही का मजबूती से संयुक्त होकर विरोध करने का अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलावें ।

ज्ज्ज्ज्

ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजस्थान राज्य कमेटी का यह ९ वां राजस्थान राज्य सम्मेलन उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा के जरिये श्रमिकों के व्यापक शोषण को रोकने में असफलता के सम्बन्ध में अपना तीव्र रोष प्रकट करती है ।

राजस्थान में कोन्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एवं अबोलिशन एक्ट सन १९७२ से लागू है लेकिन इस अधिनियम का पालना कराने के सम्बन्ध में सरकार के श्रम विभाग का रवैया श्रमिकों को इस कानून के अन्तर्गत राहत दिलाने में कोई मदद नहीं करता ।

पूरे राज्य में तमाम विकसित उद्योगों में स्थायी रुप के उत्पादन प्रक्रियाओं में श्रमिकों को ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत नियुक्ति कर उन्हें समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित ही नहीं किया जाता बल्कि श्रमि कानूनों के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त सुविधाओं से भी वंचित किया जाता है ।

सार्वजनिक उद्योगों में यह प्रथा जोरों पर है । बिजली बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान जिंक स्मेल्टर, जावर माईन्स, आदि में भी यह प्रथम मौजूद है । अभी हाल ही जिंक स्मेल्टर में जिन टंकी वेल्ड करते हुए विस्फोट से सात श्रमिकों की मृत्यु हो गई है वे भी ठेकेदारों के श्रमिक थे ।

निजी क्षेत्र में तो ~~[illegible]~~ स्थिति और भी गम्भीर है । बाल बियरिंग, कमानी, सिमको, के०के० सिन्थैटिक आदि में भी उत्षापदन से सम्बन्धित कार्यों में भी ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत श्रमिकों से कार्य कराया जाता है और संस्थान के ही नियोजकों के आदमियों को ठेकेदार बना कर श्रमिकों का शोषण किया जाता है ।

यहां तक कि एक ही कारखाने में कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन) अबोलिशन एक्ट से बचने के लि. कई ठेकेदार नियुक्त हुए है जिनमें किसी एक के पास १९ श्रमिक से अधिक श्रमिक नहीं होते ।

उपरोक्त प्रकार के शोषण तो कारखाने द्वारा किया ही जा रहा है । इसके अलावा जासूसी कार्य का बोर्ड लगाकर कारखानेदारों के यहां चौकीदार, हैल्पर श्रमिक होटलों में वेटर, रुम बाय, फरास आदि के कार्य के लिये श्रमिकों को उपलब्ध कराते है चूंकि एक ही संस्थान में २० श्रमिक नियोजित नहीं होते । अत: उन पर उपरोक्त कानून लागू नहीं किये जाते । इस प्रकार से आम तौर पर ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत राज्य में बेरोजगारी का लाभ उठाकर श्रमिकों के शोषण का व्यापक जाल बिछा हुआ है ।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से मांग करता है कि राज्य में कान्टेक्ट (रेगुलेशन एवं अबोलिशन एक्ट में आवश्यक संशोधन करके श्रमिकों को ठेकेदारी प्रथा के अधीन शोषण से मुक्त कराने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें ।

सम्मेलन अपने तमाम संगठनों का आव्हान करता है कि अपने संस्थानों में आवाज बुलन्द करें संघर्ष के जरिये श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने में प्रदत अपने हाथ में ले ।

दैनिक वेतन पर नियुक्त एवं वर्ग चार्ज श्रमिकों को स्थायी कार्य पदलाभ सम्बन्धी

प्र स्ता व

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यह ६ वां राजस्थान राज्य सम्मेलन राज्य के अधीन विभिन्न, निगमों, उपक्रमों में तथा सार्वजनिक संस्थानों मे आवश्यक कार्य पद के अनुसार पदों की स्वीकृति प्राप्त किये बिना वर्क चार्ज कैजुबल एवं दैनिक वेतन पर श्रमिक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पर स्ापी कार्य पदों पर कार्य लिये जाने एवं उक्त कार्य के लिये निर्धारित वेतन श्रृंखला का लाभ श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराये जाने की श्रमिक विरोधी परिपाटी कौ समाप्त करने की मांग करता है ।

अधिकांश उपक्रमो एवं निगमों में रेगुलर कार्य पदो की जानबूझ कर स्वीकृति नहीं लेने की नीति अपना कर उक्त संस्थान में मस्टर रोल एवं कैजुबल श्रमिकों की नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार करने को छूट दी जा रही है जो अत्यन्त आपत्तिजनक एवं निन्दनीय है ।

यह सम्मेलन राज्य सरकार से यह भी मांग करता है कि समाज कार्य के लिये समान वेतन दर के सिद्धान्त के आधार पर श्रमिकों को वेतन भुगतान की नीति को ~~कसर~~ कारगर बनाया जावे ।

राजस्थान राज्य कमेटी

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

---

६ वें अधिवेशन ब्यावर में	स्थान :
२२ से २४ जून, ८४ में	ब्यावर
प्रस्तुत रिपोर्ट	२२ जून, ८४

अध्यक्षमंडल के साथियों, राज्य के कोने-कोने से आये हुए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इस ६ वें अधिवेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है ।

राजस्थान राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पिछला सम्मेलन १२ व १३ अक्टूबर, ८० को जयपुर में सम्पन्न हुआ था ।

यह सम्मेलन गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों में सम्पन्न हो रहा है । यह स्थिति पिछले सम्मेलन के समय की स्थितियों से कहीं अधिक गंभीर है ।

हम मेहनतकश आवाम के प्रतिनिधियों के रूप में साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तियों द्वारा युद्ध की तैयारी से उत्पन्न खतरे से चिन्तित होना स्वाभाविक है । कोई भी युद्ध जो दुनिया के मानवजाति पर अपनी प्रभुसत्ता थोपने के उद्देश्य से की जाती है मानवजाति के अस्तित्व और विनाश का प्रश्न खड़ा करता है ।

नाभकीय युद्ध का खतरा तेजी से प्रसारित होता आ रहा है । इसका परिणाम पश्चिम युरोप के साम्राज्यवाद वरस्त देशों में नये मिसाइलों की तैनाती का साम्राज्यवादी अमेरिका सरकार का निर्णय युद्ध के खतरे को और अधिक बढ़ा दिया है । इन मिसाइलों की तैनाती का अर्थ है नाभकीय हथियारों के संतुलन साम्राज्यवादी शक्तियों के पक्ष में झुकाना । इस घटना से हथियारों की बढ़ोतरी का एक नया दौर आरम्भ हो जाना । अपने देश में भी इसका असर पड़ा और करीब ६८०० करोड़ की धनराशि देश की सुरक्षा के लिए हथियारों के उत्पादन में व्यय करने को मजबूर होना पड़ा है ।

इस भयानक नाभकीय युद्ध के खतरे से चिन्तित जन मानस जो शांति प्रिय है उनके एवं युद्ध की शक्तियों के मध्य जोरदार संघर्ष चल रहा है । लाखों-लाख जन मानस नाभकीय विनाश के खतरे को दूर करने के लिए निकल पड़े हैं । जबकि युद्ध लिप्सुकोण तनाव शैथिल्य के वातावरण को दूषित बनाने तथा सोवियत

------२

विरोधी उन्माद भड़काने के लिए एक के बाद एक भड़कावे का सहारा ले रहे हैं ।

हम सभी शांति प्रेमी लोग विश्व शांति और अपने जन गण की नियति के प्रति सोवियत संघ की मानवीय चिन्ता के एक और प्रमाण के रूप में समर्थन करते हैं साथ ही रीगन के नाभकीय युद्ध की तैयारी के विरुद्ध अपनी जनगण की सुरक्षा के लिए कारी कदम उठाने के वारसा संधी के देशों के अधिकार से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ।

रीगन प्रशासन के इन घृणित हथकण्डों ने विश्व व्यापी एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया है । जिसका सामना न केवल पश्चिम यूरोप के ३० देशों के हुक्मरानों को करना पड़ रहा है जहां इन मिसाइलों को रक्खा गया है बल्कि रीगन प्रशासन को स्वयं के अपने घर में भी इन शांतिप्रिय जनता के आक्रोश का मुकाबला करना पड रहा है ।

हमारे देश में भी जो एक अल्प विकसित देश है में मेहनतकश अवाम के बीच एक शक्तिशाली शांति आंदोलन विकसित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपना केन्द्रीय संगठन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक लम्बे अर्से से प्रयत्नशील रहा है । फरवरी १९८२ में हवाना में सम्पन्न दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद से ट्रेड यूनियन आंदोलन में युद्ध के खतरे के खिलाफ जागरुकता में स्पष्ट वृद्धि हुई है ।

हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि इस समय सबसे प्रमुख कार्य युद्ध के विरुद्ध और शांति के लिए तथा मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए संघर्ष करना है । यह संघर्ष हमारी जनता की समस्याओं तथा अधिक न्यायोचित समतापूर्ण रहन-सहन की हालतों के लिए और शोषण के विरुद्ध संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है ।

राष्ट्रीय स्थिति और मजदूर वर्ग

हमारे देश की आर्थिक स्थिति विश्व पूंजीवादी अर्थतन्त्र के गहराते संकट की पृष्ठभूमि में ही देखना चाहिये ।

आज विश्व पूंजीवादी देशों और विकासशील देशों के मध्य अन्तर विरोध तीव्रतम होते जा रहे हैं । विकसित देशों में बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच रही है ।

जब तक हमारा देश पूंजीवादी विकास के रास्ते पर चलता रहेगा विश्व आर्थिक संकट के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता । हमारे पिछले सम्मेलन से अब तक के अर्से में उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में --160------ पाइन्ट से ऊपर वृद्धि हुई है ।

-------३

सन् १९८० के आखिरी छमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो 403 ---------- पाईन्ट रही है । आज बढ़ कर 563 ---------- पाईन्ट हो चुकी है ।

देश में पंजीकृत बेरोजगारी संख्या २ करोड़ से अधिक हो चुकी है ।

हमारे देश की आर्थिक नीति इजारेदारों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों को भारी रियायतें पहुंचा रही है । हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में विशाल मात्रा में सार्वजनिक धन लगा है । यह कोई समाजवादी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता बल्कि राजकीय पूंजीवादी क्षेत्र है । फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए धन आखिरकार लोगों का है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी ट्रेड यूनियनों की भूमिका अधिक साकारात्मक एवं जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिये । हमारे इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध मण्डलों के मजदूर विरोधी गतिविधियों एवं दृष्टिकोण इस कार्य में रुकावटें पैदा करती है । इसलिए हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य अधिक कठिन हो गया है ।

आज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की खराब छवि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी शक्तियों को मदद पहुंचाती है । हमारे राज्य में इसका ज्वलंत उदाहरण राज्य परिवहन निगम एवं बिजली बोर्ड के कार्यकलाप है । फिर भी हमारे राष्ट्रीय संगठन एटक २ स्तम्भ की नीति के अधीन अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखना हमारा कर्तव्य है ।

यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि सरकार चाहे केन्द्र का हो या राज्य का श्रमिकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात की नीति अपनाई हुई है । इस सम्बन्ध में हमारे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी यूनियन राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज्स यूनियन द्वारा इस उद्योग के विकास तथा उन्नति के लिए उठाये गये कदमों को नजरन्दाज करके सामान्य ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी लगातार हमले की नीति अपनाई हुई है । बड़े पैमाने पर श्रमिकों को बिना जांच सेवा मुक्ति मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों की बड़े पैमाने पर ट्रांसफर आदि से संगठन के स्वस्थ संचालन पर एक तरीके से रोक लगा दी है ।

राज्य की स्थिति एवं श्रमिक वर्ग

हमारे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है ।

अपने गत सम्मेलन के अवसर पर देश की बागडोर पुनः कांग्रेस (इं) के हाथ में आ चुकी थी । कांग्रेस के हुकुमत पर पुनः कब्जा करने के उपरान्त अपनी उसी नीति

पर देश को आगे बढ़ाने की योजना बनायी और राज्य में भी उसी ढांचे का स्वरुप बना ।

राज्य में इस सरकार की श्रम नीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया । श्रम समस्याओं का निराकरण और अधिक जटिल होता गया ।

राजकीय संस्थानों में संगठनों पर विभिन्न प्रकार से हमले होने लगे । राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर आयोजित १६ जनवरी, १६८२ का एक दिन का देशव्यापी सफल औद्योगिक हड़ताल से सरकार हिलमिला उठी और उसने राज्य में प्रभावशाली रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स के मान्यता प्राप्त एटक से सम्बन्धित तथा मान्यता प्राप्त राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन पर जबरदस्त हमला किया । सभी सिद्धान्तों को ताक में रखकर गुप्त मतदान से प्राप्त मान्यता को सरकार के इशारे पर छीन ली गई । यूनियन के सभी कार्यकर्त्ताओं का दूर-दूर केन्द्रों पर स्थानान्तरण तथा बिना जांच और दोषी साबित हुए श्रमिकों को बड़े पैमाने पर सेवा मुक्ति आदि ने सरकार की खोखली श्रम नीति को उजागर किया ।

इसी प्रकार श्रमिकों के हड़तालों की लंबी खींच कर पुलिस दमन के जरिये श्रमिक आंदोलन को कुचलने की एक नीति सी बन गई ।

श्रमिकों के विवादों को न्यायाधिकरण को सौंपने से इंकार कर देना एक आम बात हो गई ।

श्रम कानूनों का पालन के प्रति सरकार की उदासीनता नियोजकों को श्रमिकों पर हमले की नई छूट दी । बाजार में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में व्यापक वृद्धि देश के अन्य केन्द्रों से काफी आगे रहने लगी । सरकार की यह नीति न केवल औद्योगिक श्रमिकों के प्रति ही रही हो ऐसी बात नहीं है उनके खुद के कर्मचारियों में भी सरकार की नीति ने व्यापक असंतोष पैदा किया ।

राज्य सरकार की इन नीतियों ने राज्य में इस अरसे में कर्मचारी एवं श्रमिक आंदोलन के कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक संघर्षों को जन्म दिया है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय अभियान समिति एवम् राज्य स्तरीय अभियान समिति

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर राज्य में दो राज्य स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ट्रेड यूनियन कन्वेंशन

------५

में भी राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है । संयुक्त अभियान समिति के आह्वान पर दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भी राज्य से बड़ी संख्या में साथियों ने सक्रिय भाग लिया है ।

राजस्थान में अभियान समिति के प्लेटफार्म से श्रमिकों द्वारा आयोजित विभिन्न आंदोलनों में सहयोग के लिए सक्रिय भूमिका निभाई गई । राज्य में राष्ट्रीय अभियान समिति के अंग के रूप में पांच केन्द्रीय श्रमिक संगठन एटक, सीटू, बी०एम०एस०, एच०एम०एस० आदि सम्मिलित हैं । केवलमात्र टैक्सटाइल मिलों के श्रमिकों की बुनियादी मांगों के सम्बन्ध में इण्टक संगठन के साथ संयुक्त समन्वय की प्रक्रिया अब तक पिछले १० वर्षों से चली आ रही है ।

राजस्थान संयुक्त श्रमिक अभियान समिति ने जो राष्ट्रीय अभियान समिति का भी एक अंग है । राज्य के श्रमिकों की बुनियादी मांगों से संबंधित एक १८ सूत्री मांग पत्र १५-४-८२ को राज्य सरकार को प्रेषित किया है । इस मांग पत्र को अभियान समिति के गत ३ जुलाई,८३ को सम्पन्न जयपुर सम्मेलन में स्वीकृत किया जाकर उक्त मांगों के सम्बन्ध में राज्य व्यापी निरन्तर संघर्ष का भी निर्णय लिया गया ।

राजस्थान संयुक्त श्रमिक अभियान समिति समय-समय पर मिलकर राज्य के श्रमिकों के आंदोलनों की समीक्षा करके उनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए श्रमिक संघों का आह्वान करने, एवं संयुक्त कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करने का काम करती आयी है । इसके अलावा उक्त समिति राज्य कर्मचारी आंदोलन, बिजली कर्मचारी आंदोलन, जे०के० सिन्थेटिक्स की लंबी हड़ताल और छंटनी और रोडवेज कर्मचारियों के दमन के विरोध में राज्य के श्रमिक कर्मचारियों के सहयोग की अपील भी करती आयी है ।

इस अर्से में इस समिति के कार्य ा जो प्रभाव श्रमिक वर्ग में होना चाहिये वह हो नहीं पा रहा है । हमारे खुद के संगठन के साथी भी अभियान समिति के आह्वानों को जिस गंभीरता से लेना चाहिये, नहीं ले रहे हैं ।

अन्य घटकों में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है । सीटू में ०ा० पुनमिया के निकलने के बाद संगठनात्मक कमजोरी का असर इस संगठन में भी कोई कम नहीं है । हिन्द मजदूर सभा की स्थिति जो पहले थी सो उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है । भारतीय मजदूर संघ इस प्लेटफार्म का उपयोग अपने संगठन की दृष्टि से ही कर रहा है ।

राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गत बैठक में लिए गये निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए हमारी पहल पर जो १८ सूत्री मांग-पत्र अभियान समिति में स्वीकार

-------६

किया गया । उसके समर्थन में १६ जुलाई को पूरे प्रदेश में जिला हैडक्वाटरों पर एक दिन की भूख हड़ताल का हमने निर्णय लिया था ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभियान समिति के राज्य स्तरीय नेतृत्व द्वारा श्रम मंत्री के निवास के समक्ष भूखहड़ताल आयोजित की गई । अन्य केन्द्रों पर इस निर्णय का क्या हुआ ? रिपोर्ट नहीं है ।

गत ७-६-८२ को जयपुर में आयोजित अभियान समिति की बैठक में आंदोलन की रुपरेखा पर विचार किया जाकर नवम्बर के तीसरे सप्ताह में जिला स्तर पर संयुक्त रुप से प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

ecso [redacted] जन संगठनों द्वारा अभियान समिति के कार्यक्रमों में भाग लेने में भयंकर शिथिलता सामने आई है । बार-बार निर्णय एवं परिपत्रों के जरिये आग्रह करने के उपरान्त भी हमारे साथी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं ।

४ जून ८१ को बम्बई में आयोजित संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर राज्य में अभियान समिति के गठन के पूर्व से ही प्रदेश में श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के नाम से एक संगठन कार्य करता आ रहा था ।

उक्त समिति ने १५ सितम्बर १६८० को एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जिसमें प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम वेतन एवं अन्य मांगों को लेकर एक मांग पत्र स्वीकार कर राज्य स्तरीय आंदोलन का आह्वान किया था ।

इसके तुरन्त बाद बम्बई सम्मेलन के निर्णयानुसार राज्य में राज्य अभियान समिति के गठन के लिए ६ अगस्त ८१ को जयपुर में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन महावीर दिगम्बर जैन स्कूल के हाल में आयोजित किया गया । सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश के विरोध में काला दिवस मनाने तथा अन्य मांगों पर विचार कर निर्णय लिया गया ।

केन्द्रीय अभियान समिती के आह्वान पर २८-११-८१ को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन की तैयारी में प्रांत में विभिन्न केन्द्रों पर सभाएं आयोजित कर दिल्ली प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कदम उठाये गये ।

केन्द्रीय अभियान समिति के आह्वान पर १६ जनवरी ८१ को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाने में राज्य में पूरी तैयारी में अभियान समिति द्वारा त्रुटि एवं हमारे संगठनों ने भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी स्तर पर प्रयत्न किये गये ।

--------७

अभियान समिति ने राज्य के सूती मिल मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में १५ मार्च ८२ को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल को सफल बनाने के लिए कदम उठाया और यह हड़ताल सफल भी हुई ।

अभियान समिति ने राज्य कर्मचारियों द्वारा १८ मार्च ८२ से आयोजित अनिश्चित कालीन हड़ताल का समर्थन देने के लिए तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता शुरु करने के लिए दिनांक ६ अप्रैल ८२ को एक दिन का बंद का ~~आह्वान~~ भी अभियान समिति ने आह्वान किया था ।

समिति ने १६ जून १९८२ से आयोजित ६०,००० बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन देने तथा राज्य सरकार एवं बिजली बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता शुरु करने के लिए भी वह कार्यक्रम हाथ में लिए जिसमें १०-७-८२से १५-७-८२ तक संयुक्त प्रदर्शन आयोजित करने तथा जयपुर में आम औद्योगिक हड़ताल का भी नारा दिया था ।

इसी तरह अभियान समिति ने केन्द्रीय अभियान समिति के उन सभीआह्वानों को पूरा करने में पहल की । साथ ही राज्य के श्रमिकों की बुनियादी मांगों के सम्बन्ध में भी एक १८ सूत्री मांग-पत्र पर आन्दोलन संगठित किया। जिसमें ५-१-८३ को प्रान्तव्यापी मांग दिवस मनाने का आह्वान, ४-८-८३ को श्रम कानूनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधन कर श्रमिकों एवं ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर कुठाराघात के विरुद्ध ट्रेड यूनियन अधिकार दिवस मनाने का आह्वान,२-८-८३ को दिल्ली स्थित ताल कटोरा मैदान में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के सम्मेलन की सफलता के लिए कार्य । १ अक्टूबर ८३ को सूती मिलों में कार्यरत श्रमिकों के संगठन प्रतिनिधियों में ब्यावर में सम्मेलन, जे०के० सिन्थेटिक्स कोटा में छंटनी के विरुद्ध संघर्ष में अभियान समिति कोटा जाकर श्रमिकों को सहयोग देने की अपील आदि कार्य किया है ।

राज्य में ट्रेड यूनियन मोर्चे पर विभिन्न संगठनों की स्थिति

मौजूदा स्थिति में राज्य में ५ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों कार्यरत है । इसके अलावा इण्टक,सीटू से निकले हुए दो ग्रुप अपना पृथक अस्तित्व बनाये हुए है । एटक,भारतीय मजदूर संघ,हिन्द मजदूर सभा और सीटू की संयुक्त श्रमिक अभियान समिति राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय अभियान समिति के अंग के रूप में कार्य कर रही है । इस समिति के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हमने ऊपर दिया है । उपरोक्त अभियान समिति से बाहर सीटू से निकले का० मोहन पूनमिया राजस्थान सीटू के नाम से अपना अलग संगठन चला रहे है । इस अर्से में उन्होंने दो बार अपने

संगठन का अलग राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया था । राजस्थान इण्टक से निकले दामोदर मोर्य भी अलग से एक संगठन का संचालन कर रहे हैं । वे भी अपने संगठन का अलग से प्रदर्शन आयोजित कर चुके हैं ।

1980 [redacted] राज्य कार्यकारिणी [redacted] ने सन् १९८२ में यह निर्णय लिया था कि अभियान समिति में व्यापक एकता के लिए उपरोक्त दोनों गुपों को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न करना चाहिये । सीटू के नेतृत्व द्वारा बार-बार इस प्रस्ताव का विरोध किया गया । आज भी वे स्थानीय स्तर पर या कारखानों में भी संयुक्त कार्यक्रम में राजस्थान सीटू के साथ किसी भी प्रकार की संयुक्त कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है ।

इस बीच १० अप्रैल ८३ को का० मोहन पुनमिया, का० दामोदर मोर्य और का० बिशनसिंह शेखावत के संयुक्त हस्ताक्षरों से ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाए जाने के कदम से हमारे साथियों में असंतोष व्याप्त हुआ है और का० पुनमिया के क्रियाकलापों का विरोध होना शुरु हो गया है ।

अभियान समिति में हिन्द मजदूर सभा एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों का इन दोनों संगठनों को साथ लिये जाने पर दबाव पड़ रहा है । लेकिन सीटू एवं अपने साथी अभी इस सम्बन्ध में तैयारी नहीं कर पाये हैं । २१ अगस्त ८३ को दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय अभियान समिति के द्वितीय सम्मेलन में व्यक्त की गई भावनाओं के आधार पर अब इन दोनों संगठनों को भी अभियान समिति में सम्मिलित किये जाने तथा बाकी सभी केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के संगठनों को भी सम्मिलित कर एक व्यापक एकता कायम करने की बात हो रही है, जिस पर हमें अपनी नीति निर्धारित करनी है ।

राजस्थान राज्य कर्मचारियों की ३७ दिन की हड़ताल

राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के महासंघ द्वारा दिनांक १५-३-८२ को विधान सभा के सामने बैरी आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था । इस प्रदर्शन में भी मोहनलाल जैन के महासंघ ने भी भाग लिया । उसी प्रदर्शन के समय आयोजित सभा में १८ मार्च १९८२ से हड़ताल की घोषणा की गई एवं १७-३-८२ को सचिवालय के सामने प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा गया और यह निर्णय लिया गया कि १७-३-८२ को दोपहर के बाद सभी कर्मचारी अपने आफिस छोड़कर प्रदर्शन में शरीक होंगे । इस हड़ताल का संचालन दोनों महासंघों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किया गया था ।

------- ९

सरकार यह मानती थी कि दोनों महासंघ एक होकर नहीं चलेंगे एवम् इस कारण फूट पैदा होगी और उसका फायदा सरकार उठा सकेगी जिससे आन्दोलन विफल होगा लेकिन घटना क्रम ने सरकार का ऐसा सोचना गलत साबित कर दिया ।

यह आंदोलन प्रभावी रूप से महासंघ के आह्वान पर प्रारम्भ हुआ। राज्य कर्मचारियों में महासंघ का आंदोलन में अग्रणी भूमिका के कारण उसकी साख बनी और दूसरे महासंघ को भी साथ में लेकर संघर्ष को और तेज करने का निर्णय किया और जो आंदोलन का साथ नहीं देंगे वे कर्मचारी वर्ग से जुट जाने की स्थिति बन सकती है इस बात को ध्यान में लेकर एकता कायम हुई ।

२८ मार्च को आंदोलन तेज हुआ और वार्ता में भाग लेने वाले सभी साथी गिरफ्तार कर लिये गये ।

राज्य के श्रमिक संगठनों ने वार्ता पुन: आरम्भ कराने एवं आंदोलन को सहयोग प्रदान करने के लिए २-४-८२ को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक आयोजित कर ५-४-८२ को सोलिडेरिटी डे मनाने का आह्वान किया गया । राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन की १६ जनवरी, ८३ को हड़ताल और सरकार की नीति

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा देश भर में १६ जनवरी, ८३ को एक दिन के औद्योगिक बन्द का आह्वान पर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन ने राज्य भर में एक दिन की हड़ताल रखी । इस हड़ताल को विफल करने के लिए निगम प्रशासन और सरकार ने पूरी तैयारी की लेकिन हड़ताल को टाल नहीं सके ।

रोडवेज की अपनी यूनियन ने पूर्व में जो गुप्त मतदान में विजयी होकर मान्यता प्राप्त की थी । सरकार यूनियन की ताकत को कम करने के लिए सभी प्रकार के हथकण्डे उपयोग में ले रही थी । १६ जनवरी की हड़ताल निगम और सरकार के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने आयी ।

हड़ताल के तुरन्त बाद यूनियन के अध्यक्ष का० एम०एल०यादव को आरोप पत्र जारी किया गया और उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया । इसके बाद ही यूनियन के तमाम सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को उनके कार्य स्थानों से

दूर-दूर स्थानान्तरित करने, सेवा से निलम्बित करने, धारा १३ स्थाई आदेश के अन्तर्गत बिना किसी चार्जसीट व जांच कार्यवाही के सेवा से निलम्बित करने का कार्य भी व्यापक पैमाने पर किया गया । यूनियन कार्यकारिणी की बैठक में अपनी यूनियन पर हुए हमले के सम्बन्ध में चर्चा हुई और इस कदम का हर स्तर पर मुकाबला करने का भी निर्णय लिया गया ।

रोडवेज यूनियन के निगम में कार्यरत अन्य श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रुप से इस हमले का मुकाबला करने का निर्णय लिया । लेकिन अन्य यूनियनों द्वारा संयुक्त कार्यवाही में रुचि न लेने पर यूनियन के आम श्रमिकों की भावनाओं तथा श्रमिकों में व्याप्त डिमोरेलाइजेशन के कारण कुछ न कुछ आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाथ में लिये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।

उक्त निर्णय के अनुसार १६-२-८२ को प्रांत स्तर पर काला दिवस मनाया गया । दिनांक ५-३-८३ को विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया गया ।

उक्तरोक्त कार्यक्रम के बाद यूनियन की ओर से ३-६-८२ को प्रान्त स्तर हड़ताल के लिए मतदान का निर्णय लिया गया । गुप्त मतदान के परिणामों को घोषित करने के साथ ही निगम कर्मचारियों द्वारा ६-६-८२ को राज्य स्तरीय प्रदर्शन की घोषणा की गई ।

इस बीच केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा हस्तक्षेप करने व उनके द्वारा निगम नियोजक प्रतिनिधि से वार्ता करके परिणामस्वरूप श्रमिकों की कुछ मांगों पर आश्वासन के आधार पर प्रस्तावित प्रदर्शन और तत्सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम स्थगित कर दिये गये ।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अन्य मांगों पर एवं श्रमिकों की सेवा मुक्ति, कार्यकर्त्ताओं के स्थानान्तरण आदि के सिलसिले में कोई प्रगति नहीं होने पर यूनियन के नेतृत्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह फिर बन गया ।

नेतृत्व में यह भावना पैदा हुई कि अगर उक्त आंदोलन स्थगित नहीं किया जाता तो जो जोश श्रमिकों में उस वक्त था उसे आंदोलन की ओर मोड़कर कुछ न कुछ फैसला कराया जा सकता था ।

इसी दौरान निगम प्रशासन ने का० यादव को पदोन्नति देकर श्रमिक संगठनों के लिए कार्य करने से रोकने का प्रयत्न किया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई जो अभी भी विचाराधीन है। साथी यादव को एक लंबे अर्से तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया और उन्हें करीब एक वर्ष से वेतन भी नहीं मिल रहा है।

इन तमाम संघर्षों एवं दमन के बीच मई, १९८३ में यूनियन का आठवां प्रान्तीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ।

सम्मेलन को असफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन सम्मेलन सफल रहा। एटक के महामंत्री का० इन्द्रजीत गुप्त ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और का० एच० के० व्यास ने समापन।

विद्युत मण्डल कर्मचारियों एवम् श्रमिकों की ५७ दिन की हड़ताल एवम् [redacted] की भूमिका

राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का १७ वां प्रांतीय अधिवेशन २५ व २६ अप्रेल, १९८२ को जयपुर में सम्पन्न हुआ था। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय बिजली कामगार महासंघ के महामंत्री साथी ए० बी० बर्धन भी उपस्थित थे जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों की मांगों पर संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सम्मेलन के बाद बिजली कर्मचारियों में कार्यरत विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन का निर्णय लिया जाकर १६-५-८२ से अनिश्चित कालीन हड़ताल का नोटिस संयुक्त रूप से जारी किया गया।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि इस बीच इंटक में दामोदर मौर्य गुट बाहर निकल जाने से बिजली कर्मचारियों में संयुक्त संघर्ष की स्थिति में मजबूती आयी। जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कर्मचारियों में व्यापक एकता कायम हुई और श्रमिक १६-५-८२ से हड़ताल पर चले गये।

राज्य सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को गैरकानूनी करार देकर कर्मचारियों की धुंआधार गिरफ्तारी शुरू कर दी। पूरे राज्य में बिजली कर्मचारियों की व्यापक गिरफ्तारी राजस्थान के श्रमिक आंदोलन के लिए एक चुनौती सी बन गई थी। बावजूद आफिसियल इंटक संगठन के विरोध के हड़ताल पूर्णत: सफल रही और राज्य भर में करीब ६५००० श्रमिक हड़ताल पर डटे रहे। संघर्ष समिति के कुछ साथियों को छोड़कर अन्य सभी गिरफ्तार हो गये। और विरोध स्वरूप जयपुर जेल में भी एटक के साथियों के नेतृत्व में भूख हड़ताल शुरू की गई।

-------१२

कर्मचारियों के आंदोलन को बल देने और सरकार को वार्ता के लिए मजबूर करने के लिए राज्य की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने (कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर) माणक चौक चौपड़ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी ।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में हमारे जोधपुर डिवीजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सबसे अधिक पुलिस दमन और अन्य प्रकार के प्रशासनिक दमन की कार्यवाही जोधपुर डिवीजन के साथियों को भुगतनी पड़ी ।

राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी मांगों का निपटारा नहीं किये जाने की नीति अपनाने के कारण अभियान समिति के आह्वान पर ६ जुलाई को राजस्थान में एक दिन की औद्योगिक हड़ताल का नारा दिया गया । सरकार द्वारा श्रमिकों से वार्ता शुरू करने के आश्वासन पर ६ जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने और भूख हड़ताल पर बैठे राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से भूख हड़ताल वापिस लिये जाने की अपील की गई ।

बिजली कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता में गतिरोध के कारण १५-७-८२ को जयपुर में एक दिन की औद्योगिक हड़ताल का नारा दिया गया जिसका का० मोहन पुनमिया ने विरोध किया । लेकिन उसी दिन सात सूत्री मांगों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर के आश्वासन और लिखित अपील पर संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस ले ली । लिखित अपील और मौखिक आश्वासन में समस्त कर्मचारियों को कार्य पर लेने, जेल में बंद कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के तहत तुरन्त रिहा किये जाने, हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश और आगे अर्जित अवकाश में समायोजित कर वेतन का भुगतान करने, बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करने, निकट भविष्य में अंतरिम राहत की घोषणा करने आदि के सम्बन्ध में सद्भावनापूर्ण प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की बात को आधार बना कर संघर्ष समिति ने हड़ताल वापिस ले ली ।

हड़ताल को वापिस लेने के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने दिये गए मौखिक आश्वासनों का पालन करने से इंकार कर दिया । बिजली कर्मचारी एक लंबी हड़ताल के बाद उक्त आश्वासनों की पूर्ति के लिए तुरन्त किसी प्रकार के संघर्ष के लिए उठ खड़े होते, यह संभव नहीं था ।

अभी संगठन अलग-अलग अपने- अपने स्तर पर विकितमाइजेशन के विरुद्ध एवं श्रमिकों को नौकरी पर पुनः रखवाने के क्रियाकलाप में जुट गये ।

राज्य सरकार एवं विद्युत मंडल ने इस आड़ में सब इंटक से सम्बन्धित संगठन से वार्ता करके श्रमिकों की मांगों को पंच फैसले के लिए सौंप दिया । बिजलीकर्मचारियों

की संयुक्त संघर्ष समिति एक लम्बे अर्से तक इस सम्बन्ध में आश्वासनों के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र व्यवहार द्वारा एवं अन्य प्रकार से आंदोलन चलाती आयी है और इस बीच कुछ घण्टे कामबंदी आदि का भी निर्णय लिया । इस आंदोलन की शिथिलता मण्डल पर व सरकार पर विशेष प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हो पायी ।

इस बीच संयुक्त संघर्ष समिति में से भारतीय मजदूर संघ का हिस्सा अलग हो गया और उन्होंने आम घोषणा करके आंदोलन का विरोध भी किया ।

बिजली कर्मचारियों की ५७ दिन की ऐतिहासिक हड़ताल से कर्मचारियों के लिए कुछ राहत प्राप्त करने में हमें तत्काल कामयाब नहीं हो पाए ।

राजस्थान में सूत मिलों का आन्दोलन

राजस्थान में सन् १९७३ से ही यह परम्परा चली आयी है कि इस उद्योग में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संगठन संयुक्त रुप से श्रमिकों की मांगों पर आंदोलन आयोजित कर समझौते के जरिये मांग हासिल करती आई है । इसी परम्परा के अन्तर्गत मार्च १९८२ में संयुक्त श्रमिक समिति के आहवान पर एक दिन की सांकेतिक हडताल व जुलाई ८२ में एक समझौता सम्पन्न हुआ । और श्रमिकों को आन्तरिक राहत प्राप्त हुई । उक्त समझौते एक वर्ष के लिए किया गया था । और यह निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष के बाद मांग पत्र पर वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्त समझौता अनुसार सन् १९८३ में संयुक्त रुप से पुन: उक्त मांगों पर वार्ता के लिए मांग की गई । यहां हम इस बात का उल्लेख किया जाता है कि राजस्थान में सूती मिलों के मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में इंटक भी सम्मिलित अन्य केन्द्रीय संगठनों के साथ सम्मिलित होती आई है ।

बम्बई के सूती मजदूरों के आन्दोलन के जो परिणाम निकले उसके बाद राजस्थान के सूती मिलों के मालिकों ने मांग पत्र पर विचार करना तो दूर रहा बल्कि वे १९८२ में समझौते के अन्तर्गत भुगतान किये गये एक मुश्त रकम ३५ रुपये को बढ़े हुए महंगाई सूचक आंकड़े के एवज में भुगतान योग्य महंगाई भत्ते में समायोजित किये जाने की मांग करने लगे । मिल मालिकों के समझौता वार्ता में असहयोग की नीति के परिणामस्वरुप उत्पन्न स्थिति पुर विचार हेतु अभियान समिति के १ अक्टूबर ८३ को व्यावर में सूती मिलों में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया । सम्मेलन में राजकीय सूती मिलों के कामगारों की स्थिति पर विचार करने के बाद राज्य व्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया गया ।

------१४

राज्य के श्रम मंत्री और श्रम विभाग की मध्यस्थता कर मांगों के निपटारे के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया । लेकिन स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

जयपुर मेटल्स में श्रमिक विरोधी समझौता और आंदोलन

जयपुर स्थित जयपुर मेटल्स कारखाने में कार्यरत श्रमिकों पर दमन के खिलाफ मई १९८४ में आमरण अनशन का कार्यक्रम चला जिसमें श्रमिक यूनियन के तमाम पदाधिकारी आज सेवा से निलम्बित चल रहे हैं ।

जनवरी १९८४ को राजस्थान के दैनिक अखबारों में जयपुर मेटल्स में एक श्रमिकों और आयोजकों के उक्त समझौते में कारखाने को बचाने तथा १६०० श्रमिक तथा कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के नाम पर पांच वर्ष के लिए वेतनजाम की शर्तों के साथ उत्पादन में करीब दुगुनी वृद्धि तथा अन्य श्रमिक हित विरोधी शर्तों सहित यह समझौता लागू कराने के लिए नियोजकों द्वारा पहल की ।

आरम्भ में इस समझौते पर मान्यता प्राप्त भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन तथा इंटक ने हस्ताक्षर किये । नियोजकों ने कारखानें में कार्यरत स्टाफ यूनियन के पदच्युत अध्यक्ष से भी यूनियन के पदाधिकारी के [illegible] तौर पर हस्ताक्षर करवा लिये ।

समझौते में उल्लेखनीय शर्तों में इस बात का भी उल्लेख था कि जो श्रमिक इस समझौते की स्वीकृति बाबत लिखित घोषणा नहीं करता उस श्रमिक को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । स्मरण रहे कि यह उद्योग सन् १९७७ से रिसीफ अण्डरटेकिंग है तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रम कानून इस पर लागू नहीं होता । उक्त समझौते के तुरन्त बाद नियोजकों ने विभिन्न अवसरों पर लगभग ४०० कर्मचारियों व श्रमिकों को सेवामुक्त कर दिया तथा उत्पादन के गलत आधार बनाकर वेतन में से १३ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक वेतन कटौती कर दिया। हमारे यूनियन के भी साथियों ने परिस्थितियों के वशीभूत होकर बाद में जाकर समझौता पर हस्ताक्षर कर दिये थे ।

इस समझौते ने जहां श्रमिक आन्दोलन को क्षति पहुंचाई है वहां पर खुद जयपुर मेटल के मजदूरों को भी क्षति पहुंचाई है ।

विभिन्न केन्द्रों पर अपने संगठनों का कार्य

अलवर :- अलवर जिले में अलवर शहर को छोड़कर भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र जो दिल्ली तथा हरियाणा से लगा हुआ है में अपना विभिन्न कारखानों में संगठन मौजूद है । इस क्षेत्र में किसी अन्य केन्द्रीय संगठन का अभी तक कोई विशेष

------१५

प्रभाव नहीं है । हमारे संगठन ने वहां कई लड़ाईयां लड़ी है और ओरिएन्ट सिन्थेक्स नामक कारखाने के सामने मालिकों के इशारे पर गेट मीटिंग के समय पुलिस की गोली से अपना एक बहुत ही नौजवान कार्यकर्त्ता शहीद हो गया और कई अन्य कार्यकर्त्ता घायल हो गये । वहां के श्रमिकों के नेता साथी श्रीराम यादव कई दिनों तक पुलिस के अत्याचारों के शिकार हुए और उन्हें और कई साथियों को हाई कोर्ट से जमानत पर छुड़ाया गया और करीब ६० श्रमिक कार्यकर्त्ताओं पर संगीन मुकदमें चल रहे है । जहां तक अलवर शहर का तालुकात है रोडवेज, बिजलीघर, सिनेमा । तांगा चालक इत्यादि यूनियनें कार्यरत है ।

अलवर जिले में कुल मिलाकर १८ यूनियनें मौजूद है लेकिन ये सभी यूनियनें आवश्यक नेतृत्व जन संगठन में कार्य के लिए आवश्यक सूझ बूझ वाले साथियों के अभाव में चल रहे हैं ।

खेतड़ी :- झूंझनूं जिले में स्थित खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में अपनी यूनियन जो बहुमत यूनियन थी । जनता राज में गुप्त मतदान के अवसर पर स्थानीयवाद और जातिवाद के प्रभाव से भारतीय मजदूर संघ के सामने ४०० वोटों से परास्त हो गई ।

गुप्त मतदान के अवसर पर अपनी यूनियन के खिलाफ सभी वर्गों ने जिसमें सीटू भी सम्मिलित है, कार्य किया लेकिन गुप्त मतदान में परास्त होने के बावजूद भी अपनी यूनियन का प्रभाव आम श्रमिकों में इतना गहरा था और है कि नियोजकों पक्ष को बिना अपनी यूनियन को विश्वास में लिये कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं है । पिछले दिनों वहां के कच्ची बस्ती के निवासियों को कठिनाईयों को लेकर अपनी यूनियन के कार्यकर्त्ताओं ने पुलिस जुल्म के खिलाफ आंदोलन किया जिसमें वहां का प्रशासन यूनियन के कार्यकलापों में असन्तुष्ट होकर एक बच्चे की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस ने जानबुझ कर यूनियन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं को झूंठे मुकदमों में फंसाया जिन्हें काफी लंबे अर्से तक परेशानी उठानी पड़ी ।

वर्तमान स्थिति में इस संगठन ने अपनी स्थिति पुनः अच्छी बना ली है । इस संगठन ने अपना पहल अन्य खानों में भी बढ़ा लिया है । मौजूदा स्थिति में श्रमिकों के वेतन, महंगाई भत्ता। पद वर्गीकरण आदि विषय पर पूरे कॉपर प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों के साथ हमारा संगठन वार्ता कर रहा है जिसमें प्रमुख भूमिका हमारे संगठन की ओर से अदा की जा रही है । इस संगठन का अधिकांश: कार्य केन्द्रीय स्तर पर होने के नाते एटक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा का० पार्वती कृष्णन के निर्देशन में चलता है । वेतन आदि से सम्बन्धित मामलात पर का० पार्वती

------ १६

कृष्णान जो यूनियन की अध्यक्ष भी है । अन्य प्रतिनिधियों के साथ भाग लेते हैं । राज्य केन्द्र का कार्य केवल मात्र संगठनात्मक विषयों से सम्बन्धित है ।

अजमेर जिला :- अजमेर जिले में प्रमुख कार्य ब्यावर में है । जहां टेक्सटाईल लेबर यूनियन का मुख्य कार्य है । वहां के स्थानीय ३ टेक्सटाइल मिलों में हमारी बहुमत यूनियन है मौजूदा स्थिति में श्री कृष्णा मिल के बंद होने से सदस्यता में प्रभाव पड़ा है फिर भी बाकी की दोनों यूनियन बहुमत में है ।

ब्यावर का मजदूर वर्ग अपने ऐतिहासिक आंदोलन की परम्पराओं को लेकर अपने अधिकारों के संघर्ष में अग्रणी भूमिका अदा करते आये है । पूर्व में एडवर्ड एवं महालक्ष्मी मिल को चालू कराने के लिए जो निरन्तर संघर्ष किया था और उनमें सफलता प्राप्त की थी उसी प्रकार पिछले ९ वर्षों से कृष्णा मिल को पुन: चालू कराने के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे है । इस आंदोलन में प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सत्याग्रह आदि हमारे संगठन में अग्रणी भूमिका अदा की है ।

ब्यावर में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के अलावा अन्य यूनियनें भी कार्यरत है जिसमें बिजली कर्मचारी, खान श्रमिक, लघु उद्योग, विजयनगर में सीमेन्ट एवं टेक्सटाईल मजदूरों की यूनियनें, किशनगढ़ में पावरलूम तथा टेक्सटाइल मजदूरों की यूनियन, टेलरिंग मजदूर यूनियन, अजमेर में रिक्शा मजदूर यूनियन, आटो टेक्सी मजदूर यूनियन, लघु उद्योग मजदूर यूनियन आदि में एटक के कार्यकर्ता व एवं साथी कार्य कर रहे हैं ।

पाली :- पाली में अपना मुख्य कार्य टेक्सटाइल मिल में है । जो कपड़ा मजदूर यूनियन के नाम से कार्य करती आ रही है । ये यूनियन जहां संगठनात्मक दृष्टिकोण से सुसंगठित है वहीं दूसरे संगठनों में अपना प्रभाव बनाये हुए हैं । पाली में इस यूनियन के अलावा कमठा मजदूर तथा प्लास्टिक मजदूरों की भी यूनियन कार्यरत है ।

जयपुर जिला :- जयपुर में राज्य केन्द्र होने के नाते विभिन्न राजकीय प्रतिष्ठानों का मुख्य कार्यालय स्थित है जिसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, राजस्थान कृषि उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान हाथ कर्घा मंडल आदि में अपना संगठन कार्यरत है । इसके अलावा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र तथा शहर के मेटल एवं इंजीनियरिंग कारखानें में भी अपनी यूनियन कार्यरत है । सिनेमा, होटल आदि में अपने साथी कार्यरत है । इन संगठनों के अलावा राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन, बिजली कर्मचारी फेडरेशन आदि के प्रांतीय कार्यालय जयपुर में स्थित है । जयपुर के श्रमिक एवं राजनीतिक आंदोलन में मुख्य रूप से नीति औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के वर्ग जैसे जयपुर मेटल्स, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, शहर के मेटल एवं इंजीनियरिंग कारखाने के श्रमिक

-------१७

मुख्य रूप से आंदोलनों में हिस्सा लेते आये है ।

राजकीय प्रतिष्ठानों के राज्य स्तरीय संगठन होने के नाते उनका विशेष सहयोग चाहे अभियान समिति के आहवान हो या स्थानीय संगठनों से सम्बन्धित मांगों को लेकर आंदोलन का सवाल हो आवश्यक सहयोग उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

जोधपुर :- जोधपुर शहर में अपना मुख्य कार्य जोधपुर शहर में स्थित डिविजनल यूनियनों द्वारा संचालित होता है । हमारे संगठन पी० डब्ल्यू० डी०, बागात व विजलीघर तीनों ही संगठनों का कार्यक्षेत्र जोधपुर डीविजन है । ये तीनों संगठन राजकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र में है । इसके अलावा सिनेमा, आटो रिक्शा, वूलन मिल, इंजीनियरिंग आदि में हमारा संगठन कार्यरत है । जोधपुर शहर में प्रभावशाली संगठन एकमात्र एटक के ही संगठन है जो अभियान समिति या एटक के नारों को क्रियान्वित करने में पहल लेते है तथा स्थानीय संगठनों की समस्याओं को लेकर आयोजित संघर्ष में संयुक्त रूप से अपनी भूमिका संघर्षरत श्रमिकों के पक्ष में निभाते है ।

बीकानेर :- बीकानेर में प्रमुख भुमिका अपने अखिल भारतीय रेलवे वर्कर्स फेडरेशन तथा एटक से सम्बन्धित नोदर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन की रही है । रेलवे वर्कर्स के अलावा हमारा संगठन वन विभाग, पी० डब्ल्यू० डी०, तथा दुग्ध परियोजना और विजलीघर में भी है । इन संगठनों में कार्य मुख्य रुप में दुग्ध योजना के श्रमिकों में अच्छा कार्य चल रहा है । यह संगठन नया होने के साथ विकास भी कर रहा है ।

श्रीगंगानगर :- श्री गंगानगर जिले में अपना टेक्सटाईल, सुगर मिल, रिक्शा तथा रोडवेज में कार्य है । इन संगठनों में सबसे पुराना संगठन गंगानगर शुगर मिल एम्पलाईज यूनियन है । दूसरा टेक्सटाईल मिल में कपड़ा मजदूर यूनियन है । गंगानगर जिले के ही हनुमानगढ़ में कोआपरेटिव मिल में अपनी एक यूनियन बनी है लेकिन इस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्य में नेतृत्व एवं सुझबुझ वाले साथियों के अभाव में ट्रेड यूनियनों को चालना देने में कमी के कारण विकास अवरुद्ध हो रहा है ।

झालावाड जिला :- झालावाड जिला जयपुर से काफी दूर स्थित क्षेत्र है । वहां पर (भवानी मंडी) में टेक्सटाईल श्रमिकों की एक यूनियन, सिनेमा, नगरपालिका तथा सिंचाई कर्मचारियों का भी संगठन कार्यरत है ।

-------१८

इन संगठनों में कार्य स्थानीय तौर पर संचालन होता है लेकिन केन्द्र से आवश्यक संपर्क स्थापित नहीं हो पाता ।

भवानी मंडी एक अलग-थलग पड़ा हुआ क्षेत्र है जहां टेक्सटाईल श्रमिकों में अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ अपना भी एक संगठन चल रहा है लेकिन इस क्षेत्र में भी संगठनों के कार्य में सूझबूझ तथा नेतृत्व देने वाले साथी के अभाव में विकास की संभावनाओं के बावजूद कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है । झालावाड़ खास में सिंचाई एवं नगरपालिका तथा सिनेमा कर्मचारियों की यूनियन को नेतृत्व देने वाले साथी मौजूद है लेकिन यूनियन के दैनदिन कार्य में जो सहयोग केन्द्र से प्राप्त हो-ना चाहिये हम प्रदान करने में सफल नहीं हो सके ।

कोटा :- औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित क्षेत्र है बड़े-बड़े कारखानें वहां स्थित है और ट्रेड यूनियन गतिविधियां में राज्य के अन्य केन्द्रों से आगे बढ़ा हुआ है ।

आरम्भ में सीटू के कार्यकर्त्ता यहां इन बड़े बड़े उद्योग में अपना फैलाव करने में कामयाब हुए ।

इस क्षेत्र में अपना संगठन मौजूद स्थिति में रामगंज मण्डी मेलाइम स्टोन श्रमिकों का एक संगठन है जो कि सन् १९८० में एटक से एफिलियेशन हु-आ था और उसके बाद उनसे सम्पर्क राज्य केन्द्र से नहीं हो पाया ।

कोटा में नगरपरिषद कर्मचारी यूनियन, सिनेमा कर्मचारी यूनियन, प्रेस कामगार यूनियन कार्यरत है ।

~~इन संगठनों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में स्थानीय~~

भरतपुर जिला :- भरतपुर में हमारे साथी सिमको, तैल मिल, रिक्शा मजदूरों में अपने संगठन चलाते है । अभी तक इन यूनियनों का एटक से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है ।

उदयपुर जिला :- उदयपुर जिले में जावर माईन्स में हमारी यूनियन है । इंटक की स्थापित मान्यता प्राप्त यूनियन के मुकाबले में हमारी यूनियन छोटी है फिर भी हम कई मामलों में पहल करते है । इसी दौर में मिनरल कारपोरेशन के कर्मचारियों का जो अखिल भारतीय स्तर के संगठन की शाखा है जिसके राज्य के विभिन्न केन्द्रों में १००० सदस्य कार्यरत है । यह संगठन भी हमारे सहयोगी संगठन के रुप में जावर माइन्स के अपने संगठन को मदद पहुंचाते आ रहे है ।

सीकर जिला :- सीकर जिले में हमारे तीन क्रियाशील यूनियनें हैं एक वाटर वर्क्स में तथा अन्य स्थानीय आरोग्य केन्द्र तथा तांगा यूनियन । यहां भी इन साथियों को नेतृत्व देने के लिए उपयुक्त साथी के अभाव में हम आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे है ।

राज्य केन्द्र

राज्य कमेटी एटक द्वारागठित राज्य श्रम सम्मेलन, स्थायी समिति, श्रम कानून सरलीकरण समिति, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति आदि के कार्यों में भी समय समय पर एटक के प्रतिनिधि भाग लेकर एटक की नीतियों के आधार पर कार्य किया है ।

राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून सरलीकरण समिति में आरम्भ में का० जयन्तीलाल शाह एटक के प्रतिनिधि थे और उक्त समिति द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट को श्रम सम्मेलन द्वारा पुनः एक नई समिति की विस्तृत विवेचना हेतु प्रेषित किया ।

उक्त समिति ने विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये है जो राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा ।

इस अर्थ में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन अनुसूचित उद्योगों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दर में संशोधन हेतु मांग पर न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति में महंगाई सूचक आंकड़े में वृद्धि के आधार पर वेतन दर में वृद्धि की मांग की गई थी । यह मसला पिछले करीब २० सालों से चली आ रही है ।

इस बार सिद्धान्त यह स्वीकार किया गया कि डा० ओमप्रकाश कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बढ़े हुए महंगाई का ७५ प्रतिशत अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों के वेतन पुनः निर्धारण के समय समयोजित किया जावे ।

उपरोक्त सर्वसम्मत प्रस्ताव पर सरकार के वित्त विभाग द्वारा अब तक स्वीकृति नहीं दी है जबकि श्रम विभाग से उक्त प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम वेतन दर में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हुए भी काफी अर्सा गुजर चुका है ।

राजस्थान श्रम सम्मेलन की --4--- बैठकें इस बीच सम्पन्न हुई उसमें अपने संगठन की ओर से महामंत्री का० के० विश्वनाथन् भाग लेते रहे है । सम्मेलन में सरकार की श्रमनीति संगठनों की शिकायतों पर विस्तृत चर्चा होती है जिसमें अपना पक्ष रखा जाता रहा है ।

एटक का इस सम्मेलन में प्रमुख रोल रहता आया है ।

----------२०

सम्मेलन में एक स्थायी श्रम समिति का भी गठन हुआ है जो सम्मेलनों के मध्य किसी विशेष मुद्दों पर विचार किया जाकर श्रम सम्मेलन को सिफारिश करे तथा श्रम सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णयों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही करें ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना व राज्य कर्मचारी भविष्य निधि योजना में भी एटक के एक सदस्य मौजूद है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एटक के महामंत्री सदस्य है इस अर्थ में जो उपलब्धी रही है वह रीजन बोर्ड द्वारा गठित उप समिति का कार्य है । यह समिति विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालयों का निरीक्षण करना, दवाओं की समुचित व्यवस्था की देखभाल, अंशदाताओं के दवाओं के बिल का समय पर भुगतान तथा चिकित्सालय की अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखने का कार्य यह समिति करती है ।

इस मध्य भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भिवाड़ी, सवाई माधोपुर आदि केन्द्रों का दौरा समिति ने किया है और वहां की व्यवस्थाओं पर नजर रखा गया है ।

रीजनल कमेटी की मीटिंग में नीतिगत विषयों पर भी निर्णय लिये गये है और डाक्टरों के दुव्यवहार भ्रष्टाचार , छुट्टियों के सम्बन्ध में डाक्टरों की मनमानी पर भी छानबीन की गई है ।

एटक के प्रतिनिधि द्वारा गंगानगर तथा जयपुर के चिकित्सालयों में दवाओं की चोरी सम्बन्धी केसों को भी दस्तावेज के साथ पेश किया है जिसपर जांच चल रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बोर्ड में जयपुर से का० एन०के०सोमानी सदस्य है । विभिन्न यूनियनों से श्रमिकों के भुगतान बाबत शिकायतों पर यहां से कार्यवाही की जाती है । लेकिन संतोषप्रद स्थिति इस विभाग की नहीं है।

जिन कारखाने दारों ने अपना हिस्सा रकम भुगतान नहीं किया है उक्त संस्थान के श्रमिकों की नियोजक पक्ष का अंशदान एक पोलिसी के तौर पर भुगतान नहीं करते । इस सवाल को केन्द्रीय स्तर पर उठाना आवश्यक है । राज्य केन्द्र ने इस पर कार्यवाही की है ।

कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही है कि श्रमिक फाइनल सेटलमेन्ट के लिए जो बैंक खाता संख्या फार्म में भरकर भेजते है उस पर उक्त खाता संख्या को बैंक से प्रमाणित कराकर भेजने की मांग की भी शिकायतें आती है । जिसपर राज्य केन्द्र से कार्यवाही की गई ।

राज्य कमेटी का गत अधिवेशन जैसाकि ऊपर उल्लेखीत है, १२-१३ अक्टूबर,८० को जयपुर में सम्पन्न हुआ ।

एटक के केन्द्र से तत्कालीन महामंत्री का० के०जी०श्रीवास्तव ने सम्मेलन में भाग लिया था । सम्मेलन में विभिन्न जिलों से १७६ प्रतिनिधियों तथा विशेष आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

सम्मेलन में प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा के उपरान्त रिपोर्ट स्वीकार किये गये और विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार करने के उपरान्त एक ४१ साथियों की कार्यकारिणी का गठन किया गया ।

सम्मेलन में भावी कार्य के रूप में निम्न कार्यक्रम स्वीकार किये गये :-

१- राज्य में अनुसूचित उद्योग में मौजूदा न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाकर न्यूनतम वेतन ३५० रूपये मासिक निर्धारित किये जाने के लिए अविकसित एवं असंगठित अनुसूचित उद्योगों के श्रमिकों को संगठित कर संघर्ष में उतारें ।

२- राज्य में ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत श्रमिकों का शोषण समाप्त करने के लिये कारखानों में तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एवं तथाकथित जासूसी संस्थानों द्वारा श्रमिकों के शोषण के विरूद्ध संघर्ष को तेज करें ।

३- श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में श्रम विभाग की उदासीनता तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का श्रम विभाग द्वारा दुरूपयोग के विरूद्ध आंदोलन संगठित किया जावें ।

४- साम्प्रदायिक एवं विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध देश की अखंडता एवं एकता तथा श्रमिक वर्ग में फैलाये जा रहे साम्प्रदायिक एवं स्थानीयतावादी नारों के विरुद्ध व्यापक श्रमिक मोर्चे के माध्यम से इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करें ।

५- सभी सम्बन्धित संगठनों का जिनका वार्षिक सम्मेलन अब तक सम्पन्न नहीं हुआ है उनका जनवरी ८१ के अन्त तक सम्मेलन सम्पन्न कराया जावे एवं प्रत्येक वर्ष राज्य का एवं एटक की लेवी और एफिलियेशन फीस राज्य व केन्द्र को प्रदान किया जावें ।

६- (१) जिले में एवं स्थानीय पैमाने पर सभी संगठित युनियनों का समन्वय स्थापित करने के लिए कौंसिल या समन्वय समिति का निर्माण किया जावें ।

(२) इस समन्वय समिति द्वारा एक दूसरे संगठन के आंदोलन में तथा अन्य विषय में मार्गदर्शन के लिए संयुक्त सलाहकार समिति का निर्माण किया जावें ।

३- स्थानीय समस्याओं एवं आन्दोलनों के सम्बन्ध में कौंसिल या उक्त समिति द्वारा दिशा निर्धारित किया जावें ।

------२२

(४) लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिक संगठनों के आंदोलनों में सम्मिलित समिति की भूमिका आवश्यक माना जावें ।

७- कारखानों में और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एप्रेन्टिस श्रमिकों को ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें उसी कारखानें में नौकरी की व्यवस्था करने में ट्रेड यूनियन द्वारा मांग की जावें ।

८- (१) खान, टैक्सटाईल उद्योग, म्यूनिसिपल्टीज, सीमेन्ट उद्योग में नये सिरे से संगठन का निर्माण और मौजूदा संगठनों के समन्वय के समय समिति का औद्योगिक आधार का गठन ।

(२) टैक्सटाईल उद्योग में का० कल्याणसिंह के संयोजकत्व में कार्य में सभी साथियों के सहयोग की आवश्यकता ।

९- राजकीय संस्थानों में कार्यरत संगठनों का अभी हाल ही में गठित समन्वय समिति जिसके संयोजक का० डी०सी० मंडाली है को क्रियाशील बनाने में स्थानीय साथियों के सहयोग की आवश्यकता ।

१०- स्माल स्केल उद्योगों में एटक के नेतृत्व में चलने वाले संगठनों द्वारा आंदोलन के प्रति अपना दृष्टिकोण में आवश्यक सुधार ।

११- राज्य केन्द्र को व्यवस्थित संगठन कायम करने के उद्देश्य से दो पूरावक्ती साथियों का चयन ।

१२- अन्य केन्द्रीय संगठनों से तालमेल के साथ ही समन्वय समिति का पुन: गठन ।

उपरोक्त निर्णयों के सम्बन्ध में मूल्यांकन करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में लेना होगा कि सम्बन्धित निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए हम किस हद तक राज्य केन्द्र को सहयोग देने में कामयाब हुए ।

राज्य सम्मेलन के तुरन्त बाद एटक के ३१ वें०अधिवेशन विशाखापटनम में भाग लेने के लिए तैयारी में सभी लोग जुट गये और राज्य से १६ यूनियनों से ४१ साथियों ने सम्मेलन में भाग लिया। उक्त यूनियनों की सदस्यन संख्या १७६०१ है जबकि राज्य में एटक से सम्बन्धित संगठनों की कुल सदस्य संख्या ३६ हजार आंकी गई है ।

३१ वें अधिवेशन में राज्य को जनरल कौंसिल में ५ स्थान और कार्यकारिणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था । एक और स्थान राज्य के कोटे से रेलवे को दिया गया जो नार्थन रेलवे के प्रतिनिधि को चुना गया ।

गत सम्मेलन से अब तक के मध्य राज्य केन्द्र द्वारा कार्यकारिणी की ----- मीटिंगें आयोजित की गई ।

मीटिंगों में उपस्थिति संतोषप्रद नहीं रही और राज्य केन्द्र का संचालन भी एक व्यक्ति के जिम्मे ही रहा जो खुद भी अन्य कार्यों में व्यस्त रहे है ।

राज्य केन्द्र का मुख्य कार्य केन्द्रीय कार्यालय से जारी परिपत्रों, केन्द्रीय कार्य समिति जनरल कौंसिल, केन्द्रीय अभियान समिति तथा राज्य अभियान समिति के आह्वानों के आधार पर जिलों तथा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों को चालना देने के लिए पत्र व्यवहार और कभी-कभी केन्द्र से स्थानीय दौरों का द्वारा मात्र रहा है । इन स्थितियों का मूल्यांकन करके कुछ ठोस कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए सन् १९८३ में हमने राज्य केन्द्र की संगठनात्मक स्थिति पर विचार कर कुछ महत्व-पूर्ण निर्णय लिये थे जिसमें १६ जून ८३ को एटक के नेतृत्व में राज्य के श्रमिक वर्ग के ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रांतव्यापी प्रदर्शन जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय के साथ एटक को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तथा राज्य केन्द्र को सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक विशेष फंड अभियान चलाने का निर्णय लिया था । इस सम्बन्ध में एटक की तरफ से ५०,००० हजार रुपये का फण्ड एकत्रित करने का भी निर्णय लिया गया ।

राज्य केन्द्र द्वारा बडौदा में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन, टैक्सटाईल उद्योगों के श्रमिक संगठनों का कलकत्ता सम्मेलन के सम्बन्ध में तथा एटक से सम्बन्धित यूनियन के सदस्यता, एफिलियेशन तथा लेवी आदि के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित यूनियनों को सूचना भेजी गई ।

राज्य केन्द्र से सभी मुख्य मुख्य अभियानों, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रसारित निर्देशों को संबन्धित यूनियनों को भेजकर उनसे आग्रह किया जाता रहा है कि उक्त कार्यक्रमों को सफल बनावें ।

संगठनात्मक स्थिति

राज्य में एटक से सम्बन्धित संगठनों की संख्या---------- है जिसमें से विशाखापटनम के अधिवेशन में भाग लेने वाले संगठनों की संख्या---------- ~~और भाग लेने वाले संगठनों की संख्या~~-------- थी जबकि वास्तविक सदस्यता जिनकी लेवी नहीं पहुंची थी उनको सम्मिलित किया जावे तो सदस्यता --------

बगलौर अधिवेशन में -------- संगठनों के ------- प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनकी सदस्यता ---------- होती है जबकि वास्तविक सदस्य संख्या --------- है ।

जैसाकि ऊपर जिलों की स्थिति का विवरण दिया गया है उसको ध्यान में लिया जावे तो अधिकांश संगठन जिसका नेतृत्व अपने एटक के साथी ही करते हैं अभी तक विधिवत एटक से सम्बन्धित नहीं है । केन्द्रीय सरकार द्वारा यूनियनों

------- २४

की सदस्यता वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें राजस्थान में एटक से सम्बन्धित संगठनों की सदस्यता केवलमात्र ७००० बतायी गई है जबकि वास्तविक सदस्यता ४५००० से अधिक है ।

हमने एटक के निर्णयानुसार वेरिफिकेशन के कार्य में भाग नहीं लिया जिससे भारतीय मजदूर संघ व इंटक को अपनी सदस्यता बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने में सहुलियत मिली । हमारे संगठन जोकि अपनी वास्तविक सदस्यता की संख्या प्राप्त नहीं कर सके उसका एक कारण यह भी है कि हमारे साथी यूनियनों के वार्षिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करते । यूनियन की वास्तविक सदस्यता दर्ज नहीं करते एटक से विधिवत एफिलियेशन लेवी के भुगतान आदि में जो त्रुटियां रह जाती है उसके कारण रिटर्न फार्म में सही स्थिति दर्ज नहीं हो पाती ।

उपरोक्त कारणों से हमारे संगठन की वास्तविक सदस्यता का लाभ केन्द्रीय संगठन को प्राप्त नहीं हो पाता ।

हमने अपनी बैठक में इस बात पर कई बार जोर दिया कि स्थानीय पैमाने पर यूनियनों की आपसी समन्वय कासम करके एक दूसरे को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए जिला कौंसिलों का निर्माण किया जाना चाहिये ।

जोधपुर, जयपुर व अलवर जिलेमें जिला कौंटियां मौजूद है अन्य स्थानों पर इस का अभाव है । अन्य खाम्पियों की ओर जिलों की स्थिति का जहां विवरण दिया है उसको उल्लेखित है । पूर्व में हमने राज्य केन्द्र को लेवी दिये जाने के निर्णयों के आधार पर यूनियनों से २५ पैसा प्रति सदस्य प्रतिवर्ष भुगतान की मांग करते आ रहे है कुछ नगण्य संख्या में यूनियनों को छोड़कर बाकी संगठनों द्वारा राज्य लेवी नहीं देने की एक नीति अपना ली । परिणामतः सन् १९८३ में हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि राज्य लेवी वसूल न किया जावें । इस निर्णय के पीछे दूसरा एक कारण यह भी रहा कि केन्द्रीय कौंटो ने यूनियनों से १० पैसे के स्थान पर २५ पैसे वसूल करना तय कर दिया जिसका ५० प्रतिशत राज्य केन्द्र को दिये जाने का निर्णय था ।

उपरोक्त स्थिति ने राज्य केन्द्र को केन्द्र से थोड़ी सी राहत उपलब्ध होने की संभावनाएं बनी ।

केन्द्रीय एटक ने विशाखापट्टनम अधिवेशन के उपरान्त समय-समय पर आयोजित कार्यकारिणी एवं कौंसिल की बैठकों में एटक के संगठनात्मक स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता महसूस करती आई है ।

गत बगलौर अधिवेशन के बाद एटक जनरल कौंसिल की एक बैठक अप्रेल ८४ को दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें बगलौर अधिवेशन के निर्णयों के क्रियान्वयन

सैक्रेट्रियेट ने विभिन्न राज्यों के कमेटियों के संगठनात्मक स्थितियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि :-

१- राज्य कमेटी नियमित केन्द्र को रिपोर्ट करे ।

२- कार्य समिति की नियमित बैठके आयोजित हो ।

३- मुख्य आंदोलनों की समीक्षा की जावे ।

४- अभियान समिति के कार्यक्रमों में राज्य स्तर पर राज्य कमेटियां पहल करे ।

५- राज्य केन्द्र कार्यालय में कम से कम एक उपयुक्त पूरावक्ती साथी की आवश्यकता ।

६- जिला कौंसिल का गठन तथा उसका फंक्शन

७- यूनियन के रेकार्ड की समुचित व्यवस्था तथा यूनियन द्वारा समय पर वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत कराना ।

८- सुनियोजित एस०टी०यू०सी० के विशेष फंड अभियान आयोजित करना ।

९- असंगठित श्रमिकों को संगठित करने के लिए तथा इस क्षेत्र में अपने विकास के लिए किसी एक साथी को मुख्य रुप से जिम्मा देना ।

साथियों ,

बगलोर अधिवेशन के निर्णयों के क्रियान्वयन का कार्य अपने सामने है ही जिसमें हमें ट्रेड यूनियन एकता के लिए स्थानीय स्तर पर पहल अपने हाथ में लेना है । व्यापक पैमाने पर श्रमिकों में इस एकता की आवश्यकता को प्रचारित करना है ।

असंगठित श्रमिकों को संगठित करने में हमारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । राज्य में हजारों० श्रमिक विभिन्न उद्योगों में असंगठित रह कर नियोजकों के शोषण का शिकार हो रहे है । चाहे वे खेत मजदूर हो, रूई पिन्दाई, सफाई, ऊन पिन्दाई सफाई, ईंट के भट्टों तथा चूने के भट्टों पर काम करने वालेहो पत्थर तुड़ाई,चुनाई, गोटा किनारी, बीड़ी उद्योग, पापड़ आदि उद्योगों में हजारों श्रमिक लगे हुए है । इन्हें संगठित करने का जिम्मा हमारा मुख्य जिम्मा मानकर हमें काम करना है ।

हमें अपने संगठन को चुस्त दुरस्त करने के लिए एटक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यों के अनुरुप हमें अपने काम करने के लिए भी राज्य केन्द्र को मौजूदा स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में लेकर हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने है ।

राज्य अभियान समिति ने राज्य के श्रमिक वर्ग के कुछ बुनियादी मांगों को लेकर राज्य व्यापी आंदोलन का भी कार्यक्रम अपने सामने है ।

तथा संगठनात्मक स्थिति पर विचार और निर्णय का विषय लिया गया ।

इस बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए एटक सेक्रेटरियेट की एक विस्तृत बैठक में संगठनात्मक निर्णय को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया और जिम्मा दिया गया ।

सेक्रेट्रियेट ने एटक के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रदेशों के साथियों को एवं एस०टी०यू०सी० को सहयोग देने एवं उक्त प्रदेशों को सम्पर्क बनाये रखने के लिए जिम्मा दिया गया । अपने प्रदेशराजस्थान के लिए का० पार्वती कृष्णन को जिम्मा दिया गया है ।

सेक्रेट्रियेट ने सभी प्रदेशों को यह जिम्मा दिया है कि वे अपने कार्य समिति एवं अन्य कार्यक्रमों की पूर्व सूचना केन्द्र को भेजे तथा कार्यकलापों की भी सूचना रिपोर्ट केन्द्र को भेजे ।

केन्द्रीय सेक्रेट्रियेट ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तर भारत के लिए मुख्यत: अन्य प्रदेशों के हिन्दी भाषी श्रमिकों के लिए हिन्दी में एक मासिक प्रकाशित किया जावे । जो ट्रेड यूनियन रेकार्ड का हिन्दी अंक है । इस सम्बन्ध में विस्तृत छानबीन और संभावनाओं को ध्यान में लेकर शीघ्रही इस सम्बन्ध में प्रदेशों को सूचित किया जायेगा ।

सेक्रेट्रियेट ने यह भी निर्णय लिया कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन २ या ३ माह के भीतर आयोजित किये जावें । जिसमें दिल्ली, हारियाणा, गाजियाबाद एवं अलवर सम्मिलित कियेजावें । इस सम्मेलन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है जिसमें का० वी०डी०जोशी, का० वाई० डी० शर्मा, का० रघुवीरसिंह, का० दर्शनसिंह, का० घनश्याम सिन्हा, का० सुखवीर त्यागी तथा एक साथी अपने अलवर से मनोनीत किये जाने है ।

सेक्रेट्रियेट ने विभिन्न औद्योगिक फेडरेशन के असंतोषपूर्ण स्थितियों पर विचार कर निर्णय लिया गया । सम्बन्धित फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने अपने सम्मेलन कराने के लिए तारीखें तय कर दी जिसमें उनके संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की जावे । ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ने उपरोक्त निर्णयानुसार १२ व १३ मई को अपना अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें राजस्थान से १७ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । का० एम०एस०यादव जो फेडरेशन के महासचिव पहले से हट गये और वे उपाध्यक्ष चुने गये ।

कार्यकारिणी में अपने राजस्थान से ------- साथी चुने गये है ।
का० गिरीश शर्मा फेडरेशन के मंत्री बन गये है ।

आगामी १२ जुलाई को आंदोलन की शुरुआत जयपुर के औद्योगिक संस्थानों में एक दिन की हड़ताल के साथ शुरू होने जा रहा है ।

हमारे संगठन को इस आंदोलन में पहल करनी है । राज्य एटक के इस ६ वें सम्मेलन के अवसर पर हम आने वाले दिनों में एटक के आह्वान को ध्यान में रखकर आगे बढ़कर श्रमिकों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर व्यापक संघर्ष की तैयारी में जुटना होगा ।

साथियों,

पिछले तीन वर्ष से अधिक अर्से की अपने संगठन के कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य की स्थितियों का मूल्यांकन सहित आपके समक्ष प्रस्तुत है ।

रिपोर्ट में हो सकता है बहुत सी उन घटना चक्रों का उल्लेख सम्मिलित नहीं हो लेकिन हमारी राज्य केन्द्र की जैसी संगठनात्मक स्थितियां है उसको ध्यान में लेकर सभी लोग विचार करेंगे अपने सुझाव देंगे ।

अपने संगठन को और अधिक सुव्यवस्थित एवं शक्तिशाली , शोषित जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अपना अमूल्य . . सुझाव दें ।

आपका साथी

महामंत्री